राजभाषा विशेषांक

वाणी

वर्ष : 39 अंक 146 सितंबर 2025

वर्ष 2024-25 हेतु माननीय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार से प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति- प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए हमारे प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव

पत्रिका पढ़ने के लिए, क्यूआर कोड स्कैन करें

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
तिमाही गृह पत्रिका

गतिविधियाँ

स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में केन्द्रीय कार्यालय के प्रांगण में ध्वाजारोहण किया गया । इस अवसर पर ध्वाजारोहण के पश्चात तिरंगे को सलामी देते हुए प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव** । उनके साथ हैं हमारे कार्यपालक निदेशक **श्री धनराज टी** एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी **श्री राजीव कुमार** ।

पुनर्निर्मित आइओबी स्टाफ कॉलेज का उद्घाटन करते हुए प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव** । उनके साथ हैं कार्यपालक निदेशक द्वै व अन्य शीर्ष कार्यपालकगण ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की तिमाही गृह पत्रिका

वाणी

वर्ष : 39 अंक 146 सितंबर 2025

संदेश

हिंदी दिवस के अवसर पर गृह एवं सहकारिता मंत्री का संदेश 3

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश 5

कार्यपालक निदेशक का संदेश 6

कार्यपालक निदेशक का संदेश 7

महा प्रबंधक का संदेश 8

संपादकीय

राजभाषा हिंदी मातृभाषा की सहचरी 9

विशेष आलेख

तकनीकी शिक्षा में हिन्दी की स्थिति 12

यात्रा और आत्मचिंतन: सफलता एवं नश्वरता की कहानी 14

कैथी लिपि: उद्भव, ऐतिहासिक महत्व और पुनरुद्धार के प्रयास 20

हिंदी पखवाड़ा और सतर्कता सप्ताह 24

सभ्यताओं का सेतु - अनुवाद 33

खेलो इंडिया और फिट इंडिया 36

साहित्य का अध्ययन क्यों ? 38

सुख–दुःख से आना–जाना तक : युग्म शब्दों की दुनिया 43

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय- बेरोजगारी का खतरा या पुनः कौशल विकास 45

पाँचवाँ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मलेन 50

बैंकिंग व अन्य लेख

सोशल मीडिया के दौर में बैंकिंग 10

अक्षय ऊर्जा: संभावनाएं एवं चुनौतियां 15

प्लास्टिक: क्रांतिकारी आविष्कार से वैश्विक प्रदूषण संकट तक 18

छोटी बचत का बड़ा महत्व 23

जन धन – वित्तीय समावेशन की क्रांति 53

साहित्य का सफ़रनामा

भगवती चरण वर्मा: एक बहुआयामी व्यक्तित्व 47

फोटो फ़ीचर

केंद्रीय कार्यालय में आयोजित हिन्दी दिवस की झलकियाँ 28

क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित हिन्दी दिवस की झलकियाँ 30

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में बैंक द्वारा लगाई प्रदर्शनी की झलकियाँ 32

कविता

मौसम 11

बचत की आदत – अपनी सुरक्षा की ताक़त 17

माँ 49

विविधा

शब्द शब्दांतर 27

हंसी की फुलझड़ियाँ 42

ज्ञान के मोती 42

राजभाषा प्रश्नोत्तरी 55

प्रतिस्पन्दन 56

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
की तिमाही गृह पत्रिका

वाणी

वर्ष : 39 अंक 146 सितंबर 2025

तुम वहन कर सको जन-मन में मेरे विचार !
वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ?

मुख्य संरक्षक
अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक
जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक

संरक्षक
धनराज टी
कार्यपालक निदेशक

परामर्शदाता
नितेश कुमार सिन्हा
महा प्रबंधक

संपादक
कृष्ण कुमार गुप्ता
मुख्य प्रबंधक

संपादन सहयोग
नगेन्द्र कुमार सिंह
वरिष्ठ प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

संपादन सहयोग
शुभम दीक्षित
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

मुद्रक
कृष्णराज प्रिंटर्स
36 देवराजन स्ट्रीट, रॉयपेट्टा
चेन्नै 600 014, तमिलनाडु
दूरभाष : 044-28481125

वाणी में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के निजी हैं ।
बैंक का इससे सहमत होना ज़रूरी नहीं है ।

केवल आंतरिक परिचालन हेतु

पत्र व्यवहार का पता
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
763 अण्णा सालै, चेन्नै 600002
फैक्स : 044-28551618
दूरभाष : 044-28519572
ई-मेल : official@iobnet.co.in

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

प्रिय देशवासियो !

आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

भारत मूलतः भाषा-प्रधान देश है। हमारी भाषाएँ सदियों से संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान-विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम रही हैं। हिमालय की ऊँचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बीहड़ जंगलों और गाँव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहने और एकजुट होकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है।

मिलकर चलो, मिलकर सोचो और मिलकर बोलो, यही हमारी भाषाई और सांस्कृतिक चेतना का मूल मंत्र रहा है।

भारत की भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि उन्होंने हर वर्ग और समुदाय को अभिव्यक्ति का अवसर दिया। पूर्वोत्तर में बीहू का गान, तमिलनाडु में ओवियालू की आवाज, पंजाब में लोहड़ी के गीत, बिहार में विद्यापति की पदावली, बंगाल में बाउल संत के भजन, आदिम समाज में ढोल-मांदर की थाप पर करमा की गूंज, माताओं की लोरियाँ, किसानों का बारहमासा, कजरी गीत, भिखारी ठाकुर की 'बिदेशिया', इन सबने हमारी संस्कृति को जीवन्त और लोककल्याणकारी बनाया है।

मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय भाषाएँ एक दूसरे की सहचर बनकर, एकता के सूत्र में बंधकर आगे बढ़ रही हैं। संत तिरुवल्लुवर को जितनी भावुकता से दक्षिण में गाया जाता है, उतनी ही रुचि से उत्तर में भी पढ़ा जाता है। कृष्णदेवराय जितने लोकप्रिय दक्षिण में हुए, उतने ही उत्तर में भी। सुब्रमण्यम भारती की राष्ट्रप्रेम से ओत-प्रोत रचनाएँ हर क्षेत्र के युवाओं में राष्ट्रप्रेम को प्रबल बनाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास को हर एक देशवासी पूजता है, संत कबीर के दोहे तमिल, कन्नड़ और मलयालम अनुवादों में पाए जाते रहे हैं। सूरदास की पदावली दक्षिण भारत के मंदिरों और संगीत परंपरा में आज भी प्रचलित है। श्रीमंत शंकरदेव, महापुरुष माधवदेव को हर एक वैष्णव जानता है। और, भूपेन हजारिका को हरियाणा का युवा भी गुनगुनाता है।

गुलामी के कठिन दौर में भी भारतीय भाषाएँ प्रतिरोध की आवाज बनीं और आज़ादी के आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने में भूमिका निभाई। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जनपदों की भाषाओं में, गाँव-देहात की भाषा में लोगों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा। हिंदी के साथ ही सभी भारतीय भाषाओं के कवियों, साहित्यकारों और नाटककारों ने लोकभाषाओं, लोककथाओं, लोकगीतों और लोकनाटकों के माध्यम से हर आयु, वर्ग और समाज के भीतर स्वाधीनता के संकल्प को प्रबल बनाया। वन्दे मातरम् और जय हिंद जैसे नारे हमारी भाषाई चेतना से ही उपजे और स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान के प्रतीक बने।

जब देश आजाद हुआ, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषाओं की क्षमता और महत्ता को देखते हुए इस पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और 14 सितम्बर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह दायित्व सौंपा गया कि हिंदी का प्रचार-प्रसार हो और वह भारत की सामासिक संस्कृति का प्रभावी माध्यम बने।

पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड आया है। चाहे संयुक्त राष्ट्रसंघ का मंच हो, जी-20 का सम्मेलन या SCO में संबोधन, मोदी जी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद कर भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान बढ़ाया है।

मोदी जी ने आजादी के अमृत काल में गुलामी के प्रतीकों से देश को मुक्त करने के जो पंच प्रण लिए थे, उसमें भाषाओं की बड़ी भूमिका है। हमें अपनी संवाद और आपसी संपर्क भाषा के रूप में भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए, न कि किसी विदेशी भाषा को। तभी हम गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्त हो पाएँगे।

राजभाषा हिंदी ने 76 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं। राजभाषा विभाग ने अपनी स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण कर हिंदी को जनभाषा और जनचेतना की भाषा बनाने का अद्‌भुत कार्य किया है। 2014 के बाद से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। संसदीय राजभाषा समिति ने वर्ष 1976 में अपनी स्थापना से लेकर 2014 तक माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रतिवेदन के 9 खंड प्रस्तुत किए थे, वहीं 2019 से अब तक 3 खंड प्रस्तुत किए जा चुके हैं। 13-14 नवम्बर 2021 को वाराणसी से प्रारंभ हुए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों की परम्परा भी लगातार आगे बढ़ रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी राजभाषा विभाग ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन पर आधारित 'कंठस्थ 2.0' में आज 5 करोड़ से अधिक वाक्यों का ग्लोबल डाटाबेस उपलब्ध है। 'लीला राजभाषा' और 'लीला प्रवाह' जैसे शिक्षण पैकेजों के माध्यम से 14 भारतीय भाषाओं में हिंदी सीखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2022 में शुरू हुआ 'हिंदी शब्द सिंधु' अब तक लगभग 7 लाख शब्दों से समृद्ध हो चुका है।

2024 में हिंदी दिवस पर 'भारतीय भाषा अनुभाग' की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज अनुवाद सुनिश्चित करना है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बनें। डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में हम भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम, प्रासंगिक और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाने वाली शक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं।

मित्रों, भाषा सावन की उस बूँद की तरह है, जो मन के दुःख और अवसाद को धोकर नई ऊर्जा और जीवन शक्ति देती है। बच्चों की कल्पना से गढ़ी गई अनोखी कहानियों से लेकर दादी-नानी की लोरियों और किस्सों तक, भारतीय भाषाओं ने हमेशा समाज को जिजीविषा और आत्मबल का मंत्र दिया है।

मिथिला के कवि विद्यापति जी ने ठीक ही कहा है:
"देसिल बयना सब जन मिट्ठा।"
अर्थात् अपनी भाषा सबसे मधुर होती है।

आइए, इस हिंदी दिवस पर हम हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करने और उन्हें साथ लेकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी तथा विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लें।

आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

वंदे मातरम् ।

(अमित शाह)

नई दिल्ली,
14 सितंबर, 2025

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

प्रिय आइओबियन्स,

अपनी पत्रिका वाणी के माध्यम से आप सभी से संवाद करना मेरे लिए सदैव हर्ष का विषय रहा है। सितंबर तिमाही ने आइओबी परिवार को खुश होने के कई कारण दिये हैं, जन्हें आप सभी से साझा करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। साथियो, आपके निरंतर प्रयास एवं परिश्रम से 14 सितंबर 2025 को महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर, गाँधीनगर में हमारे केन्द्रीय कार्यालय को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से वर्ष 2024-25 के दौरान उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रतिष्ठित "राजभाषा कीर्ति - प्रथम पुरस्कार" प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि यह सम्मान बैंक को लगातार 3 वर्षों से प्रथम पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुआ है। इस हैट्रिक के लिए आप सभी बधाई व प्रशंसा के पात्र हैं। साथ ही, यह भी उल्लेख करते हुए आह्लादित हूँ कि हमारे राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित 'ज्ञान क्षितिज पर हिंदी' पुस्तक का विमोचन गणमान्य व प्रतिष्ठित अतिथियों के बीच केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के कर कमलों से हुआ, यह बैंक के लिए सम्मान का विषय है। इस पुस्तक में देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के कुलपति, प्रोफेसर एवं शिक्षाविदों के तकनीकीपरक विषयों पर आलेख शामिल हैं। बैंक की ओर से मैं उन रचनाकारों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन में अपना अप्रतिम सहयोग दिया। दोस्तो, उपलब्धियों की यह श्रृंखला यूँ ही जारी रही और 15 सितंबर 2025 को हमारे बैंक के पास मौजूद नराकास नागरकोविल एवं नराकास तिरुनेलवेली को भी प्रशंसनीय नराकास का सम्मान गृह मंत्रालय के सम्मानीय मंच से प्राप्त हुआ। ध्यातव्य है कि उत्कृष्टता के शिखर पर पहुँचकर वहाँ टिके रहने के लिए अथक प्रयास एवं दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। अत: सभी कार्यालय एवं शाखाएँ, राजभाषा कार्यान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार करें और राजभाषा संबंधी विभिन्न गतिविधियों एवं नवोन्मेषी कार्यों पर बल दें। साथ ही, यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि गृह मंत्रालय नराकास के सक्रिय क्रियान्वयन पर विशेष बल दे रहा है। हमारे जो भी कार्यालय एवं शाखाएं नराकास की सदस्य हैं, वे नराकास की गतिविधियों में सक्रिय रूप से सहभागिता करें।

साथियो, बैंकिंग के क्षेत्र में भी सितंबर तिमाही हमारे लिए बेहद खास रही है। सितंबर तिमाही का वित्तीय परिणाम दर्शाता है कि बैंक का तिमाही-दर-तिमाही क्रिटिकल पैरामीटर में नंबर काफी सुसंगत है। इस तिमाही में हमने अपने सभी पुराने रिकॉर्डों को पीछे छोड़ते हुए रु. 1226 करोड़ का निवल लाभ दर्ज़ किया, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 57.79% की वृद्धि हुई है। आप सभी को असीम बधाईयाँ! यह अद्भुत परिणाम हमारे टीमवर्क को दर्शाता है। इस परिणाम से हम पर शेयरधारकों का विश्वास और भी बढ़ा है। उल्लेखनीय है कि इस तिमाही में हमारा निवल एनपीए 0.28% रहा है। इस प्रशंसनीय कार्य की निरंतरता को बनाए रखिए। एनपीए को रोकने से हमारी बैलेंस शीट तो मजबूत होती ही है और अनावश्यक प्रोविजनिंग से भी राहत मिलती है।

हमें चालू वित्तीय वर्ष में ध्यान रखना है कि हमारी कोई भी शाखा किसी भी पैरामीटर में निगेटिव न रहे। हमें साथ मिलकर बैंक के ग्रोथ में अपना योगदान देना है। सभी शाखाएं कासा बढ़ाने पर विशेष फोकस करें। हमें कासा ग्राहकों को ऑनबोर्ड करवाने के लिए तीव्रता से प्रयत्न करना चाहिए। बैंक कासा से संबंधित विभिन्न अभियान चला रही है, आप सभी मौजूदा अभियान से सक्रिय रूप से जुड़ें। आगामी दिसंबर तिमाही की सफल समापन हेतु शुभकामनाएं देते हुए मुझे अटल बिहारी बाजपेयी जी की दो पंक्तियां याद आ रही हैं -

"सिर पर बरसें यदि ज्वालाएँ, निज हाथों में हँसते-हँसते,
आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।"

शुभकामनाओं सहित,

अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

एमडी व सीईओ महोदय को सुनने के लिए,
क्यूआर कोड स्कैन करें

कार्यपालक निदेशक का संदेश

प्रिय सहकर्मियो,

पिछली तिमाही कई मायनों में विशेष रही । एक ओर जहाँ बैंक को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए लगातार तीसरे साल राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसे हिन्दी दिवस के अवसर पर हमारे प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कर कमलों से प्राप्त किया, वहीं दूसरी ओर माननीय अमित शाह जी के कर कमलों से बैंक द्वारा प्रकाशित 'ज्ञान क्षितिज पर हिंदी' पुस्तक का विमोचन भी किया गया । ये पुरस्कार, सम्मान व प्रशस्तियां दर्शाती हैं कि हम सभी पैरामीटर्स में अपना श्रेष्ठ निष्पादन कर रहे हैं । इन उपलब्धियों के लिए आप सभी समेकित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं । ये प्रशस्तियां आप सभी के सामूहिक प्रयासों के बिना संभव नहीं थीं, जिसके लिए मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देता हूँ ।

सेवा क्षेत्र का अंग होने के चलते बैंकिंग ग्राहक केंद्रित संस्थान है, जिसका सीधा अर्थ है कि हमें अपने ग्राहकों को अपने सभी व्यावसायिक निर्णयों और प्रक्रियाओं के केंद्र में रखना होता है । यह दृष्टिकोण हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने की नींव रखता है। जब हम ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझकर उन्हें उत्कृष्ट सेवा, पारदर्शी उत्पाद और वैयक्तिक रूप से समाधान प्रदान करते हैं, तो यह न केवल ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करता है, बल्कि बैंक के प्रति उनके विश्वास को भी पोषित करता है । ग्राहकों की शिकायतों का तुरंत और सहानुभूतिपूर्वक समाधान करना भी ग्राहक सेवा का ही अंग है । ग्राहकों की बात को ध्यान से सुनना और उनकी समस्याओं का तत्परता से निराकरण यह संदेश प्रसारित करता कि हम अपने ग्राहकों को महत्व देते हैं । यह बेहद खुशी की बात है कि 'वित्तीय सेवाएँ विभाग' द्वारा जारी जीआरएआई के मुताबिक शिकायत निवारण सूचकांक में बैंक लगातार तीसरे महीने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पहले स्थान पर रहा है । यह हमारी मज़बूत शिकायत निवारण प्रणाली और ग्राहक-केंद्रितता को दर्शाता है । हमारा अंतिम उद्देश्य अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों का निवारण करना ही नहीं बल्कि शिकायतों के आधार पर प्रक्रियाओं में सुधार करना भी होना चाहिए । अगर मशहूर बिजनेस मैन बिल गेट्स की बात माने तो

"आपका सबसे असंतुष्ट ग्राहक आपके सीखने का सबसे बड़ा स्रोत है।"

सितंबर तिमाही के वित्तीय परिणाम आ चुके हैं, मैं आप सभी को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करने के लिए आपके समर्पण और एकजुट प्रयासों हेतु बधाई देता हूँ । एनपीए में प्रभावी कमी लाना हमारी बैलेंस शीट को मजबूत करने, पूंजी की लागत को कम करने और ऋण देने की हमारी क्षमता को बढ़ाने के लिए अपरिहार्य है । हमें क्रोनिक एनपीए की वसूली के लिए रचनात्मक रणनीतियों, कानूनी प्रक्रियाओं के प्रभावी उपयोग और बकाएदारों के साथ संवाद में दृढ़ता की आवश्यकता है । हमें सुनिश्चित करना होगा कि नए ऋणों के वितरण में पूरी सावधानी बरती जा रही है व समुचित जोखिम मूल्यांकन के साथ ऋणों की सतत निगरानी की जा रही है । मुझे विश्वास है कि आपकी पेशेवर दक्षता और अटूट लगन से, हम इस चुनौती को अवसर में बदलेंगे और बैंक के दीर्घकालिक स्थायित्व एवं लाभप्रदता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे ।

शुभकामनाओं सहित,

जयदीप दत्ता रॉय
कार्यपालक निदेशक

कार्यपालक निदेशक का संदेश

प्रिय साथियो,

हर उपलब्धि एक नई शुरुआत होती है। हमारे बैंक की निरंतर प्रगति यह प्रमाणित करती है कि जब समर्पण, निष्ठा और टीम भावना एक साथ मिलती है, तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता। बीती तिमाही हमारे लिए अनेक उपलब्धियों और गौरवपूर्ण क्षणों से भरा रहा, जिसने हम सभी में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया । बैंक को वर्ष 2024–25 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन में "राजभाषा कीर्ति – प्रथम पुरस्कार" प्राप्त हुआ और यह सम्मान हमारे बैंक को लगातार तीन वर्षों से प्राप्त हो रही है । जिसका सम्पूर्ण श्रेय हमारे बैंक के प्रत्येक कर्मचारियों को जाता है जिन्होंने हिन्दी के प्रचार-प्रसार में योगदान दिया है । विशेष रूप से बैंक के राजभाषा विभाग एवं उनकी टीम को प्रयास और समर्पण के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ ।

14 सितंबर 2025 को हमारे प्रबंध निदेशक व सीईओ ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों से "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" प्राप्त किया, जो हमारे लिये स्मरणीय है। साथ ही, हमारे बैंक द्वारा प्रकाशित तकनीकी विषयक पुस्तक "ज्ञान क्षितिज पर हिंदी" का विमोचन माननीय अमित शाह जी के हाथों से किया गया । जिसमें देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के कुलपति सहित विद्वतजनों द्वारा उच्च शिक्षा में हिंदी की स्थिति पर विचारोत्तेजक आलेख संकलित है । यह न केवल हिंदी की शैक्षणिक प्रासंगिकता को रेखांकित करता है, बल्कि यह दर्शाता है कि तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हिंदी की संभावनाएँ असीमित हैं ।

साथियो, बीती तिमाही हमारे लिए वित्तीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस तिमाही में हमारे बैंक ने ₹1226 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है। यह उपलब्धि हमारे सामूहिक परिश्रम, टीम भावना और ग्राहकों के विश्वास का परिणाम है। प्रत्येक आइओबियन इस सफलता के अभिन्न भागीदार हैं, और मैं आप सभी को इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ।

त्योहारों के इस समय में, जब हमारे चारों ओर उल्लास, एकता और सकारात्मकता का वातावरण है, आइए हम इस ऊर्जा को अपने कार्य में रूपांतरित करें। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समर्पण, पारदर्शिता और गुणवत्ता को अपना मूल मंत्र बनाएँ।

मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भी हम सभी मिलकर बैंक को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाएँगे। 'वाणी' का यह अंक हमारी निरंतर प्रगति, सृजनशीलता और संगठनात्मक संस्कृति का सशक्त दर्पण सिद्ध होगा।

संपादकीय टीम तथा सभी सहयोगियों को इस प्रेरक प्रयास हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

सादर,

धनराज टी
कार्यपालक निदेशक

महा प्रबंधक का संदेश

प्रिय साथियो,

बैंक की तिमाही पत्रिका वाणी के नवीनतम अंक के माध्यम से आप से संवाद करते हुए असीम हर्षानुभूति हो रही है । विगत हिन्दी दिवस अपने आप में अविस्मरणीय रहा । लगातार तीसरे वर्ष बैंक को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार "राजभाषा कीर्ति - प्रथम पुरस्कार" प्राप्त होना दर्शाता है कि हम अपने नियामक के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने में सफल हुए हैं और उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं । यह पुरस्कार आप सभी की ओर से हमारे प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कर कमलों से 14 सितंबर को गांधीनगर में आयोजित हिंदी दिवस 2025 एवं 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान प्राप्त किया । इसके साथ ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के कर कमलों से बैंक द्वारा प्रकाशित 'ज्ञान क्षितिज पर हिंदी' पुस्तक का विमोचन भी किया गया । ये आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं था । इन उपलब्धियों के लिए आप सभी बधाई एवं प्रशंसा के पात्र हैं । लेकिन हमें रुकना नहीं हैं, थकना नहीं है । पुरस्कारों का यह सिलसिला जो तीन सालों से चला आ रहा है इसे बरकरार रखना हम सभी की साझी ज़िम्मेदारी है । मेरी इस बात से आप सभी सहमत होंगे कि हमें इस कीर्ति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना है जो कि, इतना आसान नहीं है । कितना तो सटीक ही लिखा है कठोपनिषद में :

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत।
क्षुरासन्नधारा निशिता दुरत्यद्दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति॥

(अर्थात तुम्हारे रास्ते कठिनाइयों से भरे हुए होंगे। अति दुर्गम रास्ते का भी सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। लेकिन लोग कहते हैं कि कठिन रास्ते चलने के लिए ही बने हैं। इसलिए उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो।)

साथियो, बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन (Credit Risk Management) का महत्व उसकी वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता के लिए अत्यंत मौलिक है । क्रेडिट जोखिम, यानी उधारकर्ताओं द्वारा अपने ऋण दायित्वों को चुकाने में विफल रहने की संभावना, किसी भी बैंक के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रणाली इस संभावित वित्तीय नुकसान को कम करने का काम करती है । यह उधारकर्ताओं की साख का गहन मूल्यांकन करने, जोखिम को मापने और उसे स्वीकार्य सीमाओं के भीतर नियंत्रित करने के लिए विश्लेषणात्मक मॉडल की तरह काम करती है। यह न केवल ऋण के एनपीए होने पर होने वाली हानियों को कम करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास नियामक निकायों द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता बनी रहे । एक सुदृढ़ ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि संस्था तर्कसंगत और भली-भांति पूर्वानुमानित निर्णय ले, जिससे न केवल पूंजी सुरक्षित रहे, बल्कि विवेकपूर्ण ऋण वितरण के माध्यम से लाभप्रदता और हितधारकों का भरोसा भी बना रहे। अतः, सफलता के लिए यह आवश्यक है कि जोखिम प्रबंधन को संगठनात्मक संस्कृति का अभिन्न अंग बनाया जाए और इसे निरंतर विकसित होते आर्थिक परिवेश के अनुरूप ढाला जाए ।

सादर,

एन. के. सिन्हा

नितेश कुमार सिन्हा
महा प्रबन्धक

राजभाषा हिंदी मातृभाषा की सहचरी

प्रिय पाठको,

वाणी का यह ताजा अंक राजभाषा विशेषांक के रूप में आपके समक्ष है । इस विशेषांक के माध्यम से हम मातृभाषा व राजभाषा को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं । यह अंक हमारी सांस्कृतिक चेतना व परंपरा का प्रतीक है । मनीषियों ने भी कहा है कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी पहचान, आत्मा और गौरव है । हमारे देश में भाषायी विविधता इतनी है कि इसे हिंदी के माध्यम से ही सभी भाषा-भाषियों को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है । हिंदी एक सेतु है जो अलग-अलग राज्यों, संस्कृतियों और अभिव्यक्तियों को जोड़कर एकता की सूत्र मे पिरोती है । आज राजभाषा हिंदी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गयी है कि इसने प्रशासनिक सरलता, स्पष्टता और आपसी सूझ-बूझ को सुनिश्चित किया है । तकनीक और वैश्वीकरण ने संचार को जिस रूप में बदल दिया है, उससे भाषा भी अछूती नहीं रही। हिंदी आज केवल साहित्यिक पारंपरिक संवाद तक सीमित नहीं है । अब यह डिजिटल मंचों, प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं, अनुसंधान, प्रशिक्षण और कार्यालयीन प्रयोगों में भी प्रभावी रूप से अपना दम-खम दिखा रही है । स्वाभाविक है कि नई पीढ़ी भी हिंदी को केवल एक शैक्षणिक विषय नहीं बल्कि ज्ञान और अभिव्यक्ति का मजबूत माध्यम मान रही है । हमारा उद्देश्य केवल हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा मनाना भर नहीं है बल्कि हमें कर्मचारियों के बीच सामंजस्य और आत्मीयता भी बढ़ानी है । हम और आप हिंदी की समृद्ध विरासत को केवल पढ़ने व लिखने तक न रखें बल्कि इसे अपनी सोच और व्यवहार का अभिन्न हिस्सा भी बनाएं ।

वाणी के इस अंक में विशेषत: राजभाषा से संबंधित आलेखों को स्थान दिया गया है । साथ ही, भाषागत, बैंकिंग एवं साहित्यिक आलेख को भी समेटने का प्रयास किया गया है । एक ओर 'तकनीक क्षेत्र में हिंदी' विषयक आलेख आइटी एवं मेडिकल के क्षेत्र में हिंदी के बढ़ते कदम को रेखांकित कर रहा है, 'युग्म शब्दों की दुनिया' विषयक आलेख आपको हिंदी के नए शब्दों से परिचित करवाएगा, 'साहित्य का अध्ययन क्यों" विषयक आलेख में हिंदी साहित्य के स्वर्णिम इतिहास की गाथा है, 'सभ्यताओं का सेतु – अनुवाद' इस आलेख में अनुवाद के इतिहास समेत अनुवाद कला की बारिकियों को समेटने का भरसक प्रयास किया गया है, वहीं दूसरी ओर बैंकिंग आलेख में 'सोशम मीडिया के दौर में बैंकिंग', 'अक्षय ऊर्जा: संभावनाएं एवं चुनौतियां', 'प्लास्टिक: क्रांतिकारी आविष्कार से प्रदूषण संकट तक' और 'छोटी बचत का बड़ा महत्व' जैसे गंभीर विषयों पर गहन चर्चा की गई है । साथ ही, आपके लिए एमडी व सीईओ महोदय के संदेश का ऑडियो वर्ज़न भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसे पृष्ठ सं 5 पर दिये गए क्यूआर कोड स्कैन कर सुन सकते हैं । इस अंक के प्रकाशन में सहयोग देने वाले सभी रचनाकारों को साधुवाद ! आप इसी तरह नवोन्मेषी विषयों पर लिखें और बैंक की गृह-पत्रिका के प्रकाशन में निरंतर सहयोग प्रदान करें ।

हमें विश्वास है कि आप सभी को वाणी पत्रिका का यह अंक खूब पसंद आएगा । आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा में ......

आपका,

कृष्ण कुमार गुप्ता
मुख्य प्रबंधक सह संपादक

सोशल मीडिया के दौर में बैंकिंग

अरबिंद्रो मोहन बनर्जी, मुख्य महा प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यालय

आज के ग्राहक डिजिटल हैं । वे वर्चुअल रूप से लगभग हर जगह मौजूद हैं। उनका सामाजिक जीवन इसी पर निर्भर करता है। वे फेसबुक पर दोस्त बनाते हैं, Google+ पर अपने परिवार (और मित्र) बनाते हैं, ट्वीट करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, Pinterest पर विचार-मंथन करते हैं, ब्लॉग के ज़रिए लोगों को प्रभावित करते हैं, अपनी यादें इंस्टाग्राम पर साझा करते हैं, Hangouts पर मिलते और अपनी बात सभी के सामने रखते हैं!

बैंक से उनकी अपेक्षाएँ इससे कुछ भिन्न नहीं हैं, बैंक कहीं भी, कभी भी उनकी सेवा के लिए उपलब्ध हों । वे विभिन्न बैंकिंग उत्पादों को खोजते हैं, उनकी तुलना करते हैं, विभिन्न सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोगों की राय सुनते हैं। वे बैंक की सेवाओं, उत्पादों और उनसे जुड़े सभी पहलुओं पर अपनी राय भी देते हैं।

पहले बैंकों को अपने उत्पादों का विपणन करने में संघर्ष करना पड़ता था क्योंकि वे ज़रूरत पड़ने पर अपने ग्राहकों तक नहीं पहुँच पाते थे और ग्राहक भी तभी आते थे जब उन्हें बैंक से कोई सेवा चाहिए होती थी। सोशल मीडिया ने ग्राहकों से सीधे जुड़ाव को संभव बनाया है। यह ग्राहकों से बातचीत करने, उनकी प्रतिक्रिया सुनने, उनसे जुड़ने और उनके अनुभव साझा करने का एक बहुआयामी माध्यम है। यह वैश्विक स्तर पर मोबाइल के माध्यम से जानकारी जुटाने वाले जन समूह का निर्माण करने का एक मंच है।

सोशल मीडिया पहुँच को कई गुना बढ़ाने और बड़े जनसमूह तक पर प्रभाव उत्पन्न करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है। यह बैंक की पहुँच को कई गुना बढ़ाने में मदद करती है। यह बैंक के ब्रांड मूल्य को बढ़ा सकती है। डिजिटल माध्यम, ग्राहक व्यवहार को बदल रहे हैं और बदलते ग्राहक के साथ ब्रांडों का कम्यूनिकेशन भी बदल रहा है। आज, किस्सागोई की कला तकनीक पर विजय प्राप्त कर रही है। लोगों की जरूरतों को समझना और एक दिलचस्प कहानी के माध्यम से उसे बयान करना, सबसे पहले, असल में यह पारंपरिक दृष्टिकोण और सोच से बाहर निकलने के बारे में है; यह डिजिटल दुनिया द्वारा लाए गए बदलाव को अपनाने के बारे में है। इस धारणा को बदलने की ज़रूरत है कि 'बैंक' या 'बैंकिंग और वित्त' पर बात करना एक उबाऊ विषय हो सकता है। जब मुख्य ध्यान ग्राहक पर होता है तो धन संबंधी मामले रुचि का विषय बन जाते हैं। हमारी ध्यान केंद्रित करने की अवधि बहुत कम हो गई है; हमारा ध्यान इस ओर होना चाहिये कि ऐसी बातें सिखाई जाएँ जो सरल होते हुए भी विचारोत्तेजक और दिलचस्प हों।

सोशल मीडिया बैंकों को किसी भी नए क्षेत्र में कदम रखने कदम रखने से पहले उसकी की जाँच-पड़ताल और आकलन का मौका देती है। यह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो बैंकों को अपने लक्षित ग्राहकों के बीच जाने के साथ-साथ वर्तमान परिवेश में आपके ब्रांड पर शोध करने और उसे समझने में मदद कर सकती है।

एक प्रभावी सोशल मीडिया रणनीति का मतलब है, ग्राहक के जुड़ने से पहले, जुडने के दौरान और उनसे जुडने के बाद भी, ग्राहक केन्द्रित बने रहना। आप अपने ब्रांड के बारे में जिस तरह सोचते हैं और ग्राहक जिस तरह से उसे समझते हैं, उसमें बहुत अंतर होता है। एक श्रोता के रूप में अपने ग्राहकों के बीच जाना और बस यह सुनना कि आपके ग्राहक आपके बारे में क्या कह रहे हैं, बुद्धिमानी है । किसी भी शिकायत को सुधार के अवसर के रूप में देखना चाहिए। सुनें कि आपके संभावित ग्राहक आपके उत्पादों और आपके ब्रांड पर समग्र रूप से कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यह आपके प्रतिस्पर्धियों को बेहतर ढंग से जानने और समझने का एक खुला बाज़ार है। सुनने से आपका संगठन आपके ग्राहकों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझ पाएगा और आपको अपनी सोशल मीडिया रणनीति को उसके अनुसार ढालने में मदद मिलेगी।

नवोन्मेषी बनें। जुड़ाव के बारे में सोचें। बदलाव के बारे में सोचें। सबसे पहले बुनियादी बातों को समझना ज़रूरी है; जटिलताओं को भी समझें! जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप पाएंगे कि सोशल मीडिया एक खुला मंच है जो आपकी भाषा में बात कर सकता है। आपकी कल्पना ही एकमात्र सीमा है। ऐसा कंटेन्ट कैसे तैयार करें जिसे आपके उपभोक्ता साझा करना पसंद करें;

सामग्री, जो न केवल उनके लिए, बल्कि उनके समुदाय और उनके समूहों के लिए भी फायदेमंद हो? मनोरंजक सामग्री बनाएँ, अपने ब्रांड को दीर्घजीवी बानाएँ, रचनात्मक और व्यापक बनें, यही सोशल मीडिया पर जीत की कुंजी है। लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित करें; अपने उपभोक्ताओं को अपने ब्रांड का समर्थक बनाने के लिए सोशल मीडिया की शक्ति का लाभ उठाएँ।

सोशल मीडिया का उपयोग करके, बैंक अपने ग्राहकों की रुचियों, प्राथमिकताओं और ज़रूरतों के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं। फिर हम इस जानकारी का उपयोग **लक्षित मार्केटिंग** अभियान चलाने और समग्र मार्केटिंग लागत बचाने में कर सकते हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभुत्व वाले मीडिया परिदृश्य में, इन प्लेटफ़ॉर्म के लिए बैंक की मार्केटिंग रणनीति एक ब्रांड के रूप में उसकी सफलता को बना या बिगाड़ सकती है। बैंकों को अपने सोशल मीडिया प्रयासों को उच्च मानकों पर बनाए रखने की आवश्यकता है।

लीड जनरेशन और बिक्री: ग्राहकों द्वारा शेयर की गई पोस्ट, उनके द्वारा किए गए लाइक और रीट्वीट, ये सभी बैंकों के लिए महत्वपूर्ण लीड साबित हो सकते हैं। वे इस डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं और इन लीड्स को सेल्स में बदलने के लिए अगली सर्वोत्तम योजना बना सकते हैं।

सोशल मीडिया पर **ब्रांड विस्तार** की बातें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। लोग आमतौर पर किसी उत्पाद या सेवा को खरीदते समय किसी सामान्य बिक्री प्रचार से ज़्यादा अपने साथियों पर भरोसा करते हैं। ट्विटर पर रीट्वीट, लिंक्डइन पर प्रचार, फेसबुक पर शेयर, ग्राहक के निर्णय लेने की प्रक्रिया में ऑनलाइन विज्ञापन से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए बैंक सोशल मीडिया का लाभ अर्जित माध्यम के रूप में उठा सकते हैं जिससे भविष्य में बिक्री में वृद्धि हो सकती है।

निष्कर्ष

यदि सोशल मीडिया रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू और एकीकृत किया जाए, तो यह बैंक की संगठनात्मक पहुँच को बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा, ग्राहकों को हमारी विभिन्न उत्पादों के बारे में शिक्षित करना सस्ता और आसान हो जाता है और एक मज़बूत "ब्रांड" बनाने में मदद कर सकती है।

मौसम

मौसम बदलते हैं रंग अपने,
नित दिखाते हैं ढंग अपने।

ठंडी हवा तो कभी धूप है,
जीवन का हरदम यही रूप है।।

बारिश कभी इंद्रधनुष है सजाती,
कभी नदी नालों में है बाढ़ लाती।।

सुहाना है जीवन कभी दुःख है,
बारिश की भांति इसका रूप है।।

पतझड़ सिखाता है दुःख सहना,
पुराने रंग–रूपों का ढलना।

बसंत जीवन में आता तभी है,
नवजीवन के गीत गाता तभी है।

जीवन स्वयं मौसमों की है कहानी,
कभी धूप–छाँव, कभी आँधी पानी।

कभी यह पतझड़–सी विदाई है,
कभी दुःखों की घिरती परछाई है।

लेकिन सूखे पेड़ों में है जान आती,
आखिर वसंत की हरियाली मुस्कुराती।

जीवन की भी गति है यही,
हर रात की सुबह भी होगी।।

विधान कुमार झा
सहायक प्रबंधक
रायपुर क्षेत्र

विशेष आलेख

तकनीकी शिक्षा में हिन्दी की स्थिति

गोपाल एस, मुख्य महा प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद

राष्ट्र की प्रगति में तकनीकी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारत 'विश्वगुरू' के रूप में जाना जाता था। हमारे वैज्ञानिकों एवं तकनीकज्ञों में नवीन अनुसंधान करने की क्षमता है। क्यों न हम दूसरों की अन्वेषित तकनीक के अनुकरण की जगह हम अपनी क्षेत्रीय स्थितियों के अनुरूप स्वयं की जरूरतों के अनुसार स्वयं अनुसंधान करें जिससे उसे सीखने के लिए बाह्य भाषा अपनाने की आवश्यकता महसूस न हो। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हिंदी प्रयुक्ति का अर्थ है इन क्षेत्रों में हिंदी भाषा के उपयोग और उसके विकास को समझना, जिसमें मानकीकृत शब्दावली का निर्माण, अनुवाद के प्रयास, सरकारी और शैक्षणिक साहित्य का प्रसार और तकनीकी उपकरणों के माध्यम से हिंदी का समर्थन शामिल है। इसका लक्ष्य हिंदी को एक समर्थ और प्रभावी वैज्ञानिक तथा तकनीकी भाषा बनाना है, हालांकि इसके लिए शब्दावली के निर्माण, कंप्यूटर प्रणालियों के विकास और हिंदी के लिए व्यापक समर्थन जैसे कई प्रयासों की आवश्यकता है।

भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदी भाषी है, जो उच्च शिक्षा में अंग्रेज़ी की वजह से तकनीकी ज्ञान से वंचित रह जाता है। मातृभाषा में शिक्षा से विषय-वस्तु की गहरी समझ विकसित होती है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के छात्रों को तकनीकी शिक्षा तक पहुँच मिलेगी।

तकनीकी क्षेत्र में यदि हिंदी के कंम्प्यूटरीकरण के विकास को परखें तो यह नज़र आता है कि कई क्षेत्रों में अच्छा विकास हुआ है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग (शब्द संसाधन) में पत्र लिखना, रिपोर्ट तैयार करना, लेख लिखना आदि कार्य काफी अच्छी स्थिति में हैं।

स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में हिंदी के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में कई महत्वपूर्ण चरण हमने पूरे किए हैं। इस क्षेत्र में अभी भी काफी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। पहली चुनौती हिंदी में वैज्ञानिक शब्दावली के साथ कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर के विकास की है। इसके साथ ही, यह भी एक चुनौती है कि हिंदी में वे सभी सुविधाएँ मौजूद हों जो अभी अंग्रेज़ी के लिए मौजूद हैं।

प्रयास और पहल :

- एआइसीटीई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) द्वारा हिंदी में पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद एवं प्रकाशन।
- राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (National Translation Mission) द्वारा तकनीकी एवं वैज्ञानिक पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद।
- "भाषा" पोर्टल, दीक्षा और स्वयम् जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर हिंदी में सामग्री उपलब्ध कराने के प्रयास।
- संस्थानों में राजभाषा प्रकोष्ठ सक्रिय हैं, जो हिंदी पखवाड़ा, प्रतियोगिताएँ, कार्यशालाएँ आदि आयोजित करते हैं ।

चुनौतियाँ

तकनीकी शब्दों का अनुवाद कठिन : अंग्रेज़ी के जटिल तकनीकी शब्दों का हिंदी में सटीक और सरल अनुवाद करना एक बड़ी चुनौती है।संसाधनों की कमी, उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी पाठ्यक्रम, वीडियो, ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म हिंदी में सीमित हैं। रुचि की कमी, छात्रों और शिक्षकों में हिंदी को तकनीकी शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की पर्याप्त रुचि का अभाव है।

संभावनाएँ और समाधान:

तकनीकी शिक्षा का स्थानीयकरण: हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी माध्यम से तकनीकी शिक्षा देने की संभावनाएँ बढ़ रही हैं।

एआई और एनएलपी तकनीकों का प्रयोग: अनुवाद कार्यों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालित अनुवाद टूल्स का सहयोग लिया जा सकता है।

हिंदी तकनीकी शब्दावली का विकास : वैज्ञानिक, तकनीकी संस्थानों को मिलकर एक मानकीकृत शब्दावली तैयार की जानी चाहिए।

शोध और लेखन को बढ़ावा : शोधार्थियों को हिंदी में शोध पत्र लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

तकनीकी पाठ्यक्रम हिंदी में विकसित करना : यूट्यूब, स्वयम्, एनपीटेल जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स पर हिंदी भाषा में व्याख्यानों की उपलब्धता बढाए जाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

तकनीकी संस्थानों में हिंदी की स्थिति अभी भी सीमित है, परंतु तकनीक की सहायता से यह स्थिति सुधारी जा सकती है। यदि नीति निर्धारक, शिक्षक, शोधकर्ता और छात्र मिलकर प्रयास करें, तो हिंदी भी तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान का एक सक्षम माध्यम बन सकती है।

"मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हिंदी माध्यम से तकनीकी का विकास कितना कारगर होगा?"

इस प्रश्न का उत्तर विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देना होगा, जिसमें हमें व्यावहारिकता, संभावनाएं, वर्तमान प्रयास और भविष्य की दिशा का समावेश करना होगा।

हिंदी माध्यम से तकनीकी विकास की कारगरता – संभावनाएं :

इंजीनियरिंग क्षेत्र में : सैद्धांतिक अवधारणाएं जैसे गणित, भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान को हिंदी में समझाना सरल हो सकता है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण, जैसे सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कार्यों में प्रायोगिक भाषा हिंदी में अधिक सहज होती है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे एनपीटेल, स्वयम् और दीक्षा अब हिंदी में कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं।अनुवादित तकनीकी शब्दावली से छात्रों की पहुँच में वृद्धि हो रही है।

मेडिकल क्षेत्र में : मरीजों से संवाद, प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा, तथा नर्सिंग जैसे क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग अत्यंत प्रभावी है। हिंदी में मेडिकल टर्मिनोलॉजी की उपलब्धता बढ़ रही है, जिससे प्रशिक्षण आसान हो रहा है। आयुष, होम्योपैथी, जनस्वास्थ्य, आदि में हिंदी पहले से ही प्रचलन में है।

भविष्य की दिशा :

द्विभाषिक मॉडल : हिंदी+अंग्रेज़ी का मिश्रित मॉडल अपनाया जा सकता है, जिससे भाषा बाधा न बने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी बनी रहे।

एआई आधारित अनुवाद और वॉयस टूल्स जैसे चैटजीपीटी, गूगल अनुवाद, भाषिणी आदि से अनुवाद को सरल बनाया जा सकता है।

शोध और पुस्तकों का हिंदी अनुवाद एवं लेखन बढ़ाया जाना चाहिए।

एनईपी 2020 (नई शिक्षा नीति) के तहत मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा का प्रावधान किया गया है – यह एक सकारात्मक संकेत है।

यदि उसे सुनियोजित रूप से लागू किया जाए तो हिंदी माध्यम से मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा का विकास निश्चित रूप से कारगर हो सकता है । यह भाषा सुलभता, क्षेत्रीय समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि, इसे अंग्रेज़ी विरोध नहीं, बल्कि हिंदी को सह-भाषा के रूप में स्थापित करने के रूप में देखना चाहिए।

"मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हिंदी माध्यम से तकनीकी विकास - संभावनाएँ, प्रभाव और व्यवहारिकता"।

मातृभाषा में विचार करना सहज है, और जब शिक्षा उसी भाषा में हो, तो ज्ञान आत्मसात होता है। हम सभी जानते हैं कि तकनीकी शिक्षा – विशेषकर मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में– अभी तक मुख्यतः अंग्रेज़ी माध्यम में संचालित होती रही है। परंतु क्या हिंदी माध्यम से यह तकनीकी शिक्षा और विकास संभव है? क्या यह कारगर सिद्ध हो सकता है?

भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या हिंदी भाषी है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के छात्रों को स्थानीय भाषा आसान लगती है। मातृभाषा में शिक्षा से विषयवस्तु की गहरी समझ विकसित होती है। यह केवल भाषा की बात नहीं,समझ की बात है।

हिंदी माध्यम की संभावनाएं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में -

गणित, भौतिकी, कंप्यूटर साइंस जैसी विषयवस्तु को हिंदी में समझाना सरल हो सकता है।

स्वयम्, एनपीटेल और एआईसीटीई जैसे प्लेटफॉर्म हिंदी में भी कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं। तकनीकी उपकरणों, योजनाओं, मशीनी कार्यों की समझ हिंदी में होने से स्थानीय नवाचार को बल मिलेगा।

मेडिकल क्षेत्र में : डॉक्टर–मरीज संवाद, नर्सिंग, प्राथमिक उपचार – इन सभी क्षेत्रों में हिंदी पहले से ही प्रभावी है। चिकित्सा शिक्षा का प्रारंभिक प्रशिक्षण हिंदी में हो सकता है जिससे छात्रों की आत्मविश्वास में वृद्धि हो।

व्यवहारिक बाधाएँ :

तकनीकी शब्दावली : अंग्रेज़ी के शब्दों के हिंदी में सटीक, सरल और मानकीकृत अनुवाद की कमी है ।

शोध और संसाधन: उच्च गुणवत्ता की हिंदी तकनीकी पुस्तकें और शोधपत्र बहुत कम हैं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी कंटेंट की वृद्धि एक सकारात्मक संकेत है।

मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे गंभीर और जटिल क्षेत्रों में हिंदी माध्यम से शिक्षा और तकनीकी विकास कोई कल्पना नहीं, एक व्यवहारिक और आवश्यक दिशा है। यह देश की प्रतिभा को, विशेषकर ग्रामीण और हिंदी भाषी युवाओं को, मुख्यधारा में लाने का माध्यम बन सकती है।

भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि चिंतन और नवाचार की चाभी है।

जब तकनीकी ज्ञान हमारी अपनी भाषा में मिलेगा, तभी भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सशक्त कदम बढ़ा पाएगा।

ज्ञान की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन भाषा में दिया गया ज्ञान, हृदय तक पहुँचता है।

हिंदी भाषा के विकास में तकनीकी उन्नति कई नए उपायों को संभव बना रही है।

यहां कुछ नवीनतम तकनीकी उपाय दिए गए हैं जो हिंदी के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं -

1. **नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP):** नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तकनीक हिंदी भाषा को समझने, अनुवाद करने, और संसाधित करने में मदद करती है। एनएलपी आधारित एल्गोरिदम्स हिंदी में सामग्री को समझते हैं और विभिन्न कार्यों के लिए संसाधित करते हैं।
2. **मशीन अनुवाद:** नवीनतम मशीन अनुवाद तकनीक हिंदी को अन्य भाषाओं में अनुवाद करने में मदद कर रही है। यह भाषा की सीमाओं को कम करता है और अंतरराष्ट्रीय संवाद में सहायता प्रदान करता है।
3. **वॉयस रिकॉग्निशन:** हिंदी में वॉयस रिकॉग्निशन से उपयोगकर्ताओं को आसानी से ध्वनि रूप में लिखने या बोलने या अनुकरण करने में सहायता मिलती है। यह उपाय विभिन्न सेक्टरों में उपयोगी होता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और व्यवसाय।
4. **ऑनलाइन साधनों का विकास:** हिंदी में ऑनलाइन साधनों का विकास विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि शिक्षा, संचार, व्यापार, और साहित्य में सुधार ला रहा है।
5. **शैक्षिक सामग्री:** हिंदी में शिक्षा सामग्री को बनाने और प्रस्तुत करने में नवीनतम तकनीकी उपायों का उपयोग हो रहा है । यह छात्रों को सही सामग्री और संसाधन प्रदान करने में मदद करती है।

सूचना-प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने वाली कंपनियों ने लगातार अपने उत्पादों का हिंदीकरण किया है। ऑपरेटिंग सिस्टमों के हिंदीकरण और नये सॉफ्टवेयरों से कंप्यूटर पर हिंदी में सूचना लेखन, पठन, वाचन, संग्रहण और संप्रेषण सहज हुआ है । प्रौद्योगिकी के दौर में हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं के प्रसार को बल मिला है । ज्यादातर देशी भाषाएं भूमंडलीकरण के दौर में तुरंत सूचना देने के दबाव में अनुवाद की भाषा बन कर रह गयी हैं । ये तकनीकी उपाय हिंदी भाषा के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं और इसे नए स्तर पर ले जा रहे हैं।

यात्रा और आत्मचिंतन: सफलता एवं नश्वरता की कहानी

सुरेश पी., महा प्रबंधक, केंद्रीय कार्यालय

वह आगे बढ़ा, और कुछ लोग उसके पीछे चल पड़े।। उसने कठिन रास्तों से अपना मार्ग प्रशस्त किया, असंख्य चुनौतियों का सामना किया। उसे कोई चीज़ रोक नहीं सकी, क्योंकि उसके भीतर आने वाली हर चुनौती को जीतने का उत्साह था। उसे निरंतर यात्रा में आने वाली बाधाएँ तुच्छ लगने लगीं। उसका सिद्धांत था—सिर्फ आगे देखो, पीछे मुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं।

उसका विश्वास था कि जो लोग उसके साथ हैं, वे हमेशा उसके साथ रहेंगे, उसी रास्ते पर चलते रहेंगे जो उसने बनाया है, और जो कुछ उसने पाया है, वह हमेशा उसका रहेगा। वह सलाह सुनने या स्वीकार करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वह हमेशा सही है।

समय बीता। वह बहुत आगे निकल आया। पर उसने ध्यान नहीं दिया कि जिनके साथ चलने का वह विश्वास करता था, उनमें से अनेक धीरे-धीरे दूर होते चले गए। उसे देर से एहसास हुआ कि जिन चीज़ों को वह अपनी उपलब्धि मानता था, वे अब उसकी नहीं रहीं, और कई लोग उसके रास्ते से भटक चुके थे।

असल ज़िंदगी में इस तरह के कई लोगों को हम सभी जानते हैं । जीवन में कुछ व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, जो सफलता प्राप्त करने पर अपनी यात्रा पर चिंतन करने से कतराते हैं। वे सोचते हैं कि जब अतीत चला गया है, तो उन्हें पीछे मुड़कर क्यों देखना और इसके बजाय अपनी आगे की यात्रा के लिए वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित किये रहते हैं ।

सफलता सापेक्ष है, और हर उपलब्धि की अपनी सुंदरता और शक्ति होती है। हालाँकि, जब सफलताओं की तुलना की जाती है, तो विभिन्न कारणों से वे एक दूसरे से श्रेष्ठ लग सकती हैं । यहीं पर चिंतन आवश्यक हो जाता है। अधिकांश लोग इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता हमेशा उनके साथ रहनी चाहिए और यह समझने में विफल रहते हैं कि सफलता हमेशा एक ही जगह पर नहीं टिकती।

जब तक आप वह प्रदान करते हैं जिसकी सफलता मांग करती है, वह आपके साथ रहेगी; अन्यथा, वह नए ठिकाने तलाशेगी। यही बात असफलता पर भी लागू होती है। एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहाँ खोने या पराजित होने के लिए कोई व्यक्ति न हो – तब कोई जीत नहीं होगी, क्योंकि जीत तभी होती है जब प्रतिद्वंद्वी होते हैं।

हर कोई सिकंदर महान की कहानी जानता है, जिसे इतिहास एक नायक के रूप में सम्मान देता है। महान जीत हासिल करने के बावजूद, जब सिकंदर ने दुनिया को अलविदा कहा, तो उसकी अंतिम इच्छा अधूरी रह गई। बेबीलोन में अपनी मृत्यु शय्या पर, सिकंदर ने अपनी माँ को आखिरी बार देखने की इच्छा ज़ाहिर की, लेकिन उसे डॉक्टरों से पता चला कि बेबीलोन से मैसेडोनिया पहुँचने के लिए पर्याप्त समय नहीं है।

सैनिकों ने पहली बार सिकंदर को रोते देखा—मृत्यु के भय से नहीं, बल्कि जीवन की निस्सारता के कारण। सिकंदर ने अपने सैनिकों को मृत्यु के बाद तीन कार्य करने का आदेश दिया: उसका ताबूत उन चिकित्सकों द्वारा उठाया जाए जिन्होंने उसका इलाज किया था, साथ में खाली और अनुपयोगी दवा की शीशियाँ रखी जाएँ; उसके द्वारा अर्जित धन, रत्न और सोना उस रास्ते पर बिखेर दिया जाए जहाँ से उसका ताबूत गुज़रे; और उसके खाली हाथ ताबूत से बाहर लटकाए जाएँ ताकि सब देख सकें।

सिकंदर इन कार्यों के माध्यम से जीवन की निस्सारता को दर्शाना चाहता था। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक उसे बचा नहीं सके। उसका धन उसे कोई वास्तविक लाभ नहीं दे सका। और उसके खाली हाथ यह दर्शाते हैं कि अपार सफलता और संपत्ति के बावजूद, वह इस संसार से कुछ भी साथ नहीं ले जा सका।

अंततः ,जो हम अपने लिए संचित करते हैं, वह नश्वर है;जो हम दूसरों के लिए करते हैं, वही शाश्वत है। ऐसे समय होते हैं जब हमारी सफलताएँ और उपलब्धियाँ अर्थहीन हो जाती हैं, लेकिन सच्ची जीत इस बात में निहित है कि हम उन्हें कैसे समझते हैं और उनका सामना कैसे करते हैं।

अक्षय ऊर्जा: संभावनाएं एवं चुनौतियां

संजय किशोर, महा प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली

21वीं सदी के इस दौर में, जब हमारा ग्रह जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकटों की आग में झुलस रहा है, अक्षय ऊर्जा अब केवल एक तकनीकी विकल्प नहीं रह गई है, बल्कि मानव जाति के अस्तित्व की शर्त बन चुकी है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की रिपोर्टें किसी चेतावनी से कम नहीं हैं। वे स्पष्ट रूप से बताती हैं कि यदि हम वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित नहीं कर पाए, तो समुद्र का बढ़ता स्तर, पिघलते हिमनद, असमान वर्षा, और भीषण बाढ़ व चक्रवात जैसे संकट हमारे जीवन को एक असहनीय दुःस्वप्न में बदल देंगे। भारत, जिसकी दो-तिहाई आबादी आज भी कृषि और प्रकृति पर निर्भर है, ऐसे संकटों से सबसे अधिक प्रभावित होगा। इसलिए, अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ना हमारे लिए सिर्फ एक पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायित्व भी है जिसे हम अब और नजरअंदाज नहीं कर सकते।

इस गंभीर चुनौती को समझते हुए, भारत सरकार ने पिछले एक दशक में एक ठोस और निर्णायक रणनीति अपनाई है। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में, हमने ने आश्वासन दिया था कि भारत अपनी 40% ऊर्जा क्षमता को 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करेगा। यह एक साहसिक लक्ष्य था, और भारत ने इसे लगभग समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। मार्च 2024 तक, हमारी नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 180 गीगावॉट को पार कर चुकी है, जिसमें 70 गीगावॉट से अधिक सौर ऊर्जा, 43 गीगावॉट पवन ऊर्जा और शेष जल विद्युत व बायोमास से आ रही है। आज दुनिया की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां, जैसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) और ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस (BNEF), खुले तौर पर मानती हैं कि भारत आने वाले वर्षों में अक्षय ऊर्जा की वैश्विक राजनीति का नेतृत्व करेगा। यह महज एक आँकड़ा नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के संकल्प की कहानी है।

भारत में अक्षय ऊर्जा की इस गाथा का सबसे बड़ा नायक निस्संदेह सूर्य है। सदियों से 'सूर्य की भूमि' कहलाने वाले भारत में औसतन प्रतिदिन सात – आठ घंटे तक प्रचुर धूप उपलब्ध रहती है, जो सौर ऊर्जा के लिए एक सशक्त आधार प्रदान करती है। इसी संभावना को भुनाने के लिए 2010 में "जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन" की शुरुआत की गई थी, जिसका लक्ष्य 2022 तक 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन था। हालाँकि हम इस लक्ष्य को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाए, पर 70 गीगावॉट से अधिक की उपलब्धि दर्ज करना एक बड़ी छलांग थी। अब हमारा लक्ष्य 2030 तक 280 गीगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन का है। राजस्थान के भादला में स्थित सौर पार्क, जिसकी क्षमता 2.25 गीगावॉट है, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र बन गया है, जो हमारी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी विशाल सौर परियोजनाएं काम कर रही हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ बड़े-बड़े पार्कों की नहीं है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना के माध्यम से, सरकार ने सौर ऊर्जा को सीधे किसानों के जीवन से जोड़ा है। उन्हें सौर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उनकी सिंचाई व्यवस्था सुधरी है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर अतिरिक्त आय भी कमा पा रहे हैं। यह एक ऐसा मॉडल है जो न केवल ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है।

सौर ऊर्जा के साथ-साथ, पवन ऊर्जा भी भारत की एक मजबूत संभावना है। तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में पवन टर्बाइन विशाल 'हवा मिलों' की तरह काम कर रही हैं। भारत सरकार ने अब **अपतटीय पवन ऊर्जा** की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं और गुजरात तथा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में 30 गीगावॉट की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेनमार्क और नीदरलैंड जैसे देश इस क्षेत्र में अग्रणी हैं, और भारत उनके अनुभव से सीख रहा है। जल विद्युत ऊर्जा भले ही भारत के लिए एक परंपरागत स्रोत रही हो, लेकिन बड़ी परियोजनाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक दुष्प्रभावों को देखते हुए अब छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर बल दिया जा रहा है। बायोमास और अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। हाल ही में दिल्ली नगर निगम ने अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, जो न केवल राजधानी में कचरे की समस्या का समाधान कर रहा है, बल्कि बिजली उत्पादन भी संभव बना रहा है। यह एक ऐसा कदम है जो बताता है कि कचरा भी 'सोना' बन सकता है।

परिवहन क्षेत्र, जो दुनिया के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जकों में से

एक है, को भी अक्षय ऊर्जा से जोड़ा जा रहा है। भारत सरकार ने **"नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन"** और **"फेम इंडिया"** जैसी योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया है। इलेक्ट्रिक वाहन सीधे तौर पर अक्षय ऊर्जा से जुड़े हैं क्योंकि यदि उन्हें चार्जिंग के लिए हरित ऊर्जा उपलब्ध कराई जाए, तो परिवहन क्षेत्र का कार्बन फुटप्रिंट तेजी से घटेगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक की रिपोर्टें बताती हैं कि भारत यदि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाता है, तो अगले दशक में लाखों नए रोजगार सृजित हो सकते हैं, जिससे देश की बेरोजगारी की समस्या को भी कम किया जा सकेगा।

अक्षय ऊर्जा की संभावनाएँ केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं हैं, यह आर्थिक आत्मनिर्भरता की कुंजी भी है। भारत हर वर्ष लाखों करोड़ रुपये का कच्चा तेल आयात करता है, जिससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव पड़ता है। यदि हम अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ते हैं, तो यह विदेशी मुद्रा की भारी बचत होगी, जिसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास परियोजनाओं में किया जा सकेगा। साथ ही, **"मेक इन इंडिया"** पहल के अंतर्गत सौर पैनल, बैटरी और पवन टरबाइन के निर्माण में भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। इससे न केवल हमारी आयात निर्भरता कम होगी, बल्कि लाखों रोजगार भी सृजित होंगे। जब कोई भारतीय कंपनी देश में ही सौर पैनल बनाती है, तो वह केवल एक उत्पाद नहीं बनाती, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है।

हालाँकि इन सभी संभावनाओं के साथ चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है **भंडारण तकनीक**। सौर और पवन ऊर्जा अस्थिर होती है क्योंकि सूर्य हर समय नहीं चमकता और हवा हमेशा नहीं बहती। ऐसे में ऊर्जा भंडारण के लिए बैटरी तकनीक को उन्नत बनाना होगा। लीथियम-आयन बैटरी अभी महँगी हैं और इनके लिए आवश्यक लीथियम भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। सरकार ने हाल ही में लद्दाख और राजस्थान में लीथियम के भंडार खोजे हैं, लेकिन इसके व्यावसायिक दोहन में समय लगेगा। एक और चुनौती **ऊर्जा वितरण** की है। राज्य बिजली वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम्स) पहले से ही घाटे में चल रही हैं। यदि वे अक्षय ऊर्जा को खरीदने और ग्रिड में समायोजित करने में सक्षम नहीं होंगी, तो यह पूरी प्रक्रिया प्रभावित होगी। इसके लिए "ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर" परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत अक्षय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने के लिए आधुनिक ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाया जा रहा है।

तीसरी चुनौती **वित्तीय** है। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में शुरुआती लागत अधिक होती है। हालाँकि लंबे समय में यह लाभदायक साबित होती है, लेकिन निवेशकों को जोखिम कम करने के लिए सरकार को और सब्सिडी तथा रियायती ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय **सौर गठबंधन** (ISA), जिसे भारत और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया, इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 100 से अधिक देशों की सदस्यता वाला यह संगठन विकासशील देशों को अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त और तकनीक उपलब्ध करा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र संघ भी सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा को प्राथमिकता दे रहा है। सतत विकास लक्ष्य के तहत वर्ष 2030 तक सभी को सस्ती, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा उपलब्ध कराई जाना निर्धारित किया गया है। भारत इस दिशा में तेज़ी से कार्य कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र ने इसकी सराहना की है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत आने वाले वर्षों में ऊर्जा की मांग में सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाला देश होगा। ऐसे में यदि भारत अक्षय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करता है, तो यह न केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार को भी प्रभावित करेगा। अमेरिका और यूरोप के कई देश पहले ही भारत के साथ हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग कर रहे हैं।

हरित हाइड्रोजन को ऊर्जा का भविष्य माना जा रहा है। भारत ने **"राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन"** की शुरुआत की है जिसका लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन है। यह न केवल उद्योगों में कोयला और प्राकृतिक गैस का विकल्प बनेगा बल्कि निर्यात के लिए भी नए अवसर पैदा करेगा।

सामाजिक दृष्टि से अक्षय ऊर्जा का विस्तार बेहद अहम है। जब गाँव में सौर मिनी-ग्रिड लगने से बिजली आती है, तो वहाँ केवल रोशनी ही नहीं आती, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर भी आते हैं। जब शहर का मध्यमवर्गीय परिवार अपनी छत पर सौर पैनल लगाता है, तो वह न केवल अपने बिजली बिल में कमी देखता है बल्कि उसे यह आत्मसंतोष भी मिलता है कि उसने पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया है। यदि हम इसे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें, तो भारत की परंपरा में प्रकृति पूजन का भाव गहराई से जुड़ा रहा है। सूर्य, वायु, जल और अग्नि – ये सब हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। जब हम सौर ऊर्जा को अपनाते हैं, तो यह केवल एक

तकनीक नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटना भी है।अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका भविष्य में और निर्णायक होगी। जैसे-जैसे दुनिया कार्बन न्यूट्रल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेगी, वैसे-वैसे विकासशील देशों के लिए भारत एक मार्गदर्शक बनेगा। अफ्रीका और एशिया के छोटे देशों के लिए भारत की नीतियाँ और तकनीकी साझेदारी एक मॉडल का काम करेंगी। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत में होना इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।

अब जब हम 2047 की ओर देखते हैं, तो यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि भारत का हर घर अक्षय ऊर्जा से रोशन होगा। कोयला आधारित बिजलीघर इतिहास के संग्रहालयों में दर्ज होंगे और स्कूलों के बच्चे उन्हें देखकर यह सोचेंगे कि कभी इंसान ने पृथ्वी को इतना प्रदूषित भी किया था। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में हवा उतनी ही स्वच्छ होगी जितनी आज किसी पहाड़ी क्षेत्र में होती है। गंगा और यमुना जैसी नदियाँ उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण से मुक्त होंगी क्योंकि वे उद्योग ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। ग्रामीण भारत में हर घर ऊर्जा आत्मनिर्भर होगा और लोग यह गर्व से कह सकेंगे कि उन्होंने अपनी ऊर्जा खुद पैदा की है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अक्षय ऊर्जा की यात्रा अभी अधूरी है, लेकिन दिशा सही है। संभावनाएँ अनंत हैं और चुनौतियाँ बड़ी। परन्तु मानवता के पास विकल्प नहीं है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट हमें मजबूर करते हैं कि हम अक्षय ऊर्जा को ही भविष्य का आधार बनाएं। भारत ने इस दिशा में जो कदम उठाए हैं, वे न केवल अपने नागरिकों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा हैं। यह समय केवल नीतियाँ बनाने या परियोजनाएँ शुरू करने का नहीं, बल्कि एक सामूहिक संकल्प का है। सरकार, उद्योग, समाज और नागरिक – यदि सभी मिलकर अक्षय ऊर्जा को अपनाएँ, तो आने वाले दशकों में भारत दुनिया के सामने यह उदाहरण रख सकेगा कि सतत विकास केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक साकार वास्तविकता भी हो सकता है। भारत की गाथा हमेशा से संघर्ष और विजय की रही है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम ने हमें आज़ादी दिलाई, वैसे ही यह "ऊर्जा संग्राम" हमें प्रदूषण और निर्भरता से मुक्ति दिलाएगा। जब 2047 में देश अपनी स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे करेगा, तब हम यह कह सकेंगे कि भारत ने न केवल राजनीतिक आज़ादी प्राप्त की, बल्कि ऊर्जा की भी स्वतंत्रता हासिल की। और यही होगी अक्षय ऊर्जा की सबसे बड़ी विजय।

बचत की आदत – अपनी सुरक्षा की ताक़त

बचत है दीपक, जो अंधेरे में जलता,
मुश्किल घड़ी में मन को संबल देता।
आज की थोड़ी-सी सावधानी,
कल को बनाती है सुखमय कहानी।

पैसे को सिर्फ़ ख़र्च न मानो,
सपनों की धरोहर भी पहचानो।
हर सिक्का, हर नोट जो बचाओ,
भविष्य की नींव मज़बूत बनाओ।

जीवन की राहें आसान नहीं,
कल कौन-सी परिस्थिति आए कहीं।
बचत बनेगी ढाल तुम्हारी,
मुसीबत में सच्ची सहकारी।

सपनों का घर, बच्चों की पढ़ाई,
या हो भविष्य की कोई लड़ाई।
हर चाहत में, हर मंज़िल में,
बचत ही सहारा है जीवन के क़ाफ़िलें में।

छोटे-छोटे कदम ही आगे बढ़ाते,
सागर भी बूँद-बूँद से ही भर जाते।
तो क्यों न आज से आदत बनाएँ,
आय का कुछ हिस्सा सहेजते जाएँ।

बचत से मिलती है आत्मशक्ति,
ये है सुरक्षा, सुकून और भक्ति।
संसार में जो सबसे बड़ी संपत्ति,
वह है बचत—जीवन की सच्ची समृद्धि।

तो आओ मिलकर सब ये ठानें,
बचत की आदत जीवन में लाएँ।
बचत है भविष्य की सच्ची गारंटी,
ये देती है सुख, सुरक्षा और शांति।

हनी दीक्षित
प्रबन्धक
क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद

प्लास्टिक: क्रांतिकारी आविष्कार से वैश्विक प्रदूषण संकट तक

शिव कुमार यादव, वरिष्ठ प्रबंधक, जोखिम प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय

प्लास्टिक का जन्म: मानव बुद्धिमत्ता का चमत्कार

प्लास्टिक, जैसा कि हम आज जानते हैं, इसकी यात्रा 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुई थी। पहला सिंथेटिक प्लास्टिक 1869 में जॉन वेस्ली हयात ने आविष्कार किया था, जो बिलियर्ड गेंदों में इस्तेमाल होने वाले हाथी के दांत का विकल्प खोज रहे थे। उन्होंने सेलुलॉइड नामक एक पदार्थ बनाया, जो सेलुलोज से प्राप्त होता है और विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है। यह आविष्कार एक नए युग की शुरुआत थी—जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को मानव निर्मित पदार्थों से बदला जा सकता था।

1907 में, लियो बेकेलैंड ने बेकलाइट पेश किया, जो पहला पूर्ण रूप से सिंथेटिक प्लास्टिक था और किसी भी प्राकृतिक तत्व पर निर्भर नहीं था। यह टिकाऊ, गर्मी-प्रतिरोधी और बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जा सकता था। प्लास्टिक का आविष्कार विज्ञान और उद्योग की एक बड़ी जीत मानी गयी । इसने निर्माण, पैकेजिंग, चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य क्षेत्रों में क्रांति ला दी। हल्का, बहुपरकारी और सस्ता—प्लास्टिक 20वीं सदी का चमत्कारी पदार्थ बन गया।

दूसरी ओर: प्लास्टिक प्रदूषण का उदय

जो कभी प्रगति का प्रतीक था, वह अब एक वैश्विक पर्यावरणीय संकट बन चुका है। प्लास्टिक की वही विशेषताएँ—टिकाऊपन और विघटन के प्रति प्रतिरोध—जो इसे आकर्षक बनाती थीं, अब इसे सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में बने रहने देती हैं।

1950 के दशक तक, प्लास्टिक उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई। आज, दुनिया भर में हर साल 400 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है, और इसका एक बड़ा हिस्सा कचरे के रूप में समाप्त होता है। सिंगल-यूज़ प्लास्टिक, जैसे बैग, बोतलें, स्ट्रॉ और पैकेजिंग, विशेष रूप से समस्याग्रस्त हैं। इन्हें कुछ मिनटों के लिए उपयोग किया जाता है लेकिन ये सदियों तक पर्यावरण में बने रहते हैं।

प्लास्टिक प्रदूषण पृथ्वी के हर कोने को प्रभावित करता है—सबसे गहरे महासागर से लेकर सबसे ऊँचे पर्वत तक। माइक्रोप्लास्टिक पीने के पानी, भोजन और यहाँ तक कि मानव रक्त में भी पाया गया है। समुद्री जीव प्लास्टिक को भोजन समझकर निगल लेते हैं, जिससे उन्हें चोट लग सकती है या मृत्यु हो सकती है। इसके पारिस्थितिक और स्वास्थ्य प्रभाव अत्यंत गंभीर हैं।

भारत में प्लास्टिक प्रदूषण: एक बढ़ती चुनौती

भारत, अपनी विशाल जनसंख्या और तीव्र शहरीकरण के कारण, एक गंभीर प्लास्टिक प्रदूषण संकट का सामना कर रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, भारत हर साल लगभग 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है, जिसमें से केवल 60% ही पुनःचक्रित होता है। बाकी कचरा लैंडफिल, नदियों और समुद्रों में चला जाता है।

भारत में प्रमुख समस्याएँ:

- ★ सिंगल-यूज़ प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, विशेष रूप से पैकेजिंग और रिटेल में।
- ★ अनौपचारिक कचरा प्रबंधन प्रणाली इस मात्रा को संभालने में असमर्थ।
- ★ उपभोक्ताओं और व्यवसायों में टिकाऊ विकल्पों के प्रति जागरूकता की कमी।
- ★ शहरी बाढ़ की समस्या प्लास्टिक कचरे द्वारा नालियों के जाम होने से बढ़ती है।
- ★ मुंबई, चेन्नै और कोच्चि जैसे तटीय शहरों में समुद्री प्रदूषण बढ़ रहा है।

भारत की प्रतिक्रिया: प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ाई

भारत ने नीति सुधार, जनभागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, जो पहली बार 2016 में लागू किए गए और 2021 व 2022 में संशोधित किए गए, प्लास्टिक उपयोग को नियंत्रित करने और विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR) को लागू करने की नींव रखते हैं। यह नियम निर्माताओं को उनके प्लास्टिक उत्पादों के पूरे जीवनचक्र के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं।

जुलाई 2022 में, भारत ने 19 सिंगल-यूज़ प्लास्टिक वस्तुओं पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया, जिसमें स्ट्रॉ, कटलरी और पॉलीस्टायरीन शामिल हैं। यह उपभोक्ता और उद्योग व्यवहार में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है।

2025 में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने "वन नेशन, वन मिशन: एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन" अभियान की शुरुआत की, जो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। यह पहल मिशन LiFE (Lifestyle for Environment) के अनुरूप है और जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी और टिकाऊ विकल्पों के विकास को बढ़ावा देती है। इस अभियान के अंतर्गत सफाई अभियान, शैक्षिक कार्यक्रम और सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यावरण-अनुकूल

जीवनशैली को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

वैश्विक प्रयास: अग्रणी देश क्या कर रहे हैं

कई देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं। यहाँ कुछ प्रेरणादायक उदाहरण दिए गए हैं:

1. रवांडा: प्लास्टिक-मुक्त अग्रणी देश

रवांडा ने 2008 में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया, जो वैश्विक स्तर पर सबसे पहले और सफल प्रतिबंधों में से एक था। यह देश सख्त दंड लागू करता है और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की मजबूत संस्कृति विकसित कर चुका है। राजधानी किगाली अब अफ्रीका के सबसे स्वच्छ शहरों में गिनी जाती है।

2. यूरोपीय संघ: व्यापक कानून

EU ने सिंगल-यूज़ प्लास्टिक वस्तुओं जैसे कटलरी, प्लेट और स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाने वाला निर्देश लागू किया है। यह विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR) को भी अनिवार्य करता है, जिससे निर्माता अपने उत्पादों के जीवनचक्र का प्रबंधन करते हैं।

3. कनाडा: राष्ट्रीय प्रतिबंध

कनाडा ने 2022 में बैग, स्ट्रॉ और टेकआउट कंटेनर जैसे सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया। सरकार सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देती है, जो पुनः उपयोग और पुनःचक्रण को प्रोत्साहित करती है।

4. जापान: पुनःचक्रण में नवाचार

जापान लगभग 85% प्लास्टिक कचरे को उन्नत छंटाई और दहन तकनीकों के माध्यम से पुनःचक्रित करता है। देश उपभोक्ता जिम्मेदारी पर जोर देता है और एक अत्यधिक संगठित कचरा पृथक्करण प्रणाली रखता है।

5. चिली: बैग प्रतिबंध और इको-लेबलिंग

चिली दक्षिण अमेरिका का पहला देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया। इसने उपभोक्ताओं को टिकाऊ उत्पादों की पहचान में मदद करने के लिए इको-लेबलिंग भी शुरू की।

ये देश सिखाते हैं कि मजबूत नीति, जन जागरूकता और नवाचार के साथ प्लास्टिक प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं?

सरकारी नीतियाँ और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रयास भी प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं। आप निम्नलिखित तरीकों से योगदान दे सकते हैं:

- सिंगल-यूज़ प्लास्टिक से इनकार करें।
- प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ, कटलरी और पैकेजिंग को ना कहें। कपड़े के बैग, धातु के स्ट्रॉ और कांच के कंटेनर जैसे पुनः उपयोग योग्य विकल्प साथ रखें।
- उपभोग कम करें-थोक में खरीदारी करें ताकि पैकेजिंग कम हो। न्यूनतम या बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग वाले उत्पाद चुनें। अनावश्यक प्लास्टिक वाले तात्कालिक खरीद से बचें।
- **पुनः उपयोग और पुनः उद्देश्य निर्धारण करें:** प्लास्टिक वस्तुओं को फेंकने से पहले सोचें कि क्या इन्हें दोबारा उपयोग किया जा सकता है। पुराने कंटेनर स्टोरेज के लिए और बोतलें पौधों के गमले या कला सामग्री के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं।
- **सही तरीके से पुनःचक्रण करें:** स्थानीय पुनःचक्रण नियमों को जानें। कचरे को साफ करें और अलग करें। सामुदायिक पुनःचक्रण पहलों का समर्थन करें।
- **टिकाऊ ब्रांडों का समर्थन करें:** ऐसे ब्रांड चुनें जो पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करते हैं और पारदर्शी स्थिरता प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। आपकी खरीद शक्ति बदलाव ला सकती है।
- **शिक्षा और प्रचार करें:** दोस्तों, परिवार और समुदाय में जागरूकता फैलाएँ। सफाई अभियान, कार्यशालाओं और अभियानों में भाग लें। बेहतर कचरा प्रबंधन नीतियों को अपनाएं।
- **जैविक कचरे का कम्पोस्ट करें:** भोजन और बगीचे के कचरे को कम्पोस्ट करके आप लैंडफिल में जाने वाले कचरे की मात्रा कम कर सकते हैं, जहाँ यह अक्सर प्लास्टिक के साथ मिल जाता है।

सजग उपभोक्ता बनें,सवाल पूछें: क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? क्या इसका प्लास्टिक-मुक्त विकल्प है? क्या मैं किसी मौजूदा वस्तु का पुनः उपयोग कर सकता हूँ?

निष्कर्ष: यह एक साझा जिम्मेदारी है, प्लास्टिक प्रदूषण केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है—यह एक सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौती भी है। आविष्कार से संकट तक की यात्रा हमें सिखाती है कि नवाचार के साथ जिम्मेदारी भी आवश्यक है। भारत, कई देशों की तरह, एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। यदि नीति निर्माता से लेकर नागरिक तक सभी मिलकर प्रयास करें, तो हम इस संकट को पलट सकते हैं।

समाधान प्लास्टिक को दोष देने में नहीं, बल्कि इसे समझदारी से प्रबंधित करने में है। हमें "लेना-उत्पादन-फेंकना" मॉडल से हटकर एक सर्कुलर इकोनॉमी की ओर बढ़ना होगा, जहाँ सामग्री का पुनः उपयोग और पुनः निर्माण होता है। हर छोटा कदम मायने रखता है। हर चयन महत्वपूर्ण है।

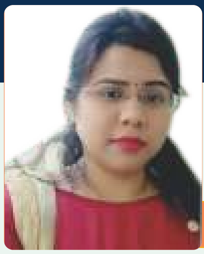

विशेष आलेख

कैथी लिपि: उद्भव, ऐतिहासिक महत्व और पुनरुद्धार के प्रयास

नेहा रंजन, प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल

कैथी, जिसे कायथी या कायस्थी के नाम से भी जाना जाता है, कोई भाषा नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक और ध्वन्यात्मक लिपि है जिसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग विशेष रूप से भोजपुरी, मगही, मैथिली, वज्जिका, अंगिका, अवधी और हिंदुस्तानी जैसी इंडो-आर्यन भाषाओं को लिपिबद्ध करने के लिए होता था। कैथी का ऐतिहासिक महत्व इस बात में निहित है कि यह सदियों तक प्रशासनिक, न्यायिक, वाणिज्यिक और व्यक्तिगत संचार का एक प्रमुख माध्यम रही है।

1. "कैथी" नाम की उत्पत्ति "कायस्थ" समुदाय से हुई है, जो पारंपरिक रूप से भारत में प्रशासक, लेखक और लेखाकार के रूप में कार्य करते थे। कायस्थ लोग उस समय के राजघरानों और बाद में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन से निकटता से जुड़े थे और उन्हें कानूनी दस्तावेजों, राजस्व अभिलेखों और दरबारी अभिलेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया जाता था। जिस लेखन शैली का उपयोग कायस्थों द्वारा किया जाता था, उसे ही कालांतर में "कायथी" या "कैथी" के नाम से जाना जाने लगा। यह नामकरण सीधे तौर पर इस तथ्य को रेखांकित करता है कि इस लिपि की जड़ें सीधे तौर पर उस सामाजिक समूह से जुड़ी हैं जिसने इसे विकसित किया, इसे संस्थागत रूप दिया और इसकी लोकप्रियता को शिखर तक पहुंचाया।

2. उद्भव और ऐतिहासिक विकास: सदियों का सफर

2.1. उत्पत्ति के सूत्र: कैथी लिपि की जड़ें प्राचीन ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से जुड़ी हैं, जिसने गुप्त काल में गुप्तलिपि और बाद में कुटिल लिपि को जन्म दिया। भाषाई विकास के इस क्रम में, कैथी पांचवीं-छठी शताब्दी के आसपास अस्तित्व में आई। इस लिपि की प्राचीनता का एक महत्वपूर्ण प्रमाण यह है कि गुप्त काल के शासकीय अभिलेखों और शिलालेखों में भी इसके उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। पटना संग्रहालय में एक स्टोन स्क्रिप्ट भी संरक्षित है जिसमें कैथी लिपि का उपयोग किया गया है। यह भाषाई विकास दर्शाता है कि कैथी कोई हालिया या आकस्मिक लिपि नहीं थी, बल्कि इसका एक गहरा ऐतिहासिक और भाषाई आधार रहा है।

2.2. स्वर्ण युग: मुगल काल और शेरशाह सूरी का संरक्षण
अपने शुरुआती विकास के बाद, कैथी लिपि ने मुगल काल के दौरान अपना स्वर्णिम युग देखा। इस अवधि में इसका प्रयोग अपनी पराकाष्ठा पर था। विशेष रूप से, शासक वर्ग में सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने 1540 में इसे अपने दरबार में शामिल कर इसे संस्थागत संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने अपने कारकुनों (scribes) को सरकारी दस्तावेज फारसी के साथ-साथ कैथी में भी लिखने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, शेरशाह ने अपने राज्य में व्यावसायिक लेनदेन की सुविधा के लिए अपनी मोहरें भी फारसी के साथ-साथ कैथी लिपि में बनवाई थीं। शेरशाह सूरी जैसे एक महत्वपूर्ण शासक द्वारा कैथी को आधिकारिक दर्जा देना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि यह केवल एक लोकलिपि नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक दक्षता के लिए एक विश्वसनीय और व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त भी थी। इस महत्वपूर्ण संस्थागत समर्थन ने इसकी व्यापकता को और अधिक बढ़ाया और इसे जनसाधारण के बीच और भी लोकप्रिय बना दिया।

2.3. ब्रिटिश काल में आधिकारिक मान्यता और प्रसार
मुगल काल के बाद भी कैथी की प्रासंगिकता बनी रही। 1880 के दशक में, ब्रिटिश राज ने इसकी लोकप्रियता और प्रशासनिक उपयोगिता को देखते हुए, इसे प्राचीन बिहार के न्यायालयों में आधिकारिक लिपि का दर्जा दिया। इस मान्यता को खगड़िया जिले के न्यायालय में भी वैधानिक रूप से लागू किया गया। उस समय सरकारी गजट (Gazette) भी इसी लिपि में प्रकाशित किए जाते थे, जो इसकी आधिकारिक स्थिति को पुष्ट करता है। ब्रिटिश सरकार ने कैथी के मानकीकृत होने के बाद इसके लिए धातु फ़ॉन्ट और मुद्रण सुविधाएँ भी विकसित की थीं और जनगणना कार्यक्रम तथा लेखांकन अभिलेख भी इसी लिपि में मुद्रित किए गए थे।

3. कैथी की विशिष्टताएँ और बहुआयामी उपयोग

3.1. लेखन शैली और भाषाई विशेषताएँ कैथी लिपि अपनी लेखन शैली की कुछ विशिष्ट विशेषताओं के कारण व्यापक रूप से लोकप्रिय हुई थी। इसकी सबसे महत्वपूर्ण खासियत अक्षरों का शिरोरेखा-रहित होना है। शिरोरेखा की अनुपस्थिति से यह लिपि बहुत तेजी से और लगातार लिखी जा सकती थी, जो उन दिनों में विशेष रूप से उपयोगी था जब लोग ताम्रपत्रों, कपड़ों और पत्तों पर लिखा करते थे और बार-बार स्याही में कलम डुबोनी पड़ती थी। इसके अलावा, देवनागरी लिपि की तरह इसमें मात्रा, चंद्रबिंदु, हलंत और शब्दों को मिलाने के जटिल

नियम नहीं थे, जिससे इसे सीखना और उपयोग करना आम जनता, महिलाओं और कम शिक्षित वर्ग के लिए बेहद आसान हो गया था । कैथी वर्णमाला देवनागरी के समरूप है, लेकिन इसमें कुछ संयुक्ताक्षरों (जैसे ऋ, लृ, श्र, क्ष, ज्ञ) का प्रयोग नहीं होता था । इसी कारण, यह संस्कृत भाषा और उसके साहित्य के लिए अनुपयुक्त थी, लेकिन लोकभाषाओं को लिखने के लिए यह अत्यंत अनुकूल मानी जाती थी । कैथी के तीन स्थानीय रूप भी प्रचलित थे: भोजपुरी, मगही और तिरहुती (मैथिली)

3.2. भौगोलिक विस्तार और संबद्ध भाषाएँ कैथी लिपि का भौगोलिक विस्तार अत्यंत व्यापक था। इसका प्रयोग मुख्य रूप से वर्तमान बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश (गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती), बंगाल के पश्चिमी भागों और नेपाल के तराई क्षेत्रों में होता था । इसकी उपयोगिता इतनी थी कि इस क्षेत्र से पलायन कर त्रिनिदाद और मॉरीशस जैसे देशों में बसे प्रवासी भारतीयों ने भी इस लिपि का बहुलता से उपयोग किया । कैथी का उपयोग भोजपुरी, मगही, मैथिली, वज्जिका, अंगिका, अवधी, हिंदुस्तानी और नागपुरी जैसी कई इंडो-आर्यन भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता था, जो इसकी बहुमुखी प्रकृति को दर्शाता है ।

3.3. प्रशासनिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक भूमिका कैथी की विशिष्टता न केवल इसकी संरचना में थी, बल्कि इसकी बहुआयामी भूमिका में भी थी। यह सदियों तक न्यायिक और प्रशासनिक दस्तावेजों, जैसे सरकारी कामकाज, जमीन के खतियान और थानों में प्राथमिकी लिखने का प्रमुख माध्यम थी । इस लिपि को "महाजनी लिपि" भी कहा जाता था क्योंकि महाजन सैकड़ों वर्षों से अपने बहीखाते और व्यावसायिक लेनदेन के अभिलेख इसी में लिखते थे । इसकी सरलता के कारण यह एक जनलिपि बन गई थी, जिसका उपयोग आम लोग, महिलाएं और कम शिक्षित वर्ग भी अपनी अभिव्यक्ति के लिए करते थे। यहां तक कि जब देवनागरी उतनी प्रचलित नहीं थी, तब कैथी में ही साहित्य, कविता, नाटक और उपन्यास लिखे जाते थे । चंपारण आंदोलन के लिए महात्मा गांधी को बिहार लाने वाले राजकुमार शुक्ल जो पेशे से किसान थे और चंपारण सत्याग्रह में उनके योगदान के लिए पहली बार 16 अक्तूबर 2000 को 300 रूपये का और 18 सितंबर 2018 में उनके नाम का स्मारक डाक टिकट जारी क्यी गया । राजकुमार शुक्ल जी अपनी डायरी कैथी लिपि में लिखा करते थे, जो इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रासंगिकता का एक और प्रमाण है ।

4. कैथी का पतन: एक बहुआयामी विश्लेषण कैथी का पतन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी कारकों के एक जटिल संगम का परिणाम था। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया थी, जिसके विभिन्न पहलू एक-दूसरे से जुड़े हुए थे।

4.1. सामाजिक और सांस्कृतिक कारक कैथी का पतन केवल राजनीतिक और संस्थागत उपेक्षा का परिणाम नहीं था, बल्कि एक सामाजिक संघर्ष का भी परिणाम था। धर्मशास्त्रों की शिक्षा पहले से ही देवनागरी लिपि में दी जाती थी, जिससे यह धार्मिक और बौद्धिक हलकों में अधिक प्रतिष्ठित मानी जाती थी । इसके विपरीत, कैथी को एक जनलिपि माना जाता था। बाद के समय में, अभिजात वर्ग (elite class) में शामिल होने की चाह में लोगों ने हिंदी को अपनाया, जिससे कैथी को लोगों ने धीरे-धीरे भुला दिया । इसके साथ ही, अंग्रेजों ने अंग्रेजी सीखने को बढ़ावा दिया और यह भ्रम फैलाया कि 'अंग्रेजों से बेहतर कुछ भी नहीं' । इस मानसिकता ने लोगों को तेजी से अंग्रेजी और देवनागरी की ओर आकर्षित किया, जिससे कैथी को और भी किनारे कर दिया गया ।

4.2. तकनीकी और शैक्षिक कारक तकनीकी विकास ने भी कैथी के पतन को गति दी। मुद्रण यंत्रों और टंकण की सुविधा देवनागरी के लिए तो विकसित हो गई, लेकिन कैथी लिपि के लिए पर्याप्त फॉन्ट और टंकण यंत्र उपलब्ध नहीं थे । यह एक बड़ी तकनीकी बाधा बन गई, जिसने लिपि के व्यापक मुद्रण और प्रसार को सीमित कर दिया। इसके अलावा, 19वीं सदी के मध्य तक स्कूली शिक्षा में कैथी का प्रचलन था, लेकिन बाद में इसे शैक्षणिक पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। इस शैक्षिक बहिर्गमन ने नई पीढ़ी के लिए इसे सीखना और उपयोग करना असंभव बना दिया, जिससे लिपि धीरे-धीरे हाशिए पर चली गई और सीमित लोगों तक सिमट कर रह गई ।

5. पुनरुत्थान के प्रयास और आधुनिक प्रासंगिकता कैथी लिपि का पतन हो चुका है और यह विलुप्त होने के कगार पर है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। आधुनिक युग में इसके पुनरुद्धार के प्रयास मुख्य रूप से एक ठोस, व्यावहारिक और कानूनी आवश्यकता से प्रेरित हैं।

5.1. कानूनी और प्रशासनिक अनिवार्यता आज भी बिहार और उत्तर प्रदेश में हजारों पुराने सरकारी दस्तावेज, खासकर भूमि के खतियान, कैथी लिपि में लिखे हुए हैं । पुराने अभिलेखों को न पढ़ पाने के कारण भूमि से जुड़े कई कानूनी विवाद और विशेष सर्वेक्षण के कार्यों में गंभीर समस्याएं आ रही हैं, जिसके लिए आज भी कैथी के जानकार लोगों की आवश्यकता है । यह स्थिति दर्शाती है कि कैथी के पुनरुत्थान का मुख्य कारण केवल

सांस्कृतिक गौरव नहीं, बल्कि एक ठोस, कानूनी और प्रशासनिक आवश्यकता है। यह स्थिति इस बात का उदाहरण है कि इतिहास केवल अतीत का विषय नहीं है, बल्कि वर्तमान की समस्याओं का मूल भी हो सकता है।

5.2. तकनीकी पहल: डिजिटलीकरण और यूनिकोड आधुनिक तकनीक ने कैथी लिपि को पुनर्जीवित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2009 में, कैथी को यूनिकोड मानक 5.2 में शामिल किया गया, जिससे इसे डिजिटल दुनिया में जगह मिली और इसके संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया । हाल ही में, बिहार सरकार ने एक क्रांतिकारी पहल की है, जिसके तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पुराने अभिलेखों का देवनागरी में अनुवाद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की सहायता लेने का निर्णय लिया गया है । इस परियोजना के लिए डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन (DIBD) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं । यह एक महत्वपूर्ण तकनीकी समाधान है जो दशकों पुरानी समस्या को हल करने की क्षमता रखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके, सरकार न केवल पुराने दस्तावेजों को सुरक्षित कर रही है, बल्कि उन्हें व्यापक जनता के लिए सुलभ भी बना रही है, जिससे कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में क्रांति आ रही है।

5.3. शैक्षणिक और सांस्कृतिक पहल तकनीकी प्रयासों के साथ-साथ, शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी कैथी को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों ने कैथी लिपि में छह महीने के ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए हैं । इन पाठ्यक्रमों में नेपाल और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे दूरस्थ स्थानों के छात्र भी शामिल हैं, जो इसकी प्रासंगिकता को दर्शाता है । इसके अलावा, भागलपुर संग्रहालय परिसर और बक्सर संग्रहालय जैसे स्थानों पर कैथी और तिरहुता लिपियों को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रोफेसरों, वकीलों और सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

6. निष्कर्ष: भविष्य की दिशा और स्थायी समाधान कैथी लिपि का एक गौरवशाली इतिहास है, जो गुप्त काल से लेकर ब्रिटिश राज तक फैला हुआ है और जिसने पूर्वी और उत्तरी भारत के प्रशासनिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका पतन केवल तकनीकी या भाषाई कारणों से नहीं हुआ, बल्कि यह सामाजिक, राजनीतिक और संस्थागत उपेक्षा का परिणाम था, जिसमें देवनागरी के मानकीकरण और अंग्रेजी के वर्चस्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक युग में इसकी प्रासंगिकता मुख्य रूप से हजारों पुराने भूमि अभिलेखों और कानूनी विवादों को सुलझाने की आवश्यकता से जुड़ी है। इसके पुनरुत्थान के प्रयास शुरू हो गए हैं, लेकिन तकनीकी समाधानों (जैसे AI और यूनिकोड) और मानव-आधारित प्रशिक्षण के बीच एक स्पष्ट विसंगति मौजूद है।

कैथी के स्थायी पुनरुद्धार के लिए सरकार को केवल तकनीकी परियोजनाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों और प्रशिक्षकों को पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करना अनिवार्य है ताकि मानव संसाधन का एक मजबूत आधार तैयार हो सके। इसके साथ ही, लिपि को एक मानकीकृत रूप देकर इसे स्कूली और विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रमों में शामिल करना आवश्यक है। इससे यह नई पीढ़ी तक पहुंच पाएगी और इसका उपयोग केवल कानूनी दस्तावेजों तक सीमित न रहकर एक जीवित विरासत के रूप में हो पाएगा। कैथी लिपि को संरक्षित करना केवल एक कानूनी या प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक दायित्व है ताकि भविष्य की पीढ़ियाँ अपनी समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी रहें। इसे एक जीवित विरासत के रूप में देखने और इसे बचाने के लिए संस्थागत समर्थन प्रदान करने से ही यह लिपि अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर सकेगी।

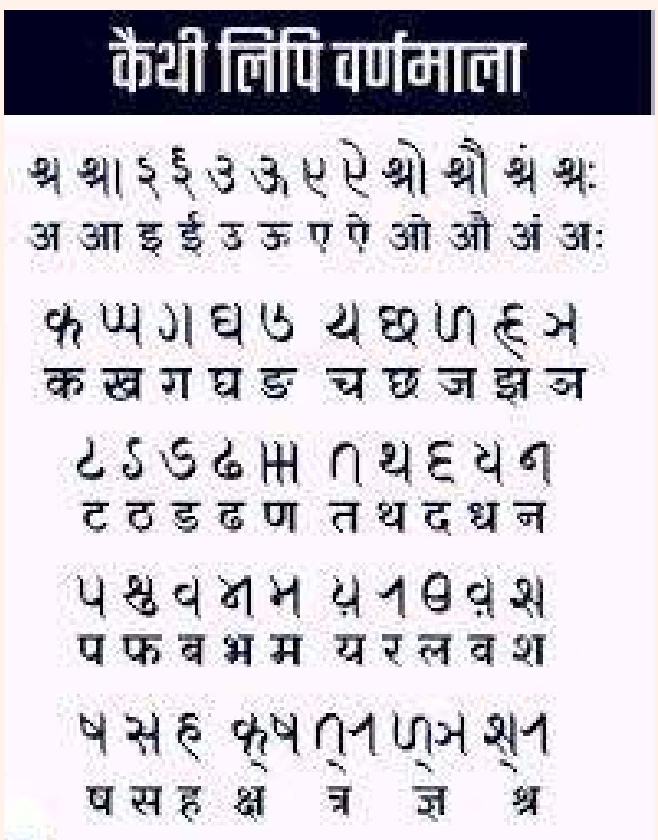

छोटी बचत का बड़ा महत्व

चंद्र कांत, वरिष्ठ प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय ब्रह्मपुर

परिचय

आज की तेज़ रफ्तार और अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में वित्तीय सुरक्षा एक ऐसी आवश्यकता बन गई है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब अचानक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है — यानी नौकरी का जाना, बीमारी, या कोई अन्य आपातकालीन स्थिति। ऐसे समय में अगर व्यक्ति के पास बचत होती है, तो वह न केवल उस संकट से उबर सकता है, बल्कि मानसिक रूप से भी शांत रह सकता है। इसीलिए बचत की आदत को अपनाना एक समझदारी भरा कदम है।

बचत की आदत का अर्थ

बचत की आदत का मतलब है — नियमित रूप से अपनी आय का एक हिस्सा अलग रखना, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। यह आदत न केवल आर्थिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाती है, बल्कि उसे आत्मनिर्भर भी बनाती है। बचत केवल पैसे को जमा करना नहीं है, बल्कि यह एक सोच है — एक दृष्टिकोण जो व्यक्ति को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना सिखाता है।

बचत की आवश्यकता

1. आपातकालीन स्थिति में सहारा : कोई भी आपातकाल बिना चेतावनी के आता है। मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी का नुकसान, या प्राकृतिक आपदा - इन सबके लिए तैयार रहना ज़रूरी है।

2. भविष्य की योजनाओं के लिए तैयारी : बच्चों की शिक्षा, शादी, घर खरीदना, या रिटायरमेंट — ये सभी दीर्घकालिक लक्ष्य हैं जिनके लिए समय से पहले योजना बनाना आवश्यक है।

3. कर्ज से बचाव : अगर व्यक्ति के पास पर्याप्त बचत होती है, तो उसे उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे ब्याज का बोझ भी नहीं बढ़ता।

4. मानसिक शांति : वित्तीय स्थिरता से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। वह तनावमुक्त होकर अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

बचत की आदत कैसे डालें?

1. बजट बनाना : हर महीने की आय और खर्चों का हिसाब रखना सबसे पहला कदम है। इससे यह पता चलता है कि कहां-कहां अनावश्यक खर्च हो रहा है।

2. पहले बचत, फिर खर्च : "Pay Yourself First" का सिद्धांत अपनाएं - यानी पहले बचत करें, फिर बाकी खर्चों की योजना बनाएं।

3. ऑटोमैटिक सेविंग्स सेट करें : बैंक में ऐसा सेटअप करें कि सैलरी आते ही एक निश्चित राशि सीधे बचत खाते में चली जाए।

4. लक्ष्य तय करें : जैसे - 6 महीने में ₹50,000 बचाना। इससे बचत का उद्देश्य स्पष्ट होता है और प्रेरणा बनी रहती है।

5. बेवजह खर्चों से बचें : ज़रूरत और चाहत में फर्क समझें। हर आकर्षक ऑफर या डिस्काउंट जरूरी नहीं कि फायदेमंद हो।

बचत के प्रकार

1. नकद बचत : यह सबसे सामान्य तरीका है - घर में या बैंक में नकद जमा करना। हालांकि, यह तरीका ब्याज नहीं देता।

2. बचत खाता : बैंक में बचत खाता खोलकर नियमित रूप से पैसे जमा करना। इसमें थोड़ा ब्याज भी मिलता है।

3. आवर्ती जमा : हर महीने एक निश्चित राशि जमा करने पर ब्याज मिलता है। यह अनुशासन सिखाता है।

4. पब्लिक प्रोविडेंट फंड : लंबी अवधि की बचत के लिए यह एक सुरक्षित विकल्प है, जिसमें टैक्स लाभ भी मिलता है।

5. म्युचुअल फंड और एसआईपी : जो लोग थोड़ा जोखिम उठा सकते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा विकल्प है। इसमें रिटर्न अधिक हो सकता है।

6. आपातकालीन निधि : यह एक विशेष फंड होता है जिसे केवल आपातकालीन स्थिति में ही उपयोग किया जाता है।

बचत और निवेश में अंतर : बचत का मतलब है — पैसे को सुरक्षित रखना, जबकि निवेश का मतलब है — पैसे को बढ़ाने के लिए किसी योजना में लगाना। बचत से सुरक्षा मिलती है, और निवेश से संपत्ति बढ़ती है। दोनों का संतुलन बनाना ज़रूरी है।

बचत की आदत बच्चों में कैसे डालें?

बचपन से ही अगर बच्चों को पैसे की अहमियत समझाई जाए, तो वे बड़े होकर जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। उन्हें गुल्लक देना, पॉकेट मनी का हिसाब सिखाना, और छोटे-छोटे लक्ष्य तय कराना — ये सभी तरीके बचत की आदत डालने में मदद करते हैं।

बचत की आदत और समाज

अगर हर व्यक्ति बचत की आदत अपनाए, तो पूरे समाज में आर्थिक स्थिरता आएगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। बचत से बैंकिंग सिस्टम को मजबूती मिलती है, जिससे विकास कार्यों में निवेश संभव होता है।

बचत की आदत और आत्मनिर्भरता

बचत व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता और अपने फैसले खुद ले सकता है। आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सकारात्मकता आती है।

बचत की आदत को बढ़ावा देने के उपाय

- **सरकारी योजनाएं:** जैसे जनधन योजना, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना आदि।
- **वित्तीय शिक्षा:** स्कूलों और कॉलेजों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना।
- **डिजिटल सेविंग्स ऐप्स:** जैसे फोनपे, पेटीएम, ग्रो आदि से बचत आसान हो गई है।
- **प्रेरणादायक कहानियां:** उन लोगों की कहानियां साझा करना जिन्होंने बचत से जीवन बदला।

विशेष आलेख

हिन्दी पखवाड़ा और सतर्कता सप्ताह

राकेश कुमार, मुख्य प्रबंधक, सतर्कता विभाग, केन्द्रीय कार्यालय

एक ओर जहां देश में, हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है जो संघ की राजभाषा के महत्व को संरेखित करता है; तो वहीं दूसरी ओर, अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है, जो भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण और नागरिकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने का कार्य करता है । इन दोनों आयोजनों का उद्देश्य अलग-अलग लग सकता है, लेकिन गहराई से देखें तो ये दोनों ही आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं । अगर इन दोनों दिवसों की एक समेकित परिभाषा गढ़ी जाए तो वो कुछ इस तरह की होगी – "नैतिकता के आधार पर राष्ट्र की प्रगति" और ये दोनों दिवस जिस केंद्र पर संरेखित होंगे वहाँ आपको वह हस्ती नज़र आएगी, जिसके व्यक्तित्व को देश में "लौह पुरुष" की संज्ञा प्राप्त है । छोटी-छोटी बिखरी रियासतों को संगठित कर एक देश का आकार देने का श्रेय तो सरदार बल्लभ भाई पटेल के नाम है ही । लेकिन हम में से कितने लोग इस तथ्य से परिचित हैं कि हिन्दी को देश की राजभाषा बनते देखने के स्वप्न की सिद्धि के लिए नेपथ्य में अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन करने वाले नायक कोई और नहीं बल्कि सरदार बल्लभ भाई पटेल ही थे । अपने कथ्य की तथ्य पुष्टि के लिए मैं यहाँ सरदार बल्लभ भाई पटेल का वह पत्र आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे उन्होंने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के पद को शुशोभित करते हुए हिन्दी को राजभाषा के स्वीकार किए जाने पर अक्तूबर 1949 में संविधान सभा के सदस्य डॉ मोटूरी सत्यनारायण को लिखा था । पत्र का पाठ इस प्रकार है :

"विधान परिषद ने राजभाषा के विषय में निर्णय कर लिया है । इसमें कोई संदेह नहीं हैं कि कुछ व्यक्तियों को इस फैसले से दुख हुआ । कुछ संस्थाओं ने भी इसका विरोध किया है । परंतु जिस प्रकार और बातों में मतभेद हो सकता है उस प्रकार अगर इस विषय में भी मतभेद है और रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है । विधान में कई ऐसी बातें हैं जिनमें सबको संतोष होना असंभव है । परंतु एक बार विधान में कोई बात शामिल हो जाए तो उसे स्वीकार कर लेना सबका कर्तव्य है, कम से कम जब तक कि ऐसी स्थिति पैदा न हो जाए जिसमें सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से फिर कोई तबदीले हो सके ।

हमें यह बात माननी होगी कि जिस तरह हिन्दी के भक्त उसे राष्ट्रभाषा की पदवी दिलाना चाहते थे उसमें उनके असमर्थ रहने

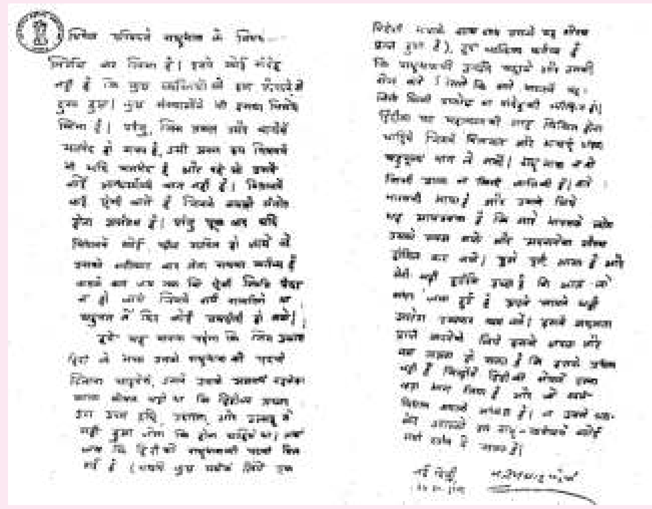

का कारण केवल यही था कि हिन्दी का प्रचार उस उच्च दृष्टि, उदारता, और उत्साह से नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था । अब जब कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा की पदवी मिल गई है (यद्यपि कुछ वर्षों के लिए विदेशी भाषा के साथ-साथ उसको यह गौरव प्राप्त हुआ है) हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि राष्ट्रभाषा की उन्नति बढ़ाए और उसकी सेवा करे । जिससे कि सारे भारत में हिन्दी बिना किसी आक्रोश या संदेह के चिन्हित हो । हिन्दी का पट महासागर की तरह विकसित होना चाहिए जिसमें मिलकर और भाषाएँ अपना बहुमूल्य भाग ले सकें । राष्ट्रभाषा न तो किसी प्रांत न किसी जाति की है । सारे भारत की भाषा है और उसके लिए यह आवश्यक है कि सारे भारत के लोग उसको समझ सकें और अपनाने का गौरव हांसिल कर सकें । मुझे पूर्ण आशा है और यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि आज जो सभा जमा हुई है अपने सामने यही उद्देश्य रख कर काम करें । इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए इसमें अच्छा और बड़ा लक्षण हो सकता है कि इसके प्रधान वही हैं जिन्होंने हिन्दी की सेवा में इतना बड़ा भाग लिया है और जो स्वयं विधान सभा के अध्यक्ष हैं । उनसे मिल कर आपको हम राष्ट्र कर्तव्य में कोई मार्ग दर्शन दे सकते हैं ।

नई दिल्ली **-हस्ताक्षर-**

वहीं अगर सतर्कता दिवस के परिपेक्ष्य की बात की जाए तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि सरदार वल्लभभाई पटेल को अक्सर "भारत के लौह पुरुष" के रूप में जाना जाता है । इस उपाधि के पीछे उनका दृढ़ निश्चय, मजबूत इरादे और देश के प्रति अटूट निष्ठा थी। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद 560 से अधिक

रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने का असंभव लगने वाला कार्य किया। इस दौरान उन्होंने जिस तरह की कूटनीति, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का परिचय दिया, वह आज भी एक मिसाल है। उनके जीवन और कार्य का सीधा सा सार यही है कि एक राष्ट्र का निर्माण केवल शक्ति से नहीं, बल्कि मजबूत नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों से होता है। वह भ्रष्टाचार के घोर विरोधी थे और उनका मानना था कि किसी भी देश की प्रगति के लिए उसका नेतृत्व और नागरिक दोनों का ईमानदार होना बेहद ज़रूरी है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 31 अक्तूबर 2000 को सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिन से शुरू होने वाले सप्ताह को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाने की प्रथा शुरू की। यह भारत सरकार के संगठनों के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार से होने वाले खतरों और हानियों के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास था, जो गरीब विरोधी, विकास विरोधी और राष्ट्र विरोधी है। 31 अक्तूबर की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि यह हमारे देश के महान नेताओं में से एक सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्मदिन है, जो देशभक्ति, राजनीतिक ईमानदारी, दूरदर्शी लेकिन अत्यधिक व्यावहारिक नेतृत्व और मूल्य आधारित राजनीति के उत्कृष्ट प्रतीक और आदर्श हैं। सरदार पटेल का जन्मदिन जानबूझकर इसलिए भी चुना गया क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, सरदार पटेल एक ऐसे नेता थे जिन्होंने संसाधन जुटाने और राजनीतिक आंदोलन को संगठित करने जैसे सभी संभव कठिन परिश्रम किए, जो अमूमन आम जनता की नज़रों में नहीं आते। इस कार्य के लिए पूर्ण निष्ठा, उत्कृष्ट प्रबंधन क्षमता और प्रेरक नेतृत्व की आवश्यकता थी।

अगर सतर्कता दिवस के महत्व की बात की जाए तो "सावधानी हटी, दुर्घटना घटी" की तर्ज़ पर आप इसका महत्व इस छोटी सी घटना से लगा सकते हैं कि 1947 में आजाद भारत का पहला बड़ा घोटाला "जीप घोटाला" महज़ एक साल के भीतर 1948 में सामने आया। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान हुआ था जिसमें भारतीय सेना को पाकिस्तान के हमले के बाद जीपों की सख़्त जरूरत थी। ब्रिटेन में तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त वी. के. कृष्ण मेनन ने सेना के लिए 2,000 जीप खरीदने का सौदा एक विदेशी कंपनी के साथ किया था। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, 80 लाख रुपये का पूरा भुगतान कर दिया गया था। हालांकि, कंपनी द्वारा भारत को केवल 155 जीपों की ही सुपुर्दगी की गई।

इस घोटाले को आजाद भारत में भ्रष्टाचार का पहला बड़ा उदाहरण माना जाता है, जिसने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए।

शायद इसी लिए कहा जाता है कि सतर्कता की आवश्यकता हमेशा रहती है। यदि किसी संगठन या विभाग में निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था कमजोर है, तो भ्रष्ट लोगों को आसानी से अपने कामों को अंजाम देने का मौका मिल जाता है। जैसे, यदि किसी सरकारी परियोजना की नियमित रूप से जांच नहीं होती, तो ठेकेदार और अधिकारी मिलकर पैसों की हेराफेरी कर सकते हैं। नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं करना और उल्लंघन करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं करना ही सतर्कता में चूक है। यह चूक भ्रष्टाचार का मार्ग प्रशस्त करती है। उदाहरण के लिए जब किसी को पता हो कि उसके गलत कामों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो वे भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने से नहीं डरेगा।

बैंकों में सतर्कता का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि बैंक में विभिन्न वित्तीय लेनदेन संभाले जाते हैं, जैसे ऋण देना, जमा स्वीकार करना, निवेश प्रबंधन और विदेशी मुद्रा विनिमय आदि। इन प्रक्रियाओं में रिश्वतखोरी, धन शोधन और धोखाधड़ी जैसे भ्रष्टाचार की संभावना अधिक होती है। इसी क्रम में बैंक का सतर्कता विभाग यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी किसी भी अनैतिक या गैरकानूनी गतिविधि में शामिल न हों और सभी लेनदेन उचित और पारदर्शी तरीके से किए जाएं। यह नियमों और विनियमों के अनुपालन की निगरानी करता है और भ्रष्टाचार के किसी भी संकेत की जांच करता है।

हाल ही के समय में डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन लेनदेन और मोबाइल बैंकिंग के बढ़ते उपयोग के साथ, धोखाधड़ी के मामले भी बढ़े हैं। फ़िशिंग, हैकिंग, पहचान की चोरी और साइबर अपराध बैंकिंग क्षेत्र के लिए गंभीर खतरे पैदा करते हैं। इस तरह की घटनाएँ ग्राहकों के विश्वास को क्षति पहुंचाती हैं। यदि बैंक में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी या अनैतिक व्यवहार होता है, तो ग्राहक का विश्वास टूट सकता है, जिससे बैंक की प्रतिष्ठा और वित्तीय स्थिरता को नुकसान पहुंच सकता है। सतर्कता विभाग इन धोखाधड़ी की पहचान करने, उन्हें रोकने और ग्राहकों के वित्तीय हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुरक्षा उपायों को मजबूत करने, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और धोखाधड़ी का पता लगाने वाली प्रणालियों को लागू करने के लिए काम करता है एवं यह सुनिश्चित करता है कि बैंक की छवि स्वच्छ रहे, ग्राहक का विश्वास बना रहे और बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास कायम रहे।

बैंकिंग क्षेत्र अत्यधिक विनियमित है, और बैंकों को कई नियमों, कानूनों और दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। ये

नियम ग्राहक संरक्षण, धन शोधन निवारण, साइबर सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। सतर्कता विभाग यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के सभी कर्मचारी और अधिकारी इन नियमों का सख्ती से पालन करें, और बैंक सभी लागू कानूनों और विनियमों के अनुरूप संचालित हों।

सतर्कता विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि बैंक अपने कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियान आयोजित कर रहे हैं ताकि उन्हें नैतिक आचरण, भ्रष्टाचार के परिणामों, धोखाधड़ी के तरीकों और नियमों के अनुपालन के बारे में शिक्षित किया जा सके और एक मजबूत और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की जा सकें, ताकि कर्मचारी और ग्राहक बिना किसी डर या भेदभाव के भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी या किसी भी अनियमितता से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकें। डिजिटल लेनदेनों के संबंध में बैंकों में डिजिटल लेनदेन, निगरानी प्रणालियों, डेटा विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जा सकता है ताकि मानवीय हस्तक्षेप को कम किया जा सके, पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके, धोखाधड़ी का पता लगाया जा सके और जोखिमों का प्रबंधन किया जा सके।

सतर्कता दिवस हमें याद दिलाता है कि एक स्वच्छ, नैतिक और पारदर्शी समाज का निर्माण हम सभी की जिम्मेदारी है। बैंकिंग क्षेत्र में, यह जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह सीधे तौर पर देश की आर्थिक स्थिरता, विकास और प्रगति से जुड़ा हुआ है। सतर्कता केवल एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे हर दिन, हर स्तर पर अपनाया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना हम सभी का कर्तव्य है कि बैंकिंग प्रणाली ईमानदारी, नैतिकता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखें।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का मुख्य संदेश "सतर्कता: हमारी साझा ज़िम्मेदारी" है। इस संदेश को हर नागरिक तक पहुंचाना आवश्यक है । हिंदी, जो कि देश के बड़े हिस्से में बोली और समझी जाती है, इस संदेश को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने का सबसे सशक्त माध्यम है। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाता है, तो हिंदी में लिखे गए नारे, लेख और विज्ञापन ज्यादा असरदार साबित होते हैं। लोगों को अपनी भाषा में समझाया गया कोई भी विचार, अधिक गहराई से समझ आता है। इससे वे सतर्क रहने और गलत कामों का विरोध करने के लिए प्रेरित होते हैं।

ठीक उसी तरह हिंदी भी हमारी पहचान, संस्कृति और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। जब सरकारी कामकाज और जनसंचार में हिंदी का प्रयोग होता है, तो सामान्य नागरिक भी आसानी से जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। इसका सीधा संबंध सतर्कता से है। अगर सरकारी नीतियां, नियम और योजनाएं हिंदी में उपलब्ध हों, तो लोगों को भ्रष्टाचार की संभावनाओं को समझने और उनका विरोध करने में मदद मिलती है। एक जागरूक नागरिक ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। उदाहरण के लिए, अगर किसी सरकारी विभाग में कोई काम हिंदी में समझाया जाता है, तो ग्रामीण या हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग आसानी से समझ सकते हैं कि उनके क्या अधिकार हैं और क्या नहीं। इससे बिचौलियों की भूमिका कम हो जाती है और पारदर्शिता बढ़ती है।

चाहें हिंदी दिवस हो या सतर्कता जागरूकता सप्ताह केवल एक दिन या सप्ताह उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारे नैतिक मूल्यों, आदर्शों और समृद्ध संस्कृति का भी प्रतीक है। हमारी लोक कथाएं, कविताएं और साहित्य में हमेशा सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा जैसे गुणों पर जोर दिया गया है। ये सभी गुण एक सतर्क और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की नींव हैं । जब हम हिंदी के प्रचार-प्रसार की बात करते हैं, तो हम एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण कर रहे होते हैं जो अपनी संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जुड़ी हो। ऐसी पीढ़ी भ्रष्टाचार को अस्वीकार करने की ज्यादा संभावना रखती है।

हिंदी दिवस और सतर्कता जागरूकता सप्ताह, दोनों ही हमारे देश के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हिंदी भाषा को बढ़ावा देकर हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहाँ हर नागरिक अपनी भाषा में जागरूक हो। यह जागरूकता उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत देगी। संक्षेप में, हिंदी हमारी चेतना का माध्यम है और सतर्कता उस चेतना की अभिव्यक्ति है। जब ये दोनों मिल जाते हैं, तो हम एक ऐसे भारत का सपना साकार कर सकते हैं जो विकसित, नैतिक और भ्रष्टाचार मुक्त हो। हिंदी भाषा के माध्यम से ही हम "जन-जन की सतर्कता, भ्रष्टाचार पर प्रहार" के नारे को सच कर सकते हैं।

राजभाषा प्रश्नोत्तरी के उत्तर

1. (ख)	2. (ग)	3. (ख)	4. (ग)	5. (ग)
6. (ग)	7. (ग)	8. (ख)	9. (ग)	10. (क)
11. (क)	12. (ख)	13. (ग)	14. (ग)	15. (ख)

शब्द-शब्दांतर

शब्द	उच्चारण	उद्भव	अर्थ
La devise	lah-dee-VEZ	फ्रेंच	मुद्रा
faillite	fah-yeet	फ्रेंच	दिवालियापन
Antragsformular	UN-trahgs-form-ooh-larr	जर्मनी	आवेदन प्रपत्र
Emptor	EMP-tor	लैटिन	क्रेता
Fides	FIH-deys	लैटिन	भरोसा / आस्था
Compte Joint	kohnt-zhwannt	फ्रेंच	संयुक्त खाता
Emporium	em-POR-ee-um	लैटिन	व्यापार केंद्र
Mutatis mutandis	moo-TAH-tees moo-TAHN-dees	लैटिन	यथोचित परिवर्तन
Urteil	OOR-tile	जर्मनी	निर्णय
tribunal	tree-boo-nal	फ्रेंच	अदालत
Amercement	ah-MEHR-se-ment	मध्यकालीन अंग्रेजी	दंड
Avocat	ah-voh-kah	फ्रेंच	वकील
Ausweis	OWS-vice	जर्मनी	पहचान पत्र
Bene	BEH-neh	लैटिन	अच्छा
Bundeskanzler	BOON-dess-kunts-lair	जर्मनी	कुलाधिपति
Valēte	wah-LEH-teh	लैटिन	अलविदा
Magnum opus	MAG-noom OH-poos	लैटिन	सर्वश्रेष्ठ / कृति
Führerschein	FEW-rer-shine	जर्मनी	ड्राइवर का लाइसेंस
en liquide	ahn lee-keed	फ्रेंच	नकद में

संकलनकर्ता
पी राजशेखर
वरिष्ठ प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु

केंद्रीय कार्यालय में आयोजित हिन्दी दिवस की झलकियाँ

केंद्रीय कार्यालय में आयोजित हिन्दी दिवस की झलकियाँ

फोटो फीचर

क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित हिन्दी दिवस की झलकियाँ

अहमदाबाद

बड़ौदा

बेंगलुरु

भुवनेश्वर

भोपाल

कोयम्बत्तूर

दिल्ली

ईरोड

गोवा

गुवाहाटी

हैदराबाद

जयपुर

कांचीपुरम

कारैकुड़ी

कोलकाता 2

क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित हिन्दी दिवस की झलकियाँ

लखनऊ

लुधियाना

मदुरै

मेरठ

मुंबई

मैसूरू

एनसीआर दिल्ली

पुणे

रायपुर

तिरुवनंतपुरम

सेलम

वाराणसी

विजयवाड़ा

विशाखापट्टणम

वेल्लूर

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में बैंक द्वारा लगाई प्रदर्शनी की झलकियाँ

विशेष आलेख

सभ्यताओं का सेतु - अनुवाद

शुभम दीक्षित, प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यालय

अनुवाद केवल शब्दों को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने की एक यांत्रिक प्रक्रिया मात्र नहीं है । यह इससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है । अनुवाद वास्तव में विभिन्न सभ्यताओं, विविध संस्कृतियों और भिन्न-भिन्न विचारों के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करता है। यह हमें दूरस्थ समाजों और उनकी जीवन शैलियों को गहराई से समझने, उनके समृद्ध साहित्य का आनंद लेने और उनके द्वारा किए गए वैज्ञानिक आविष्कारों तथा तकनीकी प्रगति से सीखने में अमूल्य सहायता प्रदान करता है। यह एक ऐसा माध्यम है जो मानव जाति को एक-दूसरे के करीब लाता है और आपसी समझ को बढ़ावा देता है ।

इराक के सुलेमानिया संग्रहालय में गिलगमेश महाकाव्य की पट्टिका V का एक टुकड़ा

अनुवाद का इतिहास एक आकर्षक और जटिल यात्रा है जिसने हमारी दुनिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । इस विधा की प्राचीनता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि सबसे प्राचीन लिखित अनुवाद के साक्ष्य लगभग 2500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में मिलते हैं । इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण सुमेरियन काव्य "गिलगमेश महाकाव्य" का विभिन्न एशियाई भाषाओं में अनुवाद भी है । प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के द्विभाषिक शिलालेख भी उपलब्ध प्राचीनतम अनुवाद के नमूनों में से एक हैं। ऐसा माना जाता है कि इस प्रारम्भिक अनुवाद ने ही आगे चल कर व्यापक अनुवाद की नींव रखी ।

अगर भारतीय परिपेक्ष्य की बात की जाए तो अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के 'वद्' धातु से हुई है । 'अनुवाद' का शाब्दिक अर्थ है 'पुनःकथन' अर्थात किसी कही गई बात को फिर से कहना । भारत में अनुवाद का इतिहास प्राचीन काल में बौद्ध ग्रंथों के चीनी भाषा में अनुवाद से शुरू होता है, जो मध्यकाल में मुगल काल के दौरान धार्मिक ग्रंथों के फ़ारसी में अनुवाद तक विस्तारित है । बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में पहला अनुवाद 148 ईस्वी में शुरू हुआ, जब पार्थियन राजकुमार अन शिगाओ चीन आए और विभिन्न बौद्ध धर्मग्रंथों का अनुवाद करना शुरू किया। हालांकि, सम्राट मिंग के समय (68 ईस्वी) में भी भारत से दो बौद्ध भिक्षु, कश्यप और धर्मरक्ष, दरबार में पहुंचे और धर्मग्रंथों का अनुवाद किया । छठी शताब्दी में हकीम बुजोई द्वारा पंचतंत्र का अनुवाद एक महत्वपूर्ण उदाहरण है ।

हालांकि, आधुनिक अनुवाद का व्यवस्थित रूप 18वीं शताब्दी के बाद ईसाई मिशनरियों और ब्रिटिश प्रशासकों के भारत आने के साथ शुरू हुआ, जब उन्होंने धार्मिक ग्रंथों (जैसे बाइबिल) और अन्य यूरोपीय साहित्य का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया, और साथ ही भारतीय साहित्य का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया । इन अनुवादकों ने अंतर-सांस्कृतिक संचार को सुगम बनाया और नए शब्दों और संरचनाओं को प्रस्तुत करके जिन भाषाओं में उन्होंने काम किया, उन्हें समृद्ध बनाया । अनुवाद के सिद्धांत समय के साथ विकसित हुए हैं । उल्लेखनीय है कि सिसरो और होरेस जैसे प्राचीन यूनानी सिद्धांतकारों ने "मेटाफ़्रेज़" (शाब्दिक अनुवाद) और "पैराफ़्रेज़" (अर्थ-दर-अर्थ अनुवाद) के बीच अंतर का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है ।

असल मायनों में अनुवाद किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनूदित किए गए शब्दों का समूह मात्र नहीं है । यह एक भाषा के भावों का दूसरी भाषा में रूपान्तरण है । शायद यही कारण है कि अनुवाद में शब्दों का चयन विशेष महत्व रखता है क्योंकि हर भाषा का और उसके शब्दों का एक इतिहास होता है । साथ ही उनका एक वैज्ञानिक वर्गीकरण भी होता है। शब्दों के चयन के साथ ही किसी भी भाषा में अनेक औपचारिकताएँ होती हैं । प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं, जो उस समाज की संस्कृति से संबंधित होते हैं । ऐसे शब्दों का अनुवाद बड़ा कठिन कार्य होता है । यदि किसी एक भाषा के व्यक्तियों की संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था अलग – अलग हो तो ऐसे शब्दों के लिए पर्यायवाची शब्द दूसरी भाषा में नहीं मिलते है ।

उदाहरण के तौर पर अगर हम मुहावरों और लोकोक्तियों के अनुवाद की बात करें तो उनका अनुवाद और अधिक जटिल हो जाता है । एक ओर जहां अंग्रेजी का “Cock and bull story” हिन्दी में आ कर “मुर्गे और बैल की कहानी” की जगह “बे सिर-पैर की बात” हो जाता है तो वहीं दूसरी ओर “By tooth and nail” हिन्दी में आ कर “दाँत और नाखून से” की जगह “जी जान से” हो जाता है । आम तौर पर अनुवाद पढ़ते समय क्षेत्रीय मान्यताओं और कथाओं का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है । एक ओर जहां “Herculean effort” हिन्दी में आ कर “भगीरथ प्रयत्न”, जो ऋषि भागीरथ के कठोर तप से संदर्भ ग्रहण करता है तो वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी का “Acid Test” हिन्दी में “अग्नि परीक्षा” हो जाता है, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार राम-सीता की कहानी से प्रेरित है, क्योंकि दोनों मामलों में एक ही उद्देश्य यानी शुद्धता की जांच की पूर्ति हो रही है । अच्छा अनुवाद उसी को माना जाता है जहां पाठक यह भेद न कर सके कि वह मूल पाठ पढ़ रहा या अनूदित पाठ ।

अनुवाद के समय भाषाई अनुशीलन तथा स्थानीय मान्यताओं

का भी ध्यान रखना आवश्यक है । इसका अन्य उदाहरण देखें तो भारतीय सीमा सुरक्षा बल जो कि विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है, के आदर्श वाक्य "Duty unto death" का अनुवाद करते इस बात पर विचार किया कि "मृत्यु तक सेवा" नकारात्मकता का बोध करवाता, अतः इसका अनुवाद करते समय इसे बदल कर "जीवन पर्यंत सेवा" कर दिया गया । ठीक इसी प्रकार हमारे बैंक की अल्पकालिक टैग लाइन "Touching hearts, spreading smiles" जिसे बैंक की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर सन 2012 में प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया गया था का हिन्दी अनुवाद करते समय उसे "दिलों को छूते हुए मुस्कान बिखेरना" की जगह पर "दिलों के पास, मुस्कान के साथ" के रूप में अनूदित किया गया । ऐसा ही कुछ बैंक स्थायी टैग लाइन "Good people to grow with" के साथ भी है, उसका अनुवाद भी "तरक्की के लिए अच्छे लोग" की जगह "आपकी प्रगति का सच्चा साथी" किया गया है । इसमें एक ओर निर्धारक शब्द 'आपकी' को संज्ञा शब्द 'प्रगति' से पहले जगह दी गई है तो वहीं दूसरी 'good people' को बहुवचन बोधक 'अच्छे लोग' की विशालता से परिमित करते हुए निजता का भाव दिया गया और 'सच्चा साथी' के रूप में अनूदित किया गया । इस प्रकार का अनुवाद भाषाईक औपचारिकताओं और समाजिक संस्कृति के प्रभाव के कारण होता है ।

अनुवाद के वर्गीकरण की बार करें तो अनुवाद के दो सर्वाधिक प्रचलित प्रयोजन हैं; पहला साहित्यनुवाद है और दूसरा कार्यालयी अनुवाद । इन दोनों अनुवादों के बीच का मुख्य अंतर उनके उद्देश्य और भाषा-शैली में निहित होता है। साहित्यनुवाद का उद्देश्य मूल कृति जैसे कहानी, कविता या उपन्यास की आत्मा, संवेदना और कलात्मकता को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना है । इसमें अनुवादक को न केवल शब्दों का अनुवाद करना होता है, बल्कि मूल लेखक के भावों, सांस्कृतिक बारीकियों और शैली को भी पुनः सृजित करना पड़ता है । यह एक रचनात्मक और कलात्मक प्रक्रिया है जहाँ अनुवादक को भाषा के साथ अधिक स्वतंत्रता मिलती है । इसके विपरीत, कार्यालयी अनुवाद का उद्देश्य सरकारी, कानूनी, वैज्ञानिक या तकनीकी दस्तावेजों का सटीक और स्पष्ट अनुवाद करना होता है । इस अनुवाद में मूल पाठ की सूचना को बिना किसी बदलाव के, तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ रूप में प्रस्तुत करना सबसे महत्वपूर्ण होता है । यहाँ भाषा-शैली सीधी और सरल होती है, और पारिभाषिक शब्दावली का कठोरता से पालन किया जाता है ।

साहित्यानुवाद जितना सरल है कार्यालयी अनुवाद में उतनी ही बोझिलता है और उसकी वजह है उसका शब्दकोश । यद्यपि अनुच्छेद 343 के लागू होने के साथ ही संघ की राजभाषा हिन्दी और उसकी लिपि देवनागरी तो हो गई किन्तु कुछ समय के लिए अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में रखने का प्रावधान किया गया । कमोबेश स्थिति आज भी वैसी ही है । यही कारण है भारत में बहुत बड़े पैमाने पर हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में कार्यालयी अनुवाद का कार्य होता है । आज़ादी के बाद ब्रिटिश कानून और कार्यालयी संस्कृति से ओतप्रोत प्रशासनिक कार्य अंग्रेजी होते चले आ रहे थे तो हिन्दी के राजभाषा घोषित होने के पश्चात राजभाषाई अनुवाद के लिए एक सर्वमान्य व सर्वग्राही शब्दकोश की आवश्यकता पड़ी । अब प्रश्न यह था कि शब्दों का कोश कैसे बनाया जाए ! इस बारे में गहन विचार के बाद यह निष्कर्ष निकला कि पारिभाषिक शब्दकोश तैयार किया जाए । अब आसान शब्दों में परिभाषित करना हो तो मैं पारिभाषिक शब्दावली को इस तरह परिभाषित करूंगा कि, शब्द दो तरह के होते हैं । एक वह जिनका निर्माण समाज करता है और दूसरा, जिसका निर्माण राज करता है । समाज के बनाए शब्द सरल होते हैं । राज के बनाए शब्द अपेक्षाकृत कठिन होते हैं । वे बनाए जाते हैं, राजकाज के लिए, क़ानून बनाने के लिए, विज्ञान, भूगोल आदि की पढ़ाई के लिए । इन दूसरे तरह के शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहते हैं ।

पारिभाषिक शब्दकोश के महत्व और उसके प्रभाव को मैं एक उदाहरण के साथ आपके समक्ष रखना चाहूँगा । हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमले से शायद ही आपमें से कोई अनभिज्ञ हो । लेकिन क्या आप मेरा यकीन मानेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि उन दो अभागे शहरों के साथ जो हुआ वो एक गलती थी; एक छोटी सी अनुवाद की गलती ! बात कुछ यूँ थी कि 1945 के दौरान पोस्टडैम में हुई बैठक में कुछ बहुत ही सख़्त फैसले लिए गए और जापान से बिना किसी शर्त के समर्पण करने का आदेशनुमा एक ख़त लिख कर भेजा गया जिसकी आखरी लाइन थी कि "जापान की तरफ से कोई भी नकारात्मक उत्तर शीघ्र और पूरी तरह विनाश को आमंत्रित करेगा" । कांतारो सुजुकी (तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री) ने जापानी भाषा में दिए गए अपने जवाब में लिखा कि "हम अभी टिपण्णी देने से परहेज़ कर रहे हैं" (इस छोटे से कमेंट में लिखे गए शब्द "Mokusatu" का सही अर्थ होता है परहेज़ करना, जिसे मूल रूप से मौन रहने के तात्पर्य से लिया गया है, लेकिन इस शब्द के और भी कई अर्थ निकाले जा सकते हैं)। जब ये ख़त वापस यूएस पहुंचा तो वहाँ इसका अनुवाद "नोट किया गया" या "कोई कमेंट नहीं" के रूप नकारात्मकता के साथ किया गया और ख़त के यूएस पहुँचने के 10 दिनों बाद ही यूएस ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया । जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार अनुमानतः 1,29,000 लोग तथा अन्य सूत्रों की माने तो 2,26,000 से ज्यादा लोग मारे गए ।

अब तक आप समझ ही गए होंगे कि कार्यालयीय अनुवाद में एक शब्द का अंतर या एक शब्द की कमी अर्थ का अनर्थ कर सकती है। कार्यालयीय अनुवाद में भाषा का अपना एक अलग ही प्रवाह होता है जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है ।

जबकि इसके ठीक विपरीत साहित्यिक अनुवाद सिर्फ अर्थ के अंतरण का कार्य नहीं करता बल्कि यह तो पाठ का रूपांतरण करता है और इसी प्रक्रिया में अर्थ भी रूपांतरित हो जाता है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि साहित्यिक अनुवाद अपनी प्रक्रिया में शामिल भाषाओं को एक समान स्तर पर लाने का प्रयास भी करता है, और ऐसा करते हुए यह किसी भाषा विशेष की प्रभुता को भी समाप्त करने का प्रयास करता है। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा:

"I think man ought to have faith or ought to seek a faith or else his life is empty, empty..."

" मुझे लगता है कि मनुष्य के पास एक आस्था होनी चाहिए, और कुछ नहीं तो उसे कोई विश्वास और आस्था खोज लेनी चाहिए वरना उसकी ज़िंदगी सूनी और खोखली हो जाएगी। "

इस अवतरण में जो बातें ध्यान देने योग्य हैं, वे हैं 'man' का अनुवाद यहाँ 'मनुष्य' किया गया और इस तरह से इसे लिंग जनित सीमा से मुक्त किया गया है जिससे अनुवाद का प्रभाव व्यापक हुआ है। अंग्रेज़ी नाट्यांश में जहाँ 'empty' शब्द का ही दो बार प्रयोग किया गया है, वहीं हिंदी अनुवाद में उसके लिए अनुवादक ने 'सूनी और खोखली' का प्रयोग कर स्थिति की मार्मिकता को बनाए रखा है।

निष्कर्ष बतौर हम कह सकते हैं कि अनुवाद न केवल नए ज्ञान और विचारों को फैलाता है, बल्कि यह पुरानी साहित्यिक कृतियों और कला के अमूल्य खजानों को भी संरक्षित और संवर्धित करता है। महान भारतीय कवि कालिदास के अमर नाटक 'अभिज्ञान शाकुंतलम्' का विभिन्न विश्व भाषाओं में अनुवाद किया गया, जिससे यह एक विश्वव्यापी साहित्यिक कृति बन गई और इसकी सार्वभौमिक अपील स्थापित हुई। इसी तरह, विलियम शेक्सपियर के कालजयी नाटकों का हिंदी में अनुवाद उन्हें भारतीय दर्शकों के लिए सुलभ बनाता है, जिससे वे इन महान कृतियों का आनंद ले पाते हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अनुवादकों के अथक प्रयासों और समर्पण से ही ये महान साहित्यिक और कलात्मक कृतियाँ समय की सीमाओं को पार कर पाती हैं, पीढ़ियों तक जीवित रहती हैं, और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को प्रेरित करती रहती हैं।

अनुवाद एक भाषाविद् की कलात्मक निपुणता और एक सांस्कृतिक राजदूत के महत्वपूर्ण कर्तव्य दोनों का एक अनूठा संगम है। यह केवल शब्दों का यांत्रिक आदान-प्रदान नहीं है, बल्कि यह विचारों, गहरी भावनाओं और अमूल्य ज्ञान का एक शक्तिशाली सेतु है जो अलग-अलग समाजों, संस्कृतियों और लोगों को एक-दूसरे से जोड़ता है। यह दुनिया को एक छोटा, अधिक समझदार, अधिक सहिष्णु और अधिक एकीकृत स्थान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मुझे आशा है कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अनुवाद ने हमारी दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया है और हमें एक वैश्विक परिवार के रूप में एकजुट किया है। यह एक ऐसा उपकरण है जो मानव जाति को एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने और एक साझा भविष्य का निर्माण करने में सक्षम बनाता है। मेरा विश्वास है कि अनुवाद के बिना, हमारी दुनिया बहुत अधिक खंडित और कम समझदार होती। यह एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है जो मानव सभ्यता के विकास के लिए अनिवार्य है।

क्या आप जानते हैं?

1. लिवियस एंड्रोनिकस पहला ज्ञात यूरोपीय अनुवादक था जिसने लगभग 240 ईसा पूर्व में ओडिसी का लैटिन में अनुवाद किया था।
2. बाइबल का हिब्रू से अंग्रेजी में अनुवाद करने के जुर्म में विलियम टिंडले को जिंदा जला कर मारने की सज़ा दी गई थी। तत्कालीन राजा हैनरी VIII ने कैथलिक चर्च की सहमति से बाइबल के अंग्रेजी अनुवाद को अमान्य करारा दिया और विधर्म के जुर्म में विलियम टिंडले को सन 1536 में मृत्युदंड दिया गया।
3. सबसे ज़्यादा अनुवादित पुस्तक बाइबल है, जिसके कुछ अंश 3,225 से अधिक भाषाओं में अनुवादित किए गए हैं।
4. दुनिया की सबसे ज़्यादा अनुवादित वेबसाइट यहोवा के साक्षियों का होमपेज है, जो जनवरी 2025 तक 1098 भाषाओं में अनूदित था। यह आंकड़ा विकिपीडिया के 343+ भाषाओं के रिकॉर्ड से कहीं अधिक है।
5. यूनेस्को के डेटाबेस के अनुसार, अगाथा क्रिस्टी दुनिया में सबसे ज़्यादा अनुवादित लेखिका हैं।
6. 30 सितंबर को ईसाई इतिहास के एक प्रसिद्ध अनुवादक सेंट जेरोम के पर्व (जो उनकी मृत्यु का प्रतीक है) को अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
7. यूनेस्को का इंडेक्स ट्रांसलेशनम (Index Translationum) पूरी दुनिया की अनुवादित पुस्तकों का रिकॉर्ड रखता है।
8. एक शब्द के गलत अनुवाद के कारण हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया।
9. सन 2009 में एक अनुवाद की गलती से एचएसबीसी बैंक को लगभग 10 मिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था।
10. अनुवाद व्यवसाय का वर्तमान वैश्विक बाज़ार मूल्य अलग-अलग रिपोर्टों के अनुसार लगभग 42 से 42.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2024 के लिए) होने का अनुमान है।

खेलो इंडिया और फिट इंडिया

आलोक कुमार, प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी

खेलो इंडिया और फिट इंडिया दोनों ही भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, जो देश में खेल संस्कृति और फिटनेस को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं।

खेलो इंडिया

खेलो इंडिया का मुख्य लक्ष्य युवा प्रतिभाओं को खोजना और उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल होने के लिए तैयार करना है। यह कार्यक्रम पूरे देश में, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में, खेल प्रतियोगिताओं और अकादमियों का आयोजन करता है। इसके तहत, युवा खिलाड़ियों को न सिर्फ प्रशिक्षण, बल्कि छात्रवृत्ति और अन्य वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक बाधाओं के कारण कोई भी प्रतिभा पीछे न छूटे। खेलो इंडिया का उद्देश्य देश को एक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है।

फिट इंडिया

फिट इंडिया मूवमेंट का मकसद खेल को सिर्फ मनोरंजन या एक करियर के रूप में न देखकर, इसे हर व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। यह अभियान लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करता है। इसमें योग, सैर, और सही खान-पान जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। फिट इंडिया का नारा है 'फिटनेस का डोज़, आधा घंटा रोज़'। इसका लक्ष्य है देश के हर नागरिक को जागरूक करना, ताकि वे एक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवनशैली अपना सकें।

दोनों ही पहलें एक दूसरे की पूरक हैं। जहाँ खेलो इंडिया खिलाड़ियों को उनके सपनों तक पहुँचने का मौका देती है, वहीं फिट इंडिया यह सुनिश्चित करती है कि देश का हर नागरिक स्वस्थ और सक्रिय रहे। इन दोनों प्रयासों ने मिलकर भारत में खेल और स्वास्थ्य को लेकर एक सकारात्मक बदलाव लाया है, जो भविष्य में एक स्वस्थ और मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सहायक होगा।

खेल से फिटनेस तक – एक नया उद्देश्य –

खेलो इंडिया की शुरुआत भारत को खेलों की दुनिया में चमकता सितारा बनाने के लिए हुई है। इसका सपना है देश के कोने-कोने से छिपी प्रतिभाओं को खोजकर, उन्हें निखारकर और वैश्विक मंच पर भारत का परचम लहराने के लिए तैयार करना। यह पहल सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं, बल्कि गाँवों और छोटे शहरों की उन प्रतिभाओं तक पहुँचती है, जो संसाधनों के अभाव में अनदेखी रह जाती हैं। खेलो इंडिया उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण, कुशल कोच और जरूरी सुविधाएँ देकर बड़ा मंच प्रदान करता है। साथ ही, स्कॉलरशिप और आर्थिक मदद से उनके सपनों को पंख देता है, ताकि कोई रुकावट उनकी राह न रोके। कहा जाए तो, खेलो इंडिया सिर्फ खिलाड़ी गढ़ने का मिशन नहीं, बल्कि पूरे देश में खेल की संस्कृति को जड़ों तक ले जाने का आंदोलन है। यह खेलों के प्रति जुनून जगाता है और एक ऐसी सोच बनाता है, जहाँ खेल सिर्फ शौक नहीं, बल्कि गर्व और उपलब्धि का प्रतीक है।

फिट इंडिया - आज की तेज़ रफ़्तार ज़िंदगी में फिटनेस अक्सर पीछे छूट जाती है, लेकिन फिट इंडिया अभियान का लक्ष्य इसे फिर से हमारी रोज़मर्रा की आदत बनाना है। इस आंदोलन का मकसद सिर्फ़ जिम जाना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है।

फिट इंडिया हमें याद दिलाता है कि फिट रहना किसी खिलाड़ी का ही काम नहीं, बल्कि हर भारतीय की ज़रूरत है। यह लोगों को अपने जीवन में आसान बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे कि रोज़ टहलना, योग करना, और संतुलित आहार लेना।

स्कूलों से लेकर दफ्तरों तक, इस अभियान ने हर जगह जागरूकता फैलाई है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी सेहत को प्राथमिकता देंगे, तो हमारा देश भी अधिक मज़बूत और ऊर्जावान बनेगा। यह एक आंदोलन है जो देश के हर नागरिक को यह संदेश देता है कि "फिटनेस का डोज़, आधा घंटा रोज़"—सिर्फ़ एक नारा नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कुंजी है।

स्वस्थ शरीर , स्वस्थ दिमाग : खेल है इसका राज

खेल और फिटनेस जीवन को ऊर्जा और संतुलन देने का एक शक्तिशाली माध्यम हैं। खासकर बच्चों, युवाओं और महिलाओं में इसके प्रति जागरूकता फैलाना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ शरीर को स्वस्थ नहीं रखता, बल्कि मन को भी मजबूत बनाता है। नियमित व्यायाम और खेलकूद से रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है, मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी समस्याओं से बचाव होता है, और जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आता है।खेल सामाजिक एकता का भी प्रतीक हैं। जब बच्चे और युवा खेल के मैदान में एक साथ आते हैं, तो वे आपसी सहयोग, धैर्य और सम्मान की भावना सीखते हैं। यह अनुशासन, समय प्रबंधन और जिम्मेदारी जैसे गुणों को निखारता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में काम आते हैं। महिलाओं के लिए खेल और फिटनेस एक सशक्तिकरण का साधन हैं, जो उन्हें आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और मानसिक दृढ़ता प्रदान करता है।खेलों से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकास भी होता है। यह युवाओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता जगाता है, उन्हें लक्ष्य तय करने और चुनौतियों से जूझने की हिम्मत देता है। फिटनेस तनाव को कम करके सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है।

इसलिए तो कहा जाता है कि खेल और फिटनेस व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति का आधार हैं। बच्चों, युवाओं और महिलाओं में इनके प्रति जुनून जगाकर हम एक स्वस्थ, आत्मविश्वासी और एकजुट समाज की नींव रख सकते हैं।

खेलो इंडिया और फिट इंडिया: एक सफल कार्यप्रणाली

खेलो इंडिया- अभियान के तहत खेलों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यप्रणाली अपनाई जाती है। इसमें आधुनिक स्टेडियम और खेल सुविधाओं का निर्माण शामिल है, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके। स्थानीय, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है ताकि प्रतिभाओं की पहचान हो सके। इसके अलावा, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि वे आर्थिक रूप से समर्थित होकर खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। खेलो इंडिया अकादमियों के माध्यम से प्रशिक्षित कोचों द्वारा खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाता है।

फिट इंडिया- अभियान में स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में फिटनेस कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनसे फिटनेस को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जा सके। जनजागरण के लिए विभिन्न अभियान और फिटनेस ऐप का उपयोग किया जाता है, जो लोगों को व्यायाम और स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। योग और पारंपरिक खेलों को भी बढ़ावा दिया जाता है ताकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार हो। इस प्रकार, दोनों अभियानों की कार्यप्रणाली देश में खेल और फिटनेस को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने में सहायक है।

खेल और स्वास्थ्य का नया युग: खेलो इंडिया और फिट इंडिया

भारत सरकार के खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान देश में खेल और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दे रहे हैं। ये दोनों पहलें कई मंत्रालयों के सहयोग से सफल हो रही हैं।युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2018 से अब तक 20,000 से ज्यादा युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है। फिट इंडिया मूवमेंट ने 2019 से 75,000 से अधिक संस्थानों में फिटनेस को लोकप्रिय बनाया है। शिक्षा मंत्रालय ने 1.5 लाख से अधिक स्कूलों में खेल को अनिवार्य करके युवाओं को खेल से जोड़ा है, जबकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी और डिजिटल मीडिया पर इनका व्यापक प्रचार किया है। यहां तक कि पर्यावरण मंत्रालय भी खेल आयोजनों को पर्यावरण-अनुकूल बनाने में मदद कर रहा है।इन अभियानों का एक बड़ा लक्ष्य स्वदेशी खेलों को पुनर्जीवित करना है। कबड्डी और खो-खो जैसे पारंपरिक खेलों के लिए 50 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। पिछले तीन सालों में, 10,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिला है।यूँ कहें कि, ये पहलें सिर्फ खेल ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय भावना और सांस्कृतिक जड़ों को भी मजबूत कर रही हैं। खेलो इंडिया और फिट इंडिया भारत को एक स्वस्थ और खेल-प्रेमी देश बनाने की राह पर ले जा रहे हैं।

खेलो इंडिया और फिट इंडिया: परस्पर पूरक पहल

'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया' भारत के दो शक्तिशाली और पूरक कार्यक्रम हैं, जो देश को एक नए मुकाम पर ले जा रहे हैं। ये केवल सरकारी योजनाएँ नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन हैं जो हर भारतीय को स्वस्थ और सशक्त बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

एक बीज, एक पौधा: 'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया'

'खेलो इंडिया' कार्यक्रम हमारे युवाओं में खेल के बीज बोता है। यह युवा प्रतिभाओं को पहचानकर, उन्हें बेहतरीन प्रशिक्षण और सुविधाएँ देकर एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में विकसित करता है। यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाले भविष्य के सितारों का निर्माण करता है।

वहीं, 'फिट इंडिया' उस बीज को पानी और पोषण देता है। यह फिटनेस को एक आदत बनाता है, एक जीवनशैली का अंग बनाता है। 'फिटनेस की डोज़ आधा घंटा रोज़' के मंत्र के साथ, यह हर व्यक्ति को सक्रिय रहने और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। यह योग, व्यायाम, और शारीरिक गतिविधियों को हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनाता है।

राष्ट्र निर्माण का संगम

यह दोनों अभियान एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं। जहाँ 'खेलो इंडिया' हमें पदक जीतने और खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, वहीं 'फिट इंडिया' हमें जीवनभर स्वस्थ रहने की सीख देता है। एक स्वस्थ शरीर ही एक मजबूत दिमाग का घर होता है, और यह दोनों मिलकर हमारे युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और राष्ट्रप्रेम की भावना को गहरा करते हैं। खेलो इंडिया हमें एक खेल-प्रेमी राष्ट्र बनाता है, जबकि फिट इंडिया हमें एक स्वस्थ राष्ट्र बनाता है। ये दोनों मिलकर एक ऐसे भारत की नींव रख रहे हैं, जो न केवल खेलों में आगे हो, बल्कि हर क्षेत्र में स्वस्थ और ऊर्जावान नागरिकों के दम पर विश्व में अपना लोहा मनवा सकें।

सारांश

खेलो इंडिया फिट इंडिया अभियान ने खेल और फिटनेस को भारतीय समाज के केंद्र में लाने का कार्य किया है। इस पहल ने केवल खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की नींव नहीं रखी, बल्कि सामान्य नागरिकों में भी सक्रिय और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा किया है। खेलों के अभ्यास से जहां शारीरिक क्षमता और मानसिक सुदृढ़ता में वृद्धि हुई है, वहीं युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन और ऊर्जा भी विकसित हुई है।

सरकार द्वारा खेलों के ढांचे को मज़बूत करने, प्रशिक्षण सुविधाएं सुलभ कराने और प्रतियोगिताओं के अवसर उपलब्ध कराने से नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मंच मिला है। फिट इंडिया आंदोलन के माध्यम से योग, व्यायाम, संतुलित आहार और तनाव नियंत्रण जैसे पहलुओं पर बल दिया गया है, जिसने व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य दोनों को सुदृढ़ किया है।

यह अभियान केवल खेलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए सहयोग, सामूहिकता और नेतृत्व जैसी महत्वपूर्ण जीवन-गुणों को भी प्रोत्साहन मिला है। स्वस्थ, सक्रिय और प्रतिस्पर्धी नागरिकों के निर्माण से भारत न केवल राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति करेगा, बल्कि वैश्विक खेल मंच पर भी अपनी पहचान मजबूती से दर्ज़ करेगा।

निष्कर्षतः खेलो इंडिया फिट इंडिया अभियान ने एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला रखी है। इसने नागरिकों को यह संदेश दिया है कि स्वास्थ्य ही वास्तविक संपत्ति है और इसकी देखभाल करना ही सशक्त भारत की ओर अग्रसर होने का सबसे बड़ा साधन है।

विशेष आलेख

साहित्य का अध्ययन क्यों ?

विश्वजीत चंद, सहायक प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय रांची

भूमिका

मनुष्य केवल शारीरिक आवश्यकताओं से संचालित प्राणी नहीं है, बल्कि वह भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं और संस्कृति से भी जीता है। मनुष्य को अक्सर "सभ्यता का निर्माता और संस्कृति का वाहक" कहा जाता है। सभ्यता का विकास जहाँ भौतिक उपलब्धियों से मापा जाता है, वहीं संस्कृति का मूल आधार साहित्य रहा है। साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि वह जीवन को दिशा और मूल्य प्रदान करने वाला साधन है। भोजन, वस्त्र और आश्रय जीवन को टिकाए रखते हैं, किंतु साहित्य जीवन को अर्थ और गहराई प्रदान करता है। साहित्य मानव सभ्यता का एक ऐसा दर्पण है जो न केवल समाज, संस्कृति और मानवीय भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है, बल्कि उन्हें गहराई से समझने और उनके साथ जुड़ने का अवसर भी प्रदान करता है। साहित्य का अध्ययन केवल एक शैक्षिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को समृद्ध करती है, हमारी चेतना को जागृत करती है और हमें समाज, इतिहास, और स्वयं के साथ जोड़ती है। जब हम यह प्रश्न उठाते हैं कि साहित्य का अध्ययन क्यों करें, तो वस्तुतः यह प्रश्न मानव जीवन की मूलभूत दिशा और मूल्य-व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। साहित्य हमारे भीतर मानवीय संवेदनाओं का विकास करता है, हमें दूसरों के दुख–सुख से जोड़ता है और जीवन के विविध आयामों को समझने की दृष्टि देता है।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही कहा है—

"साहित्य वह है जिसमें लोक–मंगल की भावना निहित हो।"

साहित्य की परिभाषा और स्वरूप

'साहित्य' शब्द संस्कृत के "सहित्य" से बना है, जिसका अर्थ है – सहित होना अर्थात् समाज और जीवन के साथ होना। साहित्य केवल काव्य या कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गद्य–पद्य, नाटक, निबंध, आत्मकथा, लोकगीत, यात्रा–वृत्तांत, नाटक, निबंध, संस्मरण, आत्मकथा लोकसाहित्य और डिजिटल लेखन भी सम्मिलित हैं।

डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार – "साहित्य मनुष्य के मनुष्यत्व को जागृत करने की कला है।"

प्रेमचंद ने कहा – "साहित्य समाज का दर्पण है।"

अरस्तू के अनुसार – "कला (साहित्य) जीवन का अनुकरण है।"

साहित्य का मूलभूत महत्व

साहित्य मानव अनुभवों का एक जीवंत दस्तावेज है। यह कहानियों, कविताओं, नाटकों और निबंधों के माध्यम से मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करता है। साहित्य हमें समय और स्थान की सीमाओं से परे ले जाता है, जिससे हम विभिन्न युगों, संस्कृतियों और समाज को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्रेमचंद की कहानियाँ हमें औपनिवेशिक भारत की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से परिचित कराती हैं, जबकि शेक्सपियर के नाटक, जैसे "हैमलेट" या "मैकबेथ", आज भी मानवीय भावनाओं की जटिलता को दर्शाते हैं। साहित्य का अध्ययन हमें इतिहास, समाज और मानव स्वभाव की गहरी समझ प्रदान करता है।

साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। यह हमें नैतिकता, दर्शन और सामाजिक मूल्यों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सवाल उठाने, विचार करने और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन करने का अवसर देता है। साहित्य हमें उन मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है जो समाज में प्रासंगिक हैं, जैसे कि सामाजिक असमानता, लैंगिक भेदभाव, या पर्यावरणीय संकट। उदाहरण के लिए, हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा की कविताएँ नारी के दर्द और उनकी आकांक्षाओं को उजागर करती हैं, जो आज भी लैंगिक समानता के लिए प्रासंगिक हैं।

साहित्य अध्ययन के कारण

- **व्यक्तित्व निर्माण में साहित्य की भूमिका**

साहित्य का अध्ययन व्यक्ति को संवेदनशील, विचारशील, सहृदय और मानवीय बनाता है । प्रेमचंद की कहानियाँ जब हम पढ़ते हैं, तो किसानों और मजदूरों की पीड़ा हमारे भीतर सहानुभूति उत्पन्न करती है। इसी तरह निराला की कविताएँ हमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाती हैं | यह हमारे विचारों को गहराई देता है, हमारी अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करता है, हमें जीवन के विविध पक्षों का अनुभव कराता है।

- यह भाषा का सबसे परिष्कृत और कलात्मक रूप है।
- यह मानव के हृदय की भावनाओं, चिंतन और अनुभवों का सामूहिक दर्पण है।
- साहित्य समय, समाज और संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है।

संवेदनाओं और भावनाओं का विकास

साहित्य हमें केवल तर्कशील ही नहीं बनाता, बल्कि हृदय को भी कोमल बनाता है। किसी उपन्यास के पात्र के दुख में हमें अपना दुख दिखाई देता है और उसकी खुशी में हम भी उल्लास अनुभव करते हैं। यही सहानुभूति समाज को जोड़ने की शक्ति है। **मानव जीवन केवल तर्क से नहीं चलता, उसमें भावनाएँ भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।** साहित्य के माध्यम से हम दूसरों के दुख–सुख को अनुभव करते हैं। टॉलस्टॉय के उपन्यास या रेणु का मैला आँचल हमें ग्रामीण जीवन की संवेदनाओं से जोड़ता है। साहित्य का

अध्ययन हमें मानवीय संवेदनाओं को समझने और उनसे जुड़ने में मदद करता है। जब हम कोई उपन्यास, कविता या नाटक पढ़ते हैं, तो हम न केवल पात्रों की कहानी से जुड़ते हैं, बल्कि उनकी भावनाओं, संघर्षों और आकांक्षाओं को भी महसूस करते हैं। यह हमें सहानुभूति विकसित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएँ हमें प्रेम, प्रकृति और आध्यात्मिकता की गहराई में ले जाती हैं। उनकी रचना "गीतांजलि" में प्रकृति और मानव आत्मा का एकीकरण हमें भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर छूता है।

साहित्य हमें उन लोगों के दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है जिनके अनुभव हमारे अपने अनुभवों से भिन्न हैं। यह हमें विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोगों के प्रति संवेदनशील बनाता है। उदाहरण के लिए, दलित साहित्य, जैसे कि ओमप्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा "जूठन", हमें उन लोगों के दर्द और संघर्ष को समझने का अवसर देता है जो समाज के हाशिए पर हैं। यह हमें न केवल उनकी पीड़ा को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें सामाजिक न्याय के लिए प्रेरित भी करता है।

इसके अलावा, साहित्य हमें भावनात्मक रूप से संतुलित करने में भी मदद करता है। यह हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ हम अपनी चिंताओं को भूलकर रचनात्मकता और कल्पना की शक्ति का आनंद ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम सूरदास की भक्ति कविताएँ पढ़ते हैं, तो हमें एक आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। साहित्य हमें तनाव और मानसिक दबाव से निपटने में मदद करता है और हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है।

नैतिक और मूल्य–बोध का संवर्धन

साहित्य जीवन के सही–गलत का मार्ग दिखाने वाला दर्पण है। महाभारत, रामायण जैसी महाकाव्यात्मक रचनाएँ केवल कथा नहीं हैं, बल्कि वे धर्म, कर्तव्य, नीति और आदर्श के जीवन–सूत्र प्रदान करती हैं। साहित्य जीवन के आदर्श प्रस्तुत करता है। रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य हमें धर्म, नीति और कर्तव्य की प्रेरणा देते हैं। तुलसीदास ने **"परहित सरिस धर्म नहि भाई"** कहकर परोपकार की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया।

सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण

प्रत्येक समाज का इतिहास और संस्कृति साहित्य में सुरक्षित रहती है। यदि हम कालिदास, तुलसीदास, कबीर, सूरदास, गुरुनानक, टैगोर या महादेवी वर्मा का साहित्य न पढ़ें, तो हमारी सांस्कृतिक जड़ें कमजोर हो जाएँगी। हर सभ्यता की जड़ें उसके साहित्य में सुरक्षित रहती हैं। यदि हम कालिदास, कबीर, सूरदास या टैगोर का साहित्य न पढ़ें, तो अपनी सांस्कृतिक विरासत से कट जाएँगे। साहित्य अध्ययन हमें अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान विरासत से जोड़े रखता है।

सामाजिक चेतना और परिवर्तन

साहित्य समाज का दर्पण होने के साथ-साथ समाज का मार्गदर्शक भी है। प्रेमचंद ने किसान और गरीबों की दशा को उजागर किया, प्रेमचंद ने सामंती शोषण का विरोध किया। हरिवंश राय बच्चन की 'मधुशाला' ने नए चिंतन को जन्म दिया। फणीश्वरनाथ रेणु की 'मैला आँचल' ने ग्रामीण भारत की सच्चाई सामने रखी। महादेवी वर्मा ने स्त्री–विमर्श को स्वर दिया। अज्ञेय ने आधुनिक मनुष्य की बेचैनी को अभिव्यक्ति दी।

इस प्रकार साहित्य केवल दर्पण ही नहीं, बल्कि समाज का मार्गदर्शक भी है।साहित्य समाज में परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। इस प्रकार साहित्य समाज में सुधार और परिवर्तन की चेतना जगाता है।

भाषा और अभिव्यक्ति का विकास

साहित्य भाषा का सर्वोत्तम रूप है। जब हम साहित्य पढ़ते हैं, तो हमारी भाषा परिष्कृत होती है, शब्द–भंडार बढ़ता है और अभिव्यक्ति में सौंदर्य आता है। साहित्य भाषा को परिष्कृत करता है। कविता और गद्य के अध्ययन से हमारी शब्द–संपदा बढ़ती है और अभिव्यक्ति में सौंदर्य आता है। यही कारण है कि शिक्षा–जगत में साहित्य को अनिवार्य विषय माना गया है। साहित्य का अध्ययन भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साहित्य हमें भाषा की सुंदरता, उसकी गहराई और उसकी अभिव्यक्ति की शक्ति से परिचित कराता है। जब हम कालिदास, तुलसीदास या फिर प्रेमचंद जैसे लेखकों को पढ़ते हैं, तो हम न केवल उनकी कहानियों और विचारों से परिचित होते हैं, बल्कि उनकी भाषा की शैली और शब्दावली से भी सीखते हैं। उदाहरण के लिए, तुलसीदास की "रामचरितमानस" में अवधी भाषा की मधुरता और गहराई हमें हिंदी साहित्य की समृद्ध परंपरा से जोड़ती है।

साहित्य का अध्ययन हमें भाषा के विभिन्न रूपों, जैसे कि काव्य, गद्य, और नाटक, से परिचित कराता है। यह हमें भाषा के उपयोग में रचनात्मकता और लचीलापन सिखाता है। उदाहरण के लिए, मिर्ज़ा ग़ालिब की शायरी हमें उर्दू भाषा की जटिलता और सुंदरता से परिचित कराती है। उनकी पंक्तियाँ, जैसे "हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले," हमें भाषा की गहराई और भावनात्मक शक्ति का अनुभव कराती हैं।

साहित्य हमें भाषा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों को समझने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, हिंदी साहित्य में भक्ति और रीति काल की रचनाएँ हमें उस समय की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं से परिचित कराती हैं। यह हमें भाषा के विकास के विभिन्न चरणों को समझने में मदद करता है और हमें अपनी भाषा को समृद्ध करने के लिए प्रेरित करता है।

कल्पनाशक्ति और सृजनशीलता का विस्तार

साहित्य केवल यथार्थ नहीं दिखाता, बल्कि हमें कल्पना की उड़ान भी देता है। कविता, उपन्यास या नाटक पढ़कर हमारी सोच व्यापक होती है और हम नए विचार उत्पन्न करने में सक्षम बनते हैं। कविताएँ, उपन्यास और नाटक हमारी सोच को व्यापक बनाते हैं। इससे वैज्ञानिक और रचनात्मक चिंतन को भी बल मिलता है। साहित्य का अध्ययन हमें चिंतनशील बनाता है। यह हमें अपने

जीवन, समाज और विश्व के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। साहित्य हमें उन सवालों से रूबरू कराता है जो हम सामान्य जीवन में शायद ही उठाते हैं। उदाहरण के लिए, महाभारत हमें धर्म, कर्तव्य, और नैतिकता जैसे जटिल प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। भीष्म और अर्जुन के बीच का संवाद हमें कर्तव्य और नैतिकता के बीच के द्वंद्व को समझने में मदद करता है।

साहित्य हमें विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें एक ही मुद्दे को कई कोणों से देखने और समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, **जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास "1984"** हमें सत्ता, स्वतंत्रता और निगरानी जैसे मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें आलोचनात्मक चिंतन (critical thinking) की क्षमता प्रदान करता है और हमें समाज में हो रही घटनाओं को गहराई से समझने में मदद करता है।

साहित्य हमें न केवल बाहरी दुनिया को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें अपने आंतरिक विश्व को भी जानने का अवसर देता है। जब हम साहित्य पढ़ते हैं, तो हम अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों पर विचार करते हैं। यह हमें आत्म-जागरूकता और आत्म-विश्लेषण की क्षमता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, जब हम रस्किन बॉन्ड की कहानियाँ पढ़ते हैं, तो हम बचपन, प्रकृति और सादगी के महत्व को फिर से महसूस करते हैं।

राष्ट्रीय एकता और समरसता

भारत जैसे बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश में साहित्य का अध्ययन राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करता है। हिंदी साहित्य हो या तमिल, बंगाली या मराठी साहित्य – सब हमें भारतीयता की गहरी अनुभूति कराते हैं। भारत की बहुभाषी परंपरा में साहित्य राष्ट्रीय एकता का सूत्र है। विभिन्न भाषाओं के साहित्य हमें भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता का बोध कराते हैं। साथ ही, अनुवादित साहित्य पढ़कर हम विश्व की अन्य संस्कृतियों को भी समझ सकते हैं। साहित्य का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है इसका सामाजिक परिवर्तन में योगदान। साहित्य ने समय-समय पर समाज में जागरूकता लाने और परिवर्तन को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, 19वीं और 20वीं सदी के हिंदी साहित्य ने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएँ, जैसे "भारत-दुर्दशा", ने लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाई और उन्हें औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित किया।

आधुनिक समय में भी, साहित्य सामाजिक मुद्दों जैसे कि लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण, और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, अरुंधति रॉय का उपन्यास "द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स" सामाजिक असमानता और जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों को उजागर करता है। उनकी निबंध रचनाएँ, जैसे "द एंड ऑफ इमेजिनेशन", परमाणु हथियारों और पर्यावरणीय मुद्दों पर गहरे सवाल उठाती हैं। इस तरह, साहित्य न केवल समाज को दर्शाता है, बल्कि उसे बदलने की दिशा में भी प्रेरित करता है।

साहित्य ने नारीवादी आंदोलनों को भी प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएँ नारी के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाती हैं। उनकी कविताएँ न केवल भावनात्मक रूप से प्रभावशाली हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए भी प्रेरणादायक हैं।

जीवन–दर्शन की प्राप्ति

साहित्य जीवन का दर्शन कराता है। साहित्य जीवन के गहन प्रश्नों का उत्तर देता है। कबीर की वाणी हमें भक्ति और समानता का संदेश देती है, वहीं निराला की कविताएँ व्यक्तित्व की स्वतंत्रता का। साहित्य हमें जीने की कला और जीवन के उद्देश्य का बोध कराता है। साहित्य का अध्ययन व्यक्तिगत विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह हमें आत्म-जागरूकता और आत्म-विश्लेषण की क्षमता प्रदान करता है। जब हम साहित्य पढ़ते हैं, तो हम अपने स्वयं के अनुभवों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य और मूल्यों पर विचार करने का अवसर देता है।

साहित्य हमें तनाव और मानसिक दबाव से निपटने में भी मदद करता है। यह हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ हम अपनी चिंताओं को भूलकर रचनात्मकता और कल्पना की शक्ति का आनंद ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, कविताएँ और कहानियाँ हमें भावनात्मक रूप से संतुलित करने में मदद करती हैं। इसके अलावा, साहित्य हमें प्रेरणा प्रदान करता है और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

उदाहरण के लिए, रस्किन बॉन्ड की कहानियाँ हमें सादगी, प्रकृति और मानवीय रिश्तों की सुंदरता से जोड़ती हैं। उनकी कहानियाँ हमें यह सिखाती हैं कि जीवन की छोटी-छोटी खुशियों में भी बहुत कुछ है। इसी तरह, प्रेरणादायक साहित्य, जैसे कि स्वामी विवेकानंद के लेख, हमें आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं।

आधुनिक युग में साहित्य की प्रासंगिकता

आज के तकनीकी और उपभोक्तावादी युग में भी साहित्य का महत्व कम नहीं हुआ है।

तनावपूर्ण जीवन में सहारा – साहित्य हमें मानसिक शांति देता है।

मानवता का संरक्षण – मशीनों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानवीय भावनाएँ बचाने का कार्य साहित्य करता है।

सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश – स्त्री–विमर्श, दलित–विमर्श, पर्यावरण–चेतना जैसे विषय साहित्य में प्रमुख हैं।

वैश्विक दृष्टि – साहित्य अनुवाद के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है।

प्रेमचंद ने यथार्थ का दर्शन कराया, कबीर ने भक्ति और सामाजिक

समानता का संदेश दिया, निराला ने व्यक्तिवादी चेतना जगाई। साहित्य का अध्ययन हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने और संरक्षित करने में मदद करता है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमें हमारी सांस्कृतिक पहचान के प्रति गर्व महसूस कराता है। उदाहरण के लिए, हिंदी साहित्य में वेद, उपनिषद, और पुराणों की चर्चा हमें प्राचीन भारतीय दर्शन और संस्कृति से परिचित कराती है।

साहित्य हमें विभिन्न संस्कृतियों के बीच की समानताओं और विभिन्नताओं को समझने में भी मदद करता है। यह हमें वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमें विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करना सिखाता है। उदाहरण के लिए, जब हम विश्व साहित्य पढ़ते हैं, जैसे कि लैटिन अमेरिकी साहित्य (गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ का "वन हंड्रेड इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड") या रूसी साहित्य (दोस्तोव्स्की का "क्राइम एंड पनिशमेंट"), तो हम उन संस्कृतियों की गहराई और विविधता को समझ पाते हैं। इन सबके माध्यम से हमें जीवन के अर्थ, उद्देश्य और दिशा की समझ मिलती है।

आधुनिक युग में साहित्य अध्ययन की प्रासंगिकता

आज का समय तकनीकी और भौतिक प्रगति का है। लोग सोशल मीडिया, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में जी रहे हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि साहित्य का अध्ययन आज भी क्यों आवश्यक है? शिक्षा के क्षेत्र में साहित्य का महत्व निर्विवाद है। साहित्य का अध्ययन शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। यह हमें न केवल ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण भी देता है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में साहित्य का अध्ययन छात्रों को न केवल भाषा और साहित्यिक शैलियों से परिचित कराता है, बल्कि उन्हें आलोचनात्मक चिंतन, तार्किक विश्लेषण और रचनात्मक लेखन की क्षमता भी प्रदान करता है।

साहित्य का अध्ययन हमें विभिन्न विषयों, जैसे कि इतिहास, दर्शन, समाजशास्त्र, और मनोविज्ञान, से जोड़ता है। उदाहरण के लिए, जब हम प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ते हैं, तो हम न केवल साहित्य का आनंद लेते हैं, बल्कि उस समय के सामाजिक और आर्थिक हालातों को भी समझते हैं। इसी तरह, जब हम कबीर की दोहों को पढ़ते हैं, तो हम भक्ति आंदोलन और उसके दार्शनिक आधार को समझते हैं।

यह विद्यार्थियों की भाषा–दक्षता, कल्पनाशक्ति और लेखन–कौशल को विकसित करता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं, बल्कि चरित्र–निर्माण भी है, जिसे साहित्य सुनिश्चित करता है।

साहित्य और शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में साहित्य का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के साथ–साथ भावनात्मक विकास भी करता है। साहित्य–अध्ययन से भाषा ज्ञान, लेखन–कला और चिंतन–शक्ति बढ़ती है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में साहित्य पढ़ाना केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं, बल्कि जीवन–मूल्य स्थापित करने के लिए भी आवश्यक है।

साहित्य और रोजगार

कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि क्या साहित्य पढ़ने से रोजगार मिलता है? वास्तव में साहित्य पत्रकारिता, अनुवाद, विज्ञापन, पटकथा लेखन, संपादन, शिक्षण और डिजिटल कंटेंट–निर्माण जैसे क्षेत्रों में अपार अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, साहित्यिक पृष्ठभूमि व्यक्ति को विश्लेषणात्मक और संवाद–कुशल बनाती है, जो किसी भी पेशे में उपयोगी है।

इसके साथ ही साहित्य का गहरा अध्ययन व्यक्ति को बेहतर वक्ता, लेखक और विचारक बनाता है, जो किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए सहायक है।

निष्कर्ष

साहित्य केवल किताबों में बंद अक्षरों का समूह नहीं है, बल्कि यह जीवंत अनुभूतियों का संसार है। यह मानव जीवन का दर्पण, समाज का मार्गदर्शक, संस्कृति का संरक्षक और मानवता का रक्षक है। साहित्य का अध्ययन करने से हम संवेदनशील, सहृदय, विचारशील और सृजनशील बनते हैं। साहित्य का अध्ययन केवल शौक या मनोरंजन नहीं, बल्कि मानवीय जीवन की आवश्यकता है। यह हमें संवेदनशील, सहृदय और विचारशील बनाता है। यह समाज को दिशा देता है, संस्कृति को संरक्षित करता है और जीवन को दर्शन प्रदान करता है। साहित्य का अध्ययन एक ऐसी यात्रा है जो हमें मानवता, समाज, और स्वयं के करीब लाती है। यह हमें सहानुभूति, चिंतनशीलता, और रचनात्मकता की शक्ति प्रदान करता है। यह हमें भाषा, संस्कृति, और इतिहास से जोड़ता है, और हमें सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। साहित्य का अध्ययन हमें एक बेहतर इंसान बनाता है, जो न केवल अपने लिए, बल्कि समाज और विश्व के लिए भी योगदान दे सकता है। साहित्य हमें जीवन की जटिलताओं को समझने और उसका सामना करने की शक्ति देता है। यह हमें प्रेरणा, सांत्वना और आनंद प्रदान करता है। चाहे हम इसे मनोरंजन के लिए पढ़ें, ज्ञान के लिए पढ़ें, या सामाजिक बदलाव के लिए पढ़ें, साहित्य हमेशा हमें कुछ नया सिखाता है और हमें एक बेहतर विश्व की ओर ले जाता है। इसलिए, साहित्य का अध्ययन न केवल एक शैक्षिक आवश्यकता है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को अर्थ, सुंदरता और प्रेरणा प्रदान करती है।

आधुनिक युग में जब मनुष्य भौतिकता और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में थकने लगता है, तब साहित्य ही उसे आत्मिक शांति और जीवन का सही अर्थ देता है। इसलिए कहा जा सकता है कि—

"साहित्य का अध्ययन करना जीवन को जीने की कला सीखना है।" आज के भौतिकतावादी और प्रतिस्पर्धी युग में यदि मनुष्य साहित्य से दूर हो जाए, तो वह केवल मशीन बनकर रह जाएगा। अतः साहित्य का अध्ययन केवल शौक या मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन को गहराई और दिशा देने वाली अनिवार्य आवश्यकता है।

ज्ञान के मोती

- सच्चा ज्ञान वही है, जो विनम्रता सिखाए।
- अंधकार को कोसने से बेहतर है, एक दीपक जलाना।
- वक्त और शब्द — एक बार निकल जाएँ तो लौटते नहीं।
- सफल वही है, जो असफलता से सीखता है।
- जीवन का असली आनंद दूसरों को खुश देखकर मिलता है।
- ईमानदारी वह गहना है, जो कभी पुराना नहीं होता।
- सीखना कभी बंद मत करो — जीवन ही सबसे बड़ा शिक्षक है।
- जहाँ प्रयास है, वहीं सफलता है।
- दूसरों की गलती से सीखना ही समझदारी है।
- जो स्वयं पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता है।
- विचार बदलो, तो जीवन बदल जाएगा।
- समय सबसे बड़ा गुरु है — जो सिखाता भी है और सजा भी देता है।
- हर लेन-देन में ईमानदारी, विश्वास की नींव रखती है।
- समय पर सेवा देना, ग्राहक का सम्मान है।
- जो जोखिम को समझता है, वही निवेश में सफल होता है।
- ब्याज से ज्यादा मूल्यवान है, ग्राहक का संतोष।
- नवाचार ही बैंक को भविष्य के लिए तैयार करता है।
- सकारात्मक सोच से ही वित्तीय समाधान निकलते हैं।
- सही मार्गदर्शन से ही वित्तीय साक्षरता बढ़ती है।
- जहाँ सेवा है, वहाँ समर्पण भी होना चाहिए।

हंसी की फुलझड़ियाँ

मैंने जामुन के पेड़ के नीचे,
गुलाब का पेड़ लगाया है,
ताकि दोनों पेड़ मिलकर मुझे
गुलाबजामुन दे सकें...!!

रोज़ाना एक नींबू और एक चम्मच शहद,
गर्म पानी में डाल कर पीने से
दो माह में तीन किलो नींबू और डेढ़
किलो शहद खत्म हो जाता है!

एक बार एक वैज्ञानिक ने ये समझने के लिए
कि 'शादी क्या होती है?"
शादी कर ली....
अब उसको ये समझ नही आ रहा कि विज्ञान क्या होता है।

जब घर में अच्छे कपड़े पहन कर
बैठो तो कोई नहीं आता,
और जब भिखारियों जैसा हुलिया
बना कर रहो तो मेहमानों की लाइन
लग जाती है।

संस्कार तो मुझ में कूट-कूट के भरे हैं...॥
लेकिन ज्यादा बारीक कुट जाने की वजह
से सबको दिखाई नहीं देते हैं।

सोचा था आई.ए.एस बनकर गर्लफ्रेंड से
बदला लूंगा।
फिर मैने यूपीएससी का सिलेबस देखा,
अब सोच रहा हूँ, उसे माफ ही कर देता हूं..

पत्नी - सुनो जी मैं दिवाली की शॉपिंग
की लिस्ट बना रही हूँ तो सबसे पहले
हमें क्या लेना है?
पति : सबसे पहले कर्जा लेना है।

सुख–दुःख से आना–जाना तक : युग्म शब्दों की दुनिया

विवेक कुमार, सहायक प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय बड़ौदा

भूमिका

हिन्दी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता उसकी अभिव्यक्ति की सहजता और मधुरता है। यह भाषा जितनी सरल है, उतनी ही समृद्ध भी है। इसमें अनेक व्याकरणिक नियम और अलंकारिक प्रयोग ऐसे हैं जो इसे अन्य भाषाओं से अलग बनाते हैं। उन्हीं में से एक है – युग्म शब्द।

'युग्म' का अर्थ है जोड़ा या युगल। जिस प्रकार जीवन में जोड़े का विशेष महत्व है, उसी प्रकार हिन्दी में भी युग्म शब्द भाषा को जीवंत, प्रभावशाली और आकर्षक बनाते हैं।

युग्म शब्द की परिभाषा

जब दो शब्द मिलकर किसी एक भाव, विचार, स्थिति या क्रिया को व्यक्त करते हैं, तो उन्हें युग्म शब्द कहा जाता है। इन शब्दों का प्रयोग प्रायः साहित्य, दैनिक बातचीत, भाषण और लेखन में होता है। युग्म शब्द भाषा की संक्षिप्तता को बनाए रखते हैं और पाठक या श्रोता पर गहरा असर डालते हैं।

- **उदाहरण:** "जीवन–मरण", "सुख–दुःख", "आना–जाना", "खाना–पीना"।

ये युग्म शब्द केवल दो वस्तुओं या भावों का नाम नहीं लेते, बल्कि वे मिलकर जीवन के बड़े सत्य और अनुभव को प्रकट करते हैं।

युग्म शब्दों के प्रकार

हिन्दी भाषा में युग्म शब्दों को उनके अर्थ, प्रयोग और स्वरूप के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बाँटा गया है। प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं –

1. समानार्थी युग्म शब्द

- परिभाषा – ऐसे युग्म शब्द जिनमें दोनों शब्दों का अर्थ लगभग समान होता है और वे किसी भाव को बल देने या गहराई प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होते हैं।
- **उदाहरण –**

★ दुख–कष्ट
★ मान–सम्मान
★ शांति–सौहार्द
★ राग–द्वेष

इन शब्दों से अभिव्यक्ति में दृढ़ता और दोहराव से बल मिलता है।

2. विलोम (विपरीतार्थक) युग्म शब्द

- परिभाषा – ऐसे युग्म शब्द जिनमें दोनों शब्दों के अर्थ एक-दूसरे के विपरीत होते हैं।
- **उदाहरण –**

★ जीवन–मरण
★ सुख–दुःख
★ लाभ–हानि
★ रात–दिन

ये युग्म शब्द जीवन की द्वैत स्थितियों, उतार–चढ़ाव और संतुलन को व्यक्त करते हैं।

3. समान श्रेणी के युग्म शब्द

- परिभाषा – इनमें दोनों शब्द एक ही वर्ग, क्षेत्र या समुदाय से संबंधित होते हैं।
- **उदाहरण –**

★ माता–पिता
★ गुरु–शिष्य
★ खेत–खलिहान
★ रोटी–कपड़ा

ये सामाजिक और पारिवारिक जीवन का यथार्थ चित्रण करते हैं।

4. श्रुतिसाम्य (ध्वन्यात्मक) युग्म शब्द

- परिभाषा – ऐसे युग्म शब्द जिनमें ध्वनि, लय या उच्चारण की समानता होती है।
- **उदाहरण –**

★ आना–जाना
★ लेना–देना
★ रोना–धोना
★ खेल–कूद

ये सुनने में सहज, मधुर और कर्णप्रिय लगते हैं, इसलिए साहित्य और बोलचाल दोनों में इनका खूब प्रयोग होता है।

5. प्रचलित (लोकव्यवहारिक) युग्म शब्द

- परिभाषा – ऐसे युग्म शब्द जो दैनिक बोलचाल और लोकजीवन में परंपरागत रूप से प्रयोग होते हैं।
- **उदाहरण –**

★ नाना–नानी
★ दादा–दादी
★ भाई–बहन
★ उठना–बैठना

ये सीधे आम आदमी के जीवन और संबंधों से जुड़े होते हैं।

6. विशेषणात्मक युग्म शब्द

- परिभाषा – ऐसे युग्म शब्द जिनमें दोनों शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण–धर्म का वर्णन करते हैं।
- **उदाहरण –**

★ चाल–ढाल

★ रूप–रंग
★ तन–मन
★ विचार–विमर्श

इनसे व्यक्ति या वस्तु की संपूर्णता का चित्रण होता है।

युग्म शब्दों का प्रयोग और उपयोगिता

1. **भाषा में लय –** युग्म शब्दों से वाक्य में संगीत और लय पैदा होती है। जैसे – "बच्चे खेल–कूद में लगे हैं।"
2. **संक्षिप्तता –** इनका प्रयोग करके लम्बे वाक्य को संक्षिप्त रूप में कहा जा सकता है। जैसे – "मनुष्य को सुख और दुःख दोनों में संतुलित रहना चाहिए।"
3. **सौंदर्य और प्रभाव –** इनसे भाषा अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनती है।
4. **सांस्कृतिक झलक –** अनेक युग्म शब्द हमारी परंपराओं, रिश्तों और सामाजिक मूल्यों को उजागर करते हैं। जैसे – "माता–पिता, गुरु–शिष्य।"

साहित्य और युग्म शब्द

हिन्दी साहित्य की आत्मा उसकी अभिव्यक्ति में है। कवियों और लेखकों ने सदियों से युग्म शब्दों का प्रयोग करके अपनी रचनाओं को अधिक प्रभावशाली और लयपूर्ण बनाया है। युग्म शब्द केवल भाषाई संरचना नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के द्वैत सत्य, मानवीय भावनाओं और सामाजिक यथार्थ को सजीव करते हैं।

1. संत साहित्य में युग्म शब्द

भक्तिकाल के संत कवियों ने जीवन के गहरे सत्य को सरल शब्दों में व्यक्त करने के लिए युग्म शब्दों का प्रयोग किया।

- **कबीर के दोहे –**

"सुख–दुःख दोनों सम रहे, तो गुरु भये विद्वान।"

यहाँ 'सुख–दुःख' केवल विपरीत भाव नहीं, बल्कि जीवन के उतार–चढ़ाव का दार्शनिक संदेश है।

- **रैदास ने कहा –**

"मन चंगा तो कठौती में गंगा।"

यहाँ मन–चंगा (युग्म भाव) आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है।

2. रामकाव्य और युग्म शब्द

गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में युग्म शब्दों का व्यापक प्रयोग किया है। इससे उनकी भाषा में संगीतात्मकता और प्रभाव दोनों बढ़े हैं।

- "सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीति।"

यहाँ सठ–सन और कुटिल–सन जैसे युग्म भाव समाज के दो चरित्रों को स्पष्ट करते हैं।

- "माता–पिता गुरु–नायक सेवक।"

ये युग्म शब्द जीवन में संबंधों की विविधता और महत्ता को दिखाते हैं।

3. रीतिकालीन साहित्य और युग्म शब्द

रीतिकाल के कवियों (भूषण, बिहारी, पद्माकर आदि) ने युग्म शब्दों का प्रयोग नायिका–भेद, श्रृंगार और जीवन की लीलाओं को चित्रित करने में किया।

- **बिहारी के दोहे –**

"नैन–नक्श सब छबि लिए, उर–अनुराग समेट।"

यहाँ नैन–नक्श और उर–अनुराग जैसे युग्म शब्द काव्य को सुंदरता और संक्षिप्तता प्रदान करते हैं।

4. आधुनिक साहित्य में युग्म शब्द

- सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' ने अपनी रचनाओं में जीवन की सादगी और भावनाओं की सहजता को दिखाया है। उनकी कविता "वह तोड़ती पत्थर" में श्रम और संघर्ष की झलक है, जहाँ युग्म शब्द भाषा को जीवंत करते हैं –

"वह तोड़ती पत्थर

देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर –

रात–दिन की कठोर तपन सहकर।"

यहाँ "रात–दिन" युग्म शब्द श्रमिक जीवन की कठिनाई और निरंतरता को सरलता से व्यक्त करता है।

- दिनकर की कविता से उदाहरण –

रामधारी सिंह 'दिनकर' ने विश्व-प्रसिद्ध खंडकाव्य "रश्मिरथी" में कहा है –

"सुख–दुःख से जो नहीं डरें,

वही सच्चे वीर कहलाते हैं।"

इसी प्रकार "कुरुक्षेत्र" में उन्होंने जीवन और मृत्यु का दार्शनिक भाव प्रकट किया –

"जीवन–मरण का खेल निराला,

हर क्षण में छिपा हुआ है।

5. गद्य साहित्य में युग्म शब्द

केवल कविता ही नहीं, गद्य साहित्य में भी युग्म शब्दों का विशेष योगदान है। प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों में "रोटी–कपड़ा", "खेत–खलिहान", "मान–सम्मान" जैसे युग्म शब्द पात्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को बड़ी सजीवता से प्रस्तुत करते हैं।

आधुनिक जीवन में युग्म शब्द

आज के समय में भी युग्म शब्दों का प्रयोग समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, विज्ञापनों और बोलचाल की भाषा में खूब होता है। जैसे –

- "देशवासियों से शांति–सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई।"
- "नया बजट आम जनता के लिए लाभ–हानि का संतुलन बनाएगा।"
- "रोटी–कपड़ा और मकान हर नागरिक की मूलभूत आवश्यकता है।"

निष्कर्ष :

युग्म शब्द हिन्दी भाषा की एक अमूल्य धरोहर हैं। ये शब्द न केवल भाषा को लयबद्ध और संक्षिप्त बनाते हैं, बल्कि विचारों को प्रभावशाली और अर्थपूर्ण भी बनाते हैं। इनका प्रयोग हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से भी जोड़ता है। हमें चाहिए कि दैनिक जीवन और लेखन में युग्म शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग करें, ताकि हमारी भाषा में वही सौंदर्य और मधुरता बनी रहे जो इसे विश्व की विशिष्ट भाषाओं में शामिल करती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय- बेरोजगारी का खतरा या पुनः कौशल विकास

रेनू, सहायक प्रबंधक, लुधियाना क्षेत्र

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐसी तकनीक है जो मशीनों को मानव के समान सोचने, निर्णय लेने और कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। यह केवल गणनाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भाषा को समझने, अनुभव से सीखने और नई परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन करने की शक्ति देती है। आज के दौर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग चैटबॉट, स्मार्टफोन, रोबोटिक्स, स्वचालित गाड़ियों और डाटा विश्लेषण जैसे अनेकों क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है और यह मानव जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित कर रही है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक तकनीकी क्रांति का सबसे बड़ा स्तंभ बन चुकी है। जिस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन की गति और क्षमता को बदला था, उसी प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाज के ढाँचे, रोजगार व्यवस्था और मानव जीवन शैली को रूपांतरित कर रही है। इससे कार्य अधिक तीव्र, सटीक और कम समय में पूर्ण होने लगे हैं। साथ ही यह नई संभावनाएँ भी लेकर आई है, जैसे– चिकित्सा क्षेत्र में त्वरित निदान, कृषि में स्मार्ट खेती और शिक्षा में व्यक्तिगत अधिगम आदि। परंतु इसके साथ-साथ बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियाँ भी उभर रही हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विचार बहुत पुराना है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य मानी जाती है। 1956 में जॉन मैकार्थी ने अमेरिका के डार्टमाउथ सम्मेलन में पहली बार "Artificial Intelligence" शब्द का प्रयोग किया और यही आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का औपचारिक जन्म माना जाता है। 2010 के दशक में बिग डेटा, इंटरनेट क्रांति और शक्तिशाली प्रोसेसर (GPU) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा दिया। 2016 में गूगल डीपमाइंड का AlphaGo प्रोग्राम ने गो (Go) खेल में विश्व चैंपियन ली सेडोल को हराकर यह दिखा दिया कि मशीनें अब अत्यधिक जटिल रणनीतिक खेलों में भी मानव से आगे निकल सकती हैं। इसके बाद स्वचालित गाड़ियाँ (Tesla, Waymo), वर्चुअल असिस्टेंट (Siri, Alexa, Google Assistant) और उन्नत चैटबॉट्स (ChatGPT) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को आम जनता तक पहुँचा दिया। वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। PwC की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 15.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दे सकती है। स्वास्थ्य सेवा में एआई आधारित सॉफ़्टवेयर रोग पहचान की सटीकता को 90% से अधिक तक बढ़ा चुके हैं। कृषि में स्मार्ट ड्रोन और सेंसर किसानों को मौसम और फसल रोग की भविष्यवाणी करने में मदद कर रहे हैं। शिक्षा में व्यक्तिगत अधिगम और स्वचालित मूल्यांकन प्रणाली छात्रों के लिए सीखने को आसान बना रही है। भारत में भी राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति (2018) लाई गई, ताकि इसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में लागू किया जा सके। संक्षेप में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब केवल कंप्यूटर लैब्स और शोध पत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह औद्योगिक उत्पादन, सेवाओं, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और घरेलू जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। इसका इतिहास मानव कल्पना से शुरू होकर आज वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज की धड़कन तक पहुँच चुका है।

शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता छात्रों की सीखने की गति और शैली को समझकर व्यक्तिगत अधिगम योजनाएँ तैयार करने में सहायक है। कृषि में इसका उपयोग स्मार्ट सेंसर और ड्रोन के माध्यम से फसल की निगरानी, मिट्टी की गुणवत्ता जाँच और मौसम की भविष्यवाणी में किया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सबसे बड़े लाभों में गति, सटीकता और लागत की बचत शामिल है। यह न केवल मानवीय त्रुटियों को कम करती है, बल्कि जटिल समस्याओं के समाधान भी सुझाती है। भविष्य में यह ऊर्जा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, यातायात नियंत्रण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। यदि सही दिशा में इसका उपयोग किया जाए तो यह सतत विकास और मानव जीवन की गुणवत्ता सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बेरोजगारी और पुनः कौशल विकास

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विस्तार ने पारंपरिक रोजगार ढाँचे को गहराई से प्रभावित किया है। पहले जहाँ उत्पादन इकाइयों, कॉल सेंटरों, बैंकिंग और परिवहन सेवाओं में हजारों लोग कार्यरत रहते थे, अब वही कार्य मशीनें और स्वचालित प्रणालियाँ कर रही हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगले 20 वर्षों में लगभग 47% पारंपरिक नौकरियाँ स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वजह से प्रभावित हो सकती हैं। विशेष रूप से वे श्रमिक, जिनके पास उच्च तकनीकी कौशल नहीं है, सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, ऑटोमोबाइल कंपनियों में रोबोटिक आर्म्स ने असेंबली लाइन पर हजारों मजदूरों की आवश्यकता को कम कर दिया है।

श्रमिक वर्ग पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मशीनें चौबीसों घंटे बिना विश्राम के कार्य करने में सक्षम हैं, जबकि मानव श्रमिक को विश्राम, वेतन और अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि उद्योगपति और कंपनियाँ मशीनों को अधिक प्राथमिकता देने लगी हैं। इससे न केवल नौकरियों में कटौती हो रही है, बल्कि शेष बचे

श्रमिकों पर कार्य का दबाव भी बढ़ रहा है। वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 तक मशीनें और मानव श्रमिक लगभग समान मात्रा में कार्य करेंगे, जिससे लाखों पारंपरिक नौकरियाँ खत्म हो सकती हैं। इसका सीधा परिणाम सामाजिक और आर्थिक असमानता के रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि उच्च कौशल वाले लोग नई नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, जबकि साधारण श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं।

भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है। भारत में लगभग 43% कार्यबल कृषि और असंगठित क्षेत्र पर निर्भर है, जहाँ कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत कम है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियाँ जैसे स्मार्ट खेती, स्वचालित ट्रैक्टर और फसल निगरानी ड्रोन भविष्य में पारंपरिक कृषि मजदूरी की माँग घटा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में कॉल सेंटर और बैंकिंग सेवाओं में चैटबॉट्स और स्वचालित प्रणाली मानव कर्मचारियों की जगह ले रहे हैं। यदि समय रहते बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण और पुनः कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया गया तो बेरोजगारी दर और भी अधिक बढ़ सकती है।

संक्षेप में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ओर जहाँ उत्पादन की गति और गुणवत्ता को बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर यह पारंपरिक रोजगार के लिए गंभीर संकट भी उत्पन्न कर रही है। इसका प्रभाव विशेषकर उन देशों पर अधिक है जहाँ कौशल और शिक्षा का स्तर असमान है। यही कारण है कि भारत जैसे विकासशील देशों में समय पर पुनः कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक हो गया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में केवल पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। अब ऐसे कौशलों की आवश्यकता है जो व्यक्ति को मशीनों के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम बनाएं। जैसे-डेटा विश्लेषण, कोडिंग, मशीन लर्निंग और डिजिटल उपकरणों का प्रयोग। साधारण कर्मचारी से लेकर उच्च पदों पर कार्यरत सभी व्यक्तियों के लिए डिजिटल साक्षरता आवश्यक हो गई है। कंप्यूटर और इंटरनेट का ज्ञान अब बुनियादी आवश्यकता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने यह सिद्ध कर दिया है कि सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जीवनपर्यन्त सीखने की अवधारणा के तहत हर व्यक्ति को समय-समय पर अपने ज्ञान और कौशल का नवीनीकरण करना होगा। यही तरीका है जिससे बदलते तकनीकी परिवेश में टिके रहना संभव होगा।

सरकार एवं समाज की भूमिका

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने हेतु सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और डिजिटल इंडिया जैसी पहलें शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल से लैस करना है, ताकि वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में रोजगार योग्य बन सकें। केवल सरकार ही नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों की भी जिम्मेदारी है कि वे युवाओं को प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करें। विश्वविद्यालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा साइंस और मशीन लर्निंग जैसे विषयों को शामिल करना समय की मांग है। इसी तरह उद्योग जगत को भी कर्मचारियों को पुनः कौशल और उन्नत कौशल देने पर निवेश करना चाहिए।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता महिलाओं और युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आ सकती है। ऑनलाइन शिक्षा, वर्क-फ्रॉम-होम और डिजिटल उद्यमिता जैसे क्षेत्र खासकर महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं। ग्रामीण युवाओं को डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट सुविधाएँ उपलब्ध कराकर उन्हें भी मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है।

भविष्य की दिशा

भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानव को प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि सह-अस्तित्वकारी शक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। मशीनें गणना, विश्लेषण और दोहराए जाने वाले कार्यों में दक्ष हैं, जबकि रचनात्मकता, सहानुभूति और नैतिक निर्णय मानव की विशेषता है। दोनों के मेल से ही संतुलित विकास संभव है। हालाँकि पारंपरिक नौकरियाँ कम हो रही हैं, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता नए रोजगार भी पैदा कर रही है। जैसे– साइबर सुरक्षा, डाटा प्रबंधन, मशीन लर्निंग विशेषज्ञ, रोबोटिक्स इंजीनियर और डिजिटल कंटेंट निर्माण। यदि समाज समय रहते इन क्षेत्रों में कौशल विकसित करे, तो रोजगार के नए द्वार खुल सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सही उपयोग तभी संभव है जब इसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे। ग्रामीण क्षेत्र, गरीब तबका और वंचित समुदाय भी इस तकनीकी क्रांति में शामिल हों, तभी यह विकास समावेशी और सतत माना जाएगा। इसके लिए नीति-निर्माताओं और समाज दोनों को साथ मिलकर कार्य करना होगा।

निष्कर्ष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय मानव सभ्यता के लिए एक नई क्रांति की तरह है। यह न केवल कार्य करने के तरीके को बदल रही है बल्कि शिक्षा, कृषि, उद्योग और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएँ भी खोल रही है। यद्यपि इससे पारंपरिक नौकरियों पर संकट और बेरोजगारी की समस्या बढ़ सकती है, परंतु यदि समय रहते पुनः कौशल और उन्नत कौशल पर ध्यान दिया जाए तो यह चुनौती अवसर में बदल सकती है। समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि वे युवाओं और श्रमिक वर्ग को बदलते समय के अनुरूप तैयार करें। डिजिटल साक्षरता, तकनीकी प्रशिक्षण और जीवनपर्यन्त सीखने की आदत ही भविष्य की सफलता की कुंजी है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग केवल मशीनों का नहीं, बल्कि मनुष्य और मशीन के सहयोग का युग है। यदि हम संतुलित दृष्टिकोण अपनाएँ और पुनः कौशल विकास को प्राथमिकता दें, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता न केवल बेरोजगारी की चुनौती को कम करेगी बल्कि एक समावेशी और सतत विकासशील समाज के निर्माण में भी सहायक सिद्ध होगी।

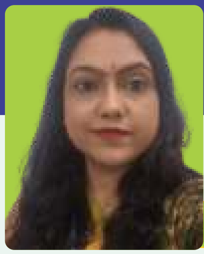

भगवती चरण वर्मा: एक बहुआयामी व्यक्तित्व

सोनू जोशी, प्रबंधक, भोपाल क्षेत्र

"मनुष्य अनुभव प्राप्त नहीं करता, परिस्थितियाँ मनुष्य को अनुभव प्राप्त कराती हैं।"

- भगवती चरण वर्मा

भगवती चरण वर्मा हिंदी साहित्य के उन चुनिंदा स्तंभों में से एक हैं, जिन्होंने न केवल अपनी कलम से समाज और जीवन की यथार्थ तस्वीर उकेरी, बल्कि एक गहन दार्शनिक दृष्टि भी प्रदान की । उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें उपन्यासकार, कवि, कहानीकार, नाटककार और पत्रकार के रूप में प्रतिष्ठित किया । उन्होंने अपने लेखन तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रमुख रूप से कार्य किया, और अपने जीवनकाल में लगभग तेरह से अधिक उपन्यास, कई कहानी संग्रह और कविता संग्रह प्रकाशित किए ।

भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गाँव में हुआ था । उनके जीवन पर 1908 में आई प्लेग महामारी का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसमें उन्होंने अपने पिता बाबू देवीचरण वर्मा को खो दिया । यह प्रारंभिक आघात और पारिवारिक दायित्व के बोझ ने संभवतः उनके जीवन-दर्शन की नींव रखी, जिसमें नियति और विवशता का स्वर प्रमुख था। इस त्रासदी ने उन्हें जीवन की क्षणभंगुरता और मनुष्य की नियति के समक्ष उसकी विवशता का बोध कराया। यही अनुभव उनके साहित्य के केंद्रीय दर्शन, 'नियतिवाद', का आधार बना, जहाँ वे यह स्थापित करते हैं कि मनुष्य केवल परिस्थितियों का दास और एक साधन मात्र है, और घटनाएँ पूर्व-निर्धारित होती हैं ।

उन्होंने इलाहाबाद (प्रयागराज) से बी.ए. और एलएल.बी. की उपाधि प्राप्त की । इसके बाद उनका करियर एक लेखक और पत्रकार के रूप में बहुआयामी रहा। वर्मा जी द्वारा रचित पहले उपन्यास 'पतन' का प्रकाशन वर्ष 1929 में हुआ तथा उनके प्रथम कविता संग्रह 'मधुकण' का प्रकाशन वर्ष 1933 में हुआ। वर्ष 1934 में उनके बहुचर्चित उपन्यास 'चित्रलेखा' का प्रकाशन हुआ , जिसपर कालांतर में फिल्म का भी निर्माण किया गया। उन्होंने 1936 में व कलकत्ता में फिल्म कॉर्पोरेशन में काम किया तथा 'विचार' नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी किया। लंबे समय तक आकाशवाणी के कई केंद्रों में सेवा देने के बाद, 1957 से वे मृत्यु-पर्यन्त स्वतंत्र लेखन में संलग्न रहे । वर्ष 1959 में उनके उपन्यास 'भूले – बिसरे चित्र' का प्रकाशन हुआ, जिसे वर्ष 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1971 में पद्मभूषण से सम्मानित किया । 1978 में, उन्हें राज्यसभा के लिए मानद सदस्य के रूप में चुना गया ।

वर्माजी का व्यक्तित्व स्वाभिमान से परिपूर्ण था। वे अपनी प्रशंसा से बेपरवाह और आलोचना से बेफिक्र रहनेवाले व्यक्ति थे, जो उनके अनासक्त स्वभाव को दर्शाता है । उन्होंने स्वयं लिखा है कि उन्हें "आत्मसंतुष्टि" प्यारी है और उनमें "निंदा का भय" नहीं है । यह गुण उन्हें अपने समकालीन लेखकों से अलग करता है। उनका स्वभाव स्पष्टवादी था और वे किसी भी विषय पर अपने विचार बेबाकी से रखते थे । उनका यह अक्खड़पन उनकी रचनाओं में, विशेषकर 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' और उनकी व्यंग्यपूर्ण कविताओं में, मुखर रूप से दिखाई देता है। उनके व्यक्तित्व में एक विद्रोही भाव भी था। वे स्थापित मान्यताओं, चाहे वे सामाजिक हों या साहित्यिक, को चुनौती देने से नहीं हिचकते थे । उनकी रचना 'कवि का विशद ज्ञान' छायावादी काव्यधारा पर एक स्पष्ट व्यंग्य है, जो उनके विद्रोही स्वभाव का प्रमाण है ।

भगवती चरण वर्मा ने हिंदी साहित्य को विभिन्न विधाओं में समृद्ध किया। वे मुख्यतः उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनका योगदान कविता, कहानी और नाटक में भी मौलिक है। उनकी कविताएँ छायावाद के कोमल भावों से विद्रोह करती हैं और उनमें सामाजिक व्यंग्य का तीखा स्वर प्रमुख है । उनकी कालजयी कविता 'हम दीवानों की क्या हस्ती' स्वतंत्रता और मस्ती का संदेश देती है । इस कविता में व्यक्त मस्ती व फक्कड़ी

उन्होंने हिंदी कहानी को नई गति और शक्ति प्रदान की। उनकी कहानियाँ पूर्णतः सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं और वे रोचकता के लिए प्रसिद्ध हैं । उन्होंने नाटक और एकांकी भी लिखे, जिनमें 'रुपया तुम्हें खा गया' आधुनिक समाज की अर्थलिप्सा पर कठोर प्रहार करता है । इसके अतिरिक्त, उन्होंने संस्मरण ('अतीत की गर्त से'), निबंध ('साहित्य की मान्यताएँ') और रेडियो रूपक ('महाकाल', 'कर्ण', 'द्रौपदी' - जो 'त्रिपथगा' के रूप में संकलित हैं) भी लिखे ।

भगवती चरण वर्मा के साहित्य में नियतिवाद का दर्शन सर्वोपरि है । उनके पात्र परिस्थितियों के सामने विवश और साधन मात्र दिखाई देते हैं । यह दार्शनिक विचार उनके बचपन के आघात से उपजा है, जहाँ उन्होंने जीवन की अनियंत्रित शक्तियों का अनुभव किया। हालाँकि, उनका नियतिवाद उन्हें निराशावादी नहीं बनाता है। वे गीता के 'निष्काम कर्म' के सिद्धांत को अपनाते हैं, जिसमें व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करने पर बल दिया गया है । उनके पात्रों का संघर्ष यह दिखाता है कि भले ही परिणाम नियति द्वारा निर्धारित हो, मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए । यह एक गहन दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है जो उनके साहित्य को केवल नियतिवाद के कारागार से बाहर निकालकर एक सक्रिय, मानवीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। उनके उपन्यास युगीन सामाजिक यथार्थ का उद्घाटन करते हैं – जिनमें धर्म, अंधविश्वास, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य

और आध्यात्मिक खोज पर प्रश्न उठाए गए हैं। उनके उपन्यास और कहानियों में पाप-पुण्य जैसे दार्शनिक प्रश्न प्रमुख हैं। उनके कालजयी उपन्यास चित्रलेखा (1934) में 'पाप और पुण्य' की समस्या पर गहरा चिंतन किया गया है। यह मूलतः पाप-पुण्य की समस्या का दार्शनिक विमर्श है जो पाप और पुण्य की शाश्वत समस्या पर आधारित है । उपन्यास की कथा महाप्रभु रत्नाम्बर द्वारा अपने दो शिष्यों श्वेतांक और विशालदेव को इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए संसार में भेजने से शुरू होती है । वर्माजी का यह मानना है "मनुष्य न पाप करता है, न पुण्य, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है" । इस उपन्यास में उनका नियतिवादी और व्यक्तिवादी दर्शन स्पष्ट रूप से सामने आता है। वे कहते हैं

"पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मन:प्रवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है–प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता है। अपनी मन:प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अपने पाठ को वह दुहराता है–यही मनुष्य का जीवन है। जो कुछ मनुष्य करता है, वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है–विवश है। कर्त्ता नहीं है, वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा? मनुष्य में ममत्व प्रधान है। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। केवल व्यक्तियों के सुख के केन्द्र भिन्न होते हैं। कुछ सुख को धन में देखते हैं, कुछ सुख को मदिरा में देखते हैं, कुछ सुख को व्यभिचार में देखते हैं, कुछ त्याग में देखते हैं–पर सुख प्रत्येक व्यक्ति चाहता है; कोई भी व्यक्ति संसार में अपनी इच्छानुसार वह काम न करेगा, जिसमें दुख मिले–यही मनुष्य की मन:प्रवृत्ति है और उसके दृष्टिकोण की विषमता है। संसार में इसीलिए पाप की परिभाषा नहीं हो सकी–और न हो सकती है। हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं, जो हमें करना पड़ता है।"

साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित चार पीढ़ियों का सामाजिक महाकाव्य 'भूले-बिसरे चित्र' मूलतः मध्यमवर्गीय परिवार की चार पीढ़ियों की गाथा है, जो 1885 से 1959 तक भारतीय समाज में हुए परिवर्तनों का जीवंत चित्रण करता है । इसमें संयुक्त परिवार व्यवस्था के विघटन , सामंतवाद के पतन और नए पूंजीवादी मूल्यों के उदय को दर्शाया गया है । यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और गांधीवादी आस्था के उदय को भी चित्रित करता है। इसमें संयुक्त परिवार व्यवस्था के विघटन , सामंतवाद के पतन और नए पूंजीवादी मूल्यों के उदय को दर्शाया गया है । "भूले बिसरे चित्र" का विषय मुख्य रूप से अतीत के साथ जुड़ी हुई यादों और उनके ताजगी खोने के कारण उत्पन्न होने वाली मानसिक स्थितियों पर आधारित है। इसमें परिवार, रिश्ते, और समाज के बदलाव के साथ मानव मन के संघर्ष और संवेदनाओं को गहराई से उकेरा गया है। इसी स्थिति को दर्शाते हुए लेखक कहते हैं कि

"यादें भी चित्रों की तरह होती हैं, जो समय के साथ धुंधली पड़ जाती हैं, और फिर वे इतनी दूर हो जाती हैं कि एक दिन वे भी भूले-बिसरे चित्र बनकर रह जाती हैं।"

यह पंक्ति 'भूले-बिसरे चित्र' उपन्यास के केंद्रीय विचार को प्रस्तुत करती है, जिसमें यह बताया गया है कि जैसे पुराने चित्रों के रंग उधड़ जाते हैं और उनकी पहचान मिट जाती है, उसी प्रकार समय के साथ रिश्ते, घटनाएँ और यादें धुंधली हो जाती हैं, ।

उनकी रचनाओं में समाज, राजनीति, आर्थिक जीवन और धार्मिक मान्यताओं का निष्पक्ष और यथार्थवादी चित्रण मिलता है । वे किसी उपदेशक की तरह झूठे आदर्शों को थोपने का प्रयास नहीं करते , बल्कि समाज को उसकी 'यथार्थ स्थिति' से अवगत कराते हैं। उनके उपन्यासों में सामाजिक जीवन के विभिन्न वर्ग, परंपराएँ और व्यवस्थाएँ विस्तार से चित्रित हैं। उन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से आर्थिक समस्याओं और बढ़ते हुए पैसे के प्रभाव का भी आकलन किया है, साथ ही राजनीतिक जीवन के विविध आयामों को भी निष्पक्ष रूप से उकेरा है ।

उनकी साहित्यिक विरासत आज भी प्रासंगिक है। उनके उपन्यास 'चित्रलेखा' पर दो बार फिल्में बनीं (1941 और 1964) । उन्होंने अपने लखनऊ स्थित घर का नाम भी 'चित्रलेखा' रखा था, जो इस कृति के प्रति उनके गहरे लगाव को दर्शाता है । उनके उपन्यास और कहानियाँ आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि वे मानव मन की गहराई और समाज की जटिलताओं को दर्शाते हैं। वे किसी एक 'वाद' से बंधे नहीं थे, बल्कि उन्होंने समाज और मानव जीवन को उसकी संपूर्णता में चित्रित करने का प्रयास किया ।

भगवती चरण वर्मा ने अपनी विशिष्ट भाषा शैली के माध्यम से हिंदी साहित्य में एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी भाषा की सरलता और प्रभावशीलता ही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण थी। वर्मा जी की भाषा शैली सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण है। उनकी भाषा में एक स्वाभाविक प्रवाह है। वाक्य छोटे और स्पष्ट होते हैं, जो कहानी को गति देते हैं और पढ़ने में आनंद आता है। उनकी शैली की सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी और स्पष्टता है। उनकी लेखनशैली की एक प्रमुख विशेषता इसकी निष्पक्षता और सरल प्रवाह था| वे पाप-पुण्य, प्रेम, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों जैसे गंभीर विषयों को भी सरल भाषा में समझाते थे। उनका प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें पाप और पुण्य के विषय पर गहन विचार किया गया है। उपन्यास में कुमार्ग और सुमार्ग संबंधी चर्चा के दौरान लेखक कहते हैं

"जीवन का कोई मार्ग शाश्वत रूप से कुमार्ग या सुमार्ग नहीं होता; काल और परिस्थिति ही उसका मूल्य तय करती है"

उक्त संवाद गहन चिंतन से भरा है परंतु वाक्य छोटे व सशक्त हैं। वाक्य में तर्कपूर्ण विवेचना है जो भाषा को गंभीर बनाती है।

वे अपनी रचनाओं में विषय के अनुसार भाषा का प्रयोग करते थे,

जिससे उनकी बात पाठकों तक सीधे पहुँचती थी। उन्होंने अपनी भाषा में तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का सुंदर मिश्रण किया। उनके लेखन में हास्य-व्यंग्य और दार्शनिकता का भी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। उनके लेखन की एक बड़ी विशेषता उनका अद्‌भुत कथा-विन्यास और पठनीयता है, जो पाठक को बांधे रखती है । उनकी कविताओं में व्यंग्य का स्वर प्रधान है और उन पर निराला का शिल्पगत प्रभाव भी दिखता है । वे सामाजिक विसंगतियों और रूढ़ियों पर व्यंग्य के माध्यम से प्रहार करते थे। वर्मा जी ने आम बोलचाल की भाषा का उपयोग किया। उनकी भाषा में गहन अलंकार कम हैं, लेकिन लोकप्रिय मुहावरे सहजता से देखने को मिलते हैं। उनकी शैली में कहीं-कहीं संधिप्रयोग, उपमा और अलंकारात्मक शब्द-चित्र मिलते हैं, पर वे कभी भाषा को भारी नहीं होने देते। उनका सरस प्रवाह और व्यंग्यात्मक स्वर अनायास ही अपनी ओर ध्यान खींचते हैं । उनकी भाषा जटिल या क्लिष्ट नहीं थी, जिससे आसानी से हर वर्ग का पाठक उनकी रचनाओं से जुड़ पाता था। वे पात्रों के सामाजिक और शैक्षिक स्तर के अनुसार उनकी भाषा का चयन करते थे। उदाहरण के लिए, ग्रामीण पात्रों के लिए लोकभाषा और शिक्षित पात्रों के लिए संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करते थे। इससे उनके पात्र सजीव लगते थे। उनकी रचनाओं में जीवन-दर्शन और मनोविज्ञान का गहरा प्रभाव दिखता है।

भगवती चरण वर्मा एक ऐसे साहित्यकार थे, जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व एक-दूसरे के पूरक थे। उनके जीवन के संघर्षों ने उनके नियतिवादी दर्शन को जन्म दिया, जबकि उनकी स्पष्टवादिता और विद्रोही स्वभाव ने उन्हें समाज और राजनीति का एक निर्भीक आलोचक बनाया।उन्होंने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी, जहाँ केवल सामाजिक यथार्थ ही नहीं, बल्कि गहन दार्शनिक प्रश्न भी उठाए गए। उनकी सरल, मनोरंजक शैली के भीतर जीवन के गंभीरतम सत्य छिपे थे। उन्होंने अपने साहित्य में कला के मनोरंजन-प्रधान पक्ष को विशेष महत्व दिया । वर्माजी का योगदान हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय है। वे न केवल अपने समय के एक महान लेखक थे, बल्कि एक ऐसे विचारक भी थे, जिनके प्रश्न और उत्तर आज भी आधुनिक पाठक के मन को आंदोलित करते हैं। उनके साहित्य में व्यक्त नियति, कर्म, व्यक्ति और समाज के बीच का द्वंद्व कालातीत है, जो उनकी विरासत को सदैव जीवित रखेगा।

भगवती चरण वर्मा की प्रमुख कृतियाँ:

उपन्यास : पतन, चित्रलेखा, तीन वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, रेखा, सबहिं नचावत राम गोसाईं, प्रश्न और मरीचिका, धुप्पल

कविता संग्रह : मधुकण, प्रेम संगीत, मानव

कहानी संग्रह: इंस्टालमेंट , दो बाँके, राख और चिनगारी

माँ

घुटनों से रेंगते-रेंगते,
कब पैरों पर खड़ा हुआ,
तेरी ममता की छाँव में,
जाने कब बड़ा हुआ,

काला टीका दूध मलाई,
आज भी सब कुछ वैसा है।
मैं ही मैं हूँ दूर जगह,
प्यार ये तेरा कैसा है?

सीधा-साधा, भोला-भाला,
मैं ही सबसे अच्छा हूँ।
कितना भी हो जाऊ बड़ा, "माँ !"
मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ ।

मुकेश कुमार केसरी
प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय कोयम्बतूर

पाँचवाँ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

प्रियंका दास, सहायक प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद

प्रस्तावना

गांधीनगर, गुजरात की पुण्यभूमि पर 14 और 15 सितम्बर 2025 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा पाँचवें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। यह अवसर केवल एक औपचारिक सम्मेलन भर नहीं था, बल्कि "भारत की आत्मा में बसने वाली हिंदी और उसकी सहयोगी भारतीय भाषाओं के उत्सव" का प्रतीक था।

देशभर से लगभग सात हज़ार से अधिक प्रतिभागी — जिनमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, भाषाविद, साहित्यकार, मीडिया प्रतिनिधि, न्यायविद, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, विद्यार्थी, और राजभाषा कार्यान्वयन में सक्रिय अधिकारीगण सम्मिलित हुए। सम्मेलन का उद्देश्य राजभाषा नीति की प्रगति की समीक्षा, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के समन्वय पर चर्चा, अनुवाद व भाषा-प्रौद्योगिकी के विकास व व्यवहारिक चुनौतियों के समाधान पर साझा रणनीति बनाना था।

हिंदी दिवस के साथ संयोजित इस पाँचवे अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह केंद्र सरकार की राजभाषा नीतियों, बहुभाषी अनुवाद तंत्रों और तकनीकी समाधानों को देश भर में प्रचारित करने का प्रमुख मंच बन चुका है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय प्रत्येक वर्ष राजभाषा हिंदी के संवर्द्धन हेतु राष्ट्रव्यापी प्रयास करता रहा है। इस क्रम में—

2021 में वाराणसी में प्रथम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, 2022 में सूरत में द्वितीय, 2023 में पुणे में तृतीय, 2024 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में चतुर्थ, और 2025 में गांधीनगर में पाँचवाँ सम्मेलन आयोजित हुआ।

पिछले चार सम्मेलनों के अनुभवों को आधार बनाकर इस वर्ष सरकार ने विशेष रूप से यह संदेश देने का प्रयास किया कि हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं का प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहायक एवं पूरक है — एक ऐसा दृष्टिकोण जो भाषायी एकता और मातृभाषा के विकास के बीच संतुलन स्थापित करने पर बल देता है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह हिन्दी दिवस 2025 के अवसर पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित पांचवे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल, केन्द्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री बंडी संजय कुमार, राजभाषा विभाग की सचिव सुश्री अंशुली आर्या, संयुक्त सचिव सुश्री मीनाक्षी जौली सहित भारत सरकार के अनेक गणमान्य अधिकारी उपस्थित थे।

साथ ही यहाँ हाल में विभिन्न प्रकाशनों, बैंकों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा राजभाषा क्रियाकलापों से संबंधित प्रदर्शनियों लगायी गई थीं, जो काफी दर्शनीय तथा इनका माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सहित अन्य मंत्रीगण, गणमान्य अतिथियों तथा हिन्दी प्रेमियों द्वारा अवलोकन किया गया। इस प्रदर्शनी में इण्डियन ओवरसीज बैंक ने भी अपना स्टॉल लगाया था, जिसमे बैंक द्वारा प्रकाशित विभिन्न पत्रिकाओं, राजभाषा प्रशिक्षण सामग्री, भाषा संगम तथा बैंक उत्पाद से संबंधित सामग्रियों को प्रदर्शित किया गया था। हमारी प्रदर्शनी का विशेषावलोकन माननीय अमित शाह द्वारा किया गया। मंत्री जी का स्वागत हमारे बैंक के प्रबंध निदेशक व सीईओ श्री अजय कुमार श्रीवास्तव जी द्वारा शॉल ओढ़ाकर व पुष्पगुच्छ से किया गया।

14 सितम्बर की प्रातः सम्मेलन का शुभारंभ गुजरात की लोकगायन परंपरा से हुआ। उसके बाद गृह मंत्री श्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्रीगण, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी मंच पर विराजमान हुए। पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पूरे सभागार में गम्भीरता और उत्साह का अनोखा वातावरण था। दीप प्रज्वलन के पश्चात् सबसे पहले प्रोफेसर विजय पंड्या को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए राजभाषा हिंदी की भूमिका पर सारगर्भित विचार रखे। इसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने अपने संबोधन में हिंदी को जन-जन की भाषा बताते हुए राजभाषा के रूप में इसके प्रचार-प्रसार की दिशा में मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विस्तार से उल्लेख किया।

इसके उपरांत गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अपने वक्तव्य में गुजरात की बहुभाषिक संस्कृति और हिंदी के माध्यम से राज्यों के बीच संवाद-संपर्क की बढ़ती संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि-

"हिंदी न केवल प्रशासन की भाषा है, बल्कि भारतीयता को जोड़ने वाला सेतु भी है।"

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात की धरती पर इस राष्ट्रीय आयोजन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गांधीजी और सरदार पटेल की भूमि पर हिंदी और भारतीय भाषाओं के उत्थान हेतु सम्मेलन होना गर्व की बात है। उन्होंने गुजरात सरकार द्वारा प्रशासन और शिक्षा में मातृभाषा को बढ़ावा देने की पहल का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि "गांधीजी और सरदार पटेल की धरती पर यह सम्मेलन होना अपने आप में गौरव की बात है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस सम्मेलन से **"गुजरात की बहुभाषी संस्कृति और हिंदी के राष्ट्रीय स्वरूप"** को और बल मिलेगा।

सत्र का सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह मंच पर आए। उन्होंने अपने उद्बोधन में हिंदी को भारतीय संघीय

ढांचे में एक सशक्त कड़ी बताते हुए इसे तकनीक और आधुनिक प्रशासन से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री अमित शाह ने उपस्थित अधिकारियों, विद्वानो का उत्साहवर्धन करते हुए यह संदेश दिया कि हिंदी और भारतीय भाषाएँ मिलकर ही भारत को 'विकसित राष्ट्र' बनाने के संकल्प में योगदान दे सकती हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि "हिंदी और भारतीय भाषाएँ केवल संवाद का माध्यम नहीं हैं, यह हमारी सांस्कृतिक आत्मा की धड़कन हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी देश की सभी भाषाओं को जोड़ने वाली सेतु है। आज आवश्यकता है कि हम प्रशासन, न्याय, प्रौद्योगिकी और शिक्षा—हर क्षेत्र में भारतीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ाएँ।"

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने उद्घाटन भाषण में स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं के साथ प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए; इसके स्थान पर उसे सहायक, सर्वव्यापी और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, न्याय तथा पुलिसिंग जैसे क्षेत्रों में प्रभावी भाषा के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने गुजरात को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जहाँ गुजराती और हिंदी ने साथ-साथ विकास किया है—और यह उदाहरण भाषायी सहअस्तित्व का परिचायक है। शाह जी ने भाषा-प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों, अनुवाद साधनों और शब्द-संपदा (शब्द-सिंधु) जैसे प्रोजेक्ट्स पर विशेष जोर दिया।

श्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 5 साल से अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन दिल्ली से बाहर देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है जिससे राजभाषा हिन्दी और देश की अन्य भाषाओं के बीच संवाद बढ़ाने का बहुत अच्छा मौका मिला है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सम्मेलनों का यह अनुभव रहा है कि इससे नई दृष्टि, ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि जब सारा कामकाज भारतीय भाषाओं मे होता है तो जनता के साथ संपर्क अपने आप बढ़ जाता है।

"हिन्दी सिर्फ बोलचाल और प्रशासन की भाषा नहीं, बल्कि विज्ञान, तकनीक, न्याय और पुलिसिंग की भाषा भी होनी चाहिए।"

- श्री अमित शाह

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सारथी अनुवाद प्रणाली में हिन्दी से भारत की सभी मान्य भाषाओं में सरलता से अनुवाद करने की व्यवस्था है। श्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे अपनी-अपनी भाषा में उन्हें पत्र भेजें और पत्र का उत्तर उनकी भाषा में ही भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्र चाहे किसी भी भाषा में हो, सारथी में उसके अनुवाद की व्यवस्था की गई है। साथ ही हिन्दी में हमारे जवाब के उनकी भाषा में ही अनुवाद की भी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सारथी के माध्यम से हम सबका संपर्क स्वभाषा में ही होगा।

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, भारत सरकार के बोर्ड / स्वायत निकाय/ट्रस्ट सोसाइटी, राष्ट्रीयकृत बैंकों (केवल मुख्यालयों) को तथा उनके द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के रूप में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह तथा मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण द्वारा पुरस्कार विजेता संस्था के शीर्षस्थ अधिकारियों को शील्ड प्रदान की गई।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक का परचम एक बार फिर से लहराया तथा बैंक को कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान की श्रेणी में "राजभाषा कीर्ति -प्रथम पुरस्कार" प्राप्त हुआ । यह पुरस्कार बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कर कमलों से प्राप्त किया।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कई प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। गृह मंत्री द्वारा 'राजभाषा वार्षिकी 2025' और 'प्रौद्योगिकी एवं हिंदी विशेषांक' नामक पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इस विशेषावसर पर माननीय गृह मंत्री व हमारे प्रबंध निदेशक व सीईओ श्री अजय कुमार श्रीवास्तव के करकमलों से हमारे बैंक द्वारा प्रकाशित **"ज्ञान क्षितिज पर हिंदी"** नामक पुस्तक का विमोचन किया गया ।

पहला सत्र

विषय: भारतीय संघ की अवसंरचना में हिंदी और भारतीय भाषाओं का समन्वय

इस सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने की। उनके साथ मंच पर राज्यसभा सांसद श्री दिनेश शर्मा और प्रख्यात वैज्ञानिक एवं लेखक डॉ. आनंद रंगनाथन उपस्थित थे।

श्री मेघवाल ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संघ की प्रशासनिक और विधिक संरचना में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की भूमिका पूरक है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक का उल्लेख करते हुए कहा कि इन प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार सतत प्रयासरत है।

सांसद श्री दिनेश शर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि इसमें मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।

डॉ. आनंद रंगनाथन ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को शामिल करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि शोधपत्रों और अनुसंधान की भाषा यदि भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी, तो देश के युवा वैज्ञानिकों और छात्रों का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ेगा।

यह सत्र इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रशासनिक दक्षता और तकनीकी प्रगति तभी संभव है जब हिंदी और भारतीय भाषाओं का समन्वित उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

दूसरा सत्र

विषय: ऑपरेशन सिंदूर – परंपरा, प्रतीक और पराक्रम पर परिचर्चा

इस सत्र में भारतीय सेनाओं की गौरवशाली परंपरा और उनके पराक्रम

को केंद्र में रखा गया। मंच पर एयर मार्शल संजीव कपूर (से.नि.), कैप्टन डी. के. शर्मा (से.नि.), मेजर गौरव आर्या (से.नि.) और वरिष्ठ पत्रकार श्री गौरव सावंत उपस्थित थे।

एयर मार्शल संजीव कपूर ने वायु सेना के पराक्रम और साहस की अनेक गाथाएँ साझा कीं। कैप्टन डी. के. शर्मा ने नौसेना के अभियानों और अनुशासन की परंपरा पर प्रकाश डाला। मेजर गौरव आर्या ने ज़मीन पर लड़ने वाले सैनिकों के अनुभवों को सामने रखते हुए कहा कि हिंदी और मातृभाषाएँ सैनिकों की आत्मा से जुड़ी होती हैं, और युद्धभूमि में इन्हीं भाषाओं में दिए आदेशों से मनोबल दोगुना होता है।

वरिष्ठ पत्रकार श्री गौरव सावंत ने बताया कि मीडिया की भूमिका केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि सेना की गाथाओं को हिंदी और भारतीय भाषाओं में आम जनता तक पहुँचाना भी उसका दायित्व है। इस सत्र ने उपस्थित दर्शकों में गहरी देशभक्ति की भावना उत्पन्न की।

द्वितीय दिवस के सत्र

पहला सत्र

विषय: सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी और भारतीय भाषाएँ – एक परिचर्चा

इस सत्र में तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीन लोहनी ने कहा कि डिजिटल भारत तभी सफल होगा जब वह भारतीय भाषाओं पर आधारित होगा।

आईआईटी जोधपुर के निदेशक डॉ. अविनाश अग्रवाल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन ट्रांसलेशन और स्पीच-टू-टेक्स्ट तकनीक में हिंदी और अन्य भाषाओं के प्रयोग पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि आईआईटी जोधपुर इस दिशा में अनेक अनुसंधान परियोजनाएँ चला रहा है।

पांडिचेरी विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. सी. जयशंकर बाबू ने अकादमिक क्षेत्र में ई-लर्निंग सामग्री को हिंदी और भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई। यह सत्र इस संदेश के साथ संपन्न हुआ कि तकनीकी विकास और भाषाई विविधता को साथ लेकर चलना ही भारत की असली ताकत है।

दूसरा सत्र

विषय: नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति – हिंदी के कार्यान्वयन की सशक्त इकाई

इस सत्र में राजभाषा विभाग की सचिव सुश्री अंशुली आर्या ने कहा कि नराकास कार्यालयों के बीच सहयोग और मार्गदर्शन का सशक्त मंच है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि किस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में नराकास की गतिविधियों से राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन हुआ है।

मुख्य आयकर आयुक्त डॉ. अम्लान त्रिपाठी ने बताया कि कर विभाग में नराकास की मदद से हिंदी में कार्य करना सहज हुआ है।

कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन के सीएमडी श्री संतोष कुमार झा ने रेलवे क्षेत्र में हिंदी प्रयोग की सफलताओं को साझा किया, वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक डॉ. देवदत्त चांद ने वित्तीय संस्थानों में हिंदी को कार्यकुशलता से जोड़ने के उदाहरण प्रस्तुत किए।

तीसरा सत्र

विषय: पर्दे से पोस्ट तक – सफलता के रंग, हिंदी के संग

यह सत्र सांस्कृतिक और मनोरंजन जगत के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। प्रख्यात फिल्म निर्माता एवं निर्देशक श्री चंद्रप्रकाश द्विवेदी और वरिष्ठ अभिनेता श्री मनोज जोशी ने सिनेमा और सोशल मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला।

श्री द्विवेदी ने कहा कि हिंदी फिल्मों और वेब सीरीज़ ने आज वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने यह भी कहा कि सिनेमा हिंदी के प्रचार-प्रसार का सबसे प्रभावी माध्यम है। श्री मनोज जोशी ने घर-घर में हिंदी बोलने की संस्कृति को पुनर्जीवित करने की अपील की और कहा कि अगर हम घर में बच्चों से हिंदी में संवाद करेंगे तो समाज में इसका प्रभाव स्वतः दिखाई देगा।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

सम्मेलन के दूसरे दिन का समापन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुआ। गुजरात की लोकधुनों पर आधारित गरबा और डांडिया की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। देशभक्ति गीतों और कविताओं ने वातावरण को ऊर्जावान बनाया। युवा कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नृत्य मंचन "भारत – भाषाओं का संगम" ने भारत की भाषाई विविधता और एकता का अद्‌भुत संदेश दिया।

निष्कर्ष और आगे की राह

पाँचवां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन न केवल राजभाषा की वर्तमान स्थिति का आकलन करने का मंच रहा, बल्कि भविष्य की रणनीति, तकनीकी सुधार व बहुभाषी समन्वय हेतु ठोस कदमों का भी संकेत दिया। मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

1. हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं के साथ संतुलित तथा सहयोगात्मक दृष्टि से विकसित करने की नीति पर ज़ोर।
2. तकनीकी अनुवाद उपकरणों (जैसे सारथी) और शब्द-सिंधु जैसी परियोजनाओं के माध्यम से भाषा-अवरोधों को कम करना।
3. शिक्षा, न्याय, विज्ञान और प्रशासन में भाषागत समावेशन को बढ़ावा देना।
4. मानव-समर्थित अनुवाद व गुणवत्ता जांच को अनिवार्य बनाना।

समापन टिप्पणी

गांधीनगर में आयोजित यह पाँचवाँ सम्मेलन इस बात का द्योतक है कि भारतीय भाषा-नीति अब केवल भावनात्मक समर्थन से आगे बढ़कर व्यवहारिक, तकनीकी और नीति-आधारित रूप में मंथन कर रही है। हिंदी को बढ़ावा देना अन्य भाषाओं के औचित्य को नकारना नहीं है, बल्कि मातृभाषाओं के संरक्षण के साथ राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाना है—यही सम्मेलन का सार रहा। आगामी वर्षों में इन नीतियों तथा तकनीकी परियोजनाओं का स्थायी रूप से क्रियान्वयन ही वास्तविक सफलता मानी जाएगी।

जन धन: वित्तीय समावेशन की क्रांति

निकिता हेमरोम, लिपिक, रायपुर क्षेत्र

हमारे देश की उन्नति मैं बैंकिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है । देश में बैंकिंग की वजह से ही बड़े- बड़े उद्योगों और सेवा क्षेत्रों जैसे रेलवे, इंडियन ऑइल, स्टील प्लांट, एयरलाइन्स, मल्टीनेशनल कंपनी, शिपिंग इत्यादि में अधिक तेजी से उन्नति हुई है, जो कि बैंक द्वारा दिये गए ऋणों की सहायता से है। कोई भी कंपनी जब बड़े प्रोजेक्ट पर काम करती है तो उन्हें अत्यधिक मात्रा में पैसों की जरूरत होती है, इस समय पर बैंको के माध्यम से कम समय में उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, जो कि उनकी और देश की उन्नति के लिए प्रगतिशील है। जिससे समूचे देश का विकास होता है साथ ही सेवा क्षेत्रों में भी सुधार आता है।

शुरुआत में भारतीय बैंकिंग मुख्य रूप से शहरी, मध्यम वर्ग और औद्योगिक ग्राहकों के लिए काम करती थी । जबकि बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 और 1980 मे हुआ । जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों मे बैंकों की शाखाओं में भारी वृद्धि हुई और समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को बैंकिंग सेवा से जोड़ा गया। भारत एक कृषि प्रधान और विकासशील देश है। यहाँ की बड़ी आबादी लंबे समय तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित रही। ग्रामीण क्षेत्रों में तो अधिकांश लोग न तो बैंक खाता रखते थे और न ही औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से जुड़ पाते थे। ऐसी स्थिति में गरीब परिवार कर्ज़ और आपातकालीन जरूरतों के लिए साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो ऊंची ब्याज दर पर ऋण देकर उन्हें शोषण के जाल में फँसाते थे।

वित्तीय समावेशन का अर्थ है— हर व्यक्ति तक बचत, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी बैंकिंग सुविधाएँ पहुँचाना। इसी दिशा में वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की। इसे एक "वित्तीय क्रांति" माना जाता है, जिसने करोड़ों लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़कर भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) की घोषणा 15 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से की गई थी और यह योजना 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में शुरू की गई थी । इसका उद्देश्य सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय समावेशन को प्राप्त करना है ।

वित्तीय समावेशन का उद्देश्य:

आर्थिक सशक्तिकरण: यह लोगों को अपनी बचत और निवेश करने में मदद करता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

भ्रष्टाचार में कमी: यह नकदी पर निर्भरता कम करता है और सरकारी योजनाओं के लाभों को सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाता है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है।

आर्थिक डेटा: सरकार को लोगों की वित्तीय स्थिति का बेहतर रिकॉर्ड मिलता है, जिससे वह उचित नीतियां बना पाती है।

सभी के लिए समान अवसर: यह सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण और निम्न-आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाओं का लाभ मिल सके।

वित्तीय समावेशन का महत्व:

1. आर्थिक समानता की ओर कदम – वित्तीय समावेशन से समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिलता है।
2. गरीबी उन्मूलन – गरीब व्यक्ति जब बैंकिंग तंत्र से जुड़ता है तो वह अपनी छोटी-छोटी बचत को सुरक्षित रख सकता है और समय पर ऋण सुविधा भी प्राप्त कर सकता है।
3. साहूकारों से मुक्ति – ऊँची ब्याज दर से निजात मिलती है।
4. सामाजिक सुरक्षा – बीमा और पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ सीधा बैंक खाते से मिलता है।
5. डिजिटल इंडिया और पारदर्शिता – सरकार की सब्सिडी और लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में पहुँचते हैं ।

जन धन योजना:

एक ऐतिहासिक पहल के तहत 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में की गई पर घोषणा के बाद इस योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य था –

- हर परिवार के पास कम से कम एक बैंक खाता हो।
- शून्य शेष खाता खोलने की सुविधा।
- खाताधारकों को रूपे कार्ड और दुर्घटना बीमा।
- आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सुविधा।
- वित्तीय साक्षरता अभियान।

योजना की विशेषताएँ:

1. शून्य शेष खाता – कोई न्यूनतम राशि जमा करने की बाध्यता नहीं।
2. रूपे डेबिट कार्ड – जिसके साथ 1 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है ।
3. ओवरड्राफ्ट सुविधा – 6 माह तक खाता संचालित होने पर 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा।
4. जीवन बीमा कवर– लाभार्थियों को 30,000 रुपये का जीवन बीमा ।
5. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण – एलपीजी सब्सिडी, छात्रवृत्ति, पेंशन, मनरेगा आदि का भुगतान सीधे खाते में।
6. सरल बैंकिंग प्रक्रिया – केवल आधार और पहचान प्रमाण के आधार पर खाता खोलना।

उपलब्धियाँ:

1. **विश्व रिकॉर्ड –** जन धन का योजना ने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया जब कुछ ही महीनों में 18 करोड़

खाते खोले गए।

2. **खातों की संख्या –** 2025 तक यह संख्या 51 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है।
3. **महिला सशक्तिकरण –** खाताधारकों में लगभग 55% महिलाएँ हैं।
4. **ग्रामीण पहुँच –** 67% से अधिक खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खुले हैं।
5. **बचत की आदत –** ग्रामीण परिवारों में भी छोटी बचत करने की प्रवृत्ति विकसित हुई है ।
6. **डिजिटल भुगतान –** यूपीआई और आधार आधारित भुगतान प्रणाली से वित्तीय लेन-देन आसान हुआ है ।

वित्तीय समावेशन की चुनौतियाँ:

भौगोलिक पहुँच की कमी, कम वित्तीय साक्षरता, उच्च लागत वाली बैंकिंग सेवाएं, पहचान और भूमि के रिकॉर्ड जैसी संपार्श्विक की कमी, और लिंग, जाति और विकलांगता जैसे सामाजिक भेदभाव। इसके अतिरिक्त, असुरक्षित और पारंपरिक क्रेडिट डेटा की कमी, छिपे हुए शुल्क और अस्पष्ट नियम भी लोगों को वित्तीय सेवाओं से दूर रखते हैं। इनके अतिरिक्त निम्न कारण भी है :

1. खातों की निष्क्रियता – बहुत से खाते खुलने के बाद भी उपयोग में नहीं आते।
2. ग्रामीण जागरूकता की कमी – अभी भी बड़ी आबादी बैंकिंग प्रक्रियाओं को ठीक से नहीं समझ पाती है।
3. डिजिटल साक्षरता का अभाव – मोबाइल और इंटरनेट की कमी से डिजिटल लेन-देन में दिक्कत है।
4. बैंकिंग अवसंरचना की कमी – गाँवों में पर्याप्त शाखाएँ और एटीएम उपलब्ध नहीं हैं।
5. बीमा और पेंशन योजनाओं तक पहुँच – अभी तक सभी खाताधारक इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

वित्तीय क्रांति के व्यापक प्रभाव:

जन धन योजना ने भारत में वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है, जिससे लाखों लोगों को बैंक खातों और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुँच मिली है, बिचौलियों को खत्म करके प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को सुगम बनाया है, और महिलाओं को सशक्त बनाया है। इसके व्यापक प्रभावों में शामिल हैं:

1. गरीबी उन्मूलन की दिशा में ठोस कदम – गरीब व्यक्ति भी आज अपनी बचत को सुरक्षित रख पाता है।
2. भ्रष्टाचार पर अंकुश – के कारण बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई।
3. सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा – दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा, पेंशन से गरीब परिवारों को सुरक्षा कवच मिला।
4. महिला सशक्तिकरण – महिलाएँ स्वयं बैंक खाता संचालित कर आत्मनिर्भर बनीं।
5. आर्थिक प्रणाली में स्थिरता – करोड़ों छोटे-छोटे खातों से बैंकिंग प्रणाली में जमा राशि बढ़ी, जिससे निवेश और विकास में सहूलियत मिली।
6. योजना का लक्ष्य बचत की संस्कृति को बढ़ावा देना, ऋण तक पहुँच बढ़ाना, और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

जन धन से जुड़ी अन्य योजनाएँ:

- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना – 2 लाख रुपये तक दुर्घटना बीमा।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना – 2 लाख रुपये का जीवन बीमा।
- अटल पेंशन योजना – असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन सुविधा।
- मुद्रा योजना – छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार को ऋण सुविधा। इन योजनाओं ने मिलकर वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को और मजबूत बनाया।

वैश्विक दृष्टिकोण:

विश्व बैंक ने भारत की जन धन योजना को दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन अभियान कहा है। अनेक विकासशील देश भारत की इस पहल से प्रेरणा ले रहे हैं। अफ्रीका और एशिया के कई देशों ने इसी तरह की योजनाओं को अपनाना शुरू किया है।

भविष्य की संभावनाएँ:

- 100% डिजिटल भुगतान प्रणाली का सपना पूरा करना।
- वित्तीय साक्षरता को और बढ़ावा देना।
- गाँव-गाँव बैंकिंग सुविधाएँ पहुँचाना।
- निष्क्रिय खातों को सक्रिय करना और उनमें लेन-देन की आदत विकसित करना।
- महिला और युवा वर्ग को स्वरोजगार एवं स्टार्टअप से जोड़ना।

निष्कर्ष:

"जन धन योजना" केवल एक योजना नहीं बल्कि एक क्रांति है जिसने समाज के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधा पहुँचाई। यह योजना गरीबों को आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का माध्यम बनी है। वित्तीय समावेशन से ही वास्तविक सामाजिक-आर्थिक न्याय संभव है। 80% से ज़्यादा वयस्कों के पास औपचारिक वित्तीय खाते हैं, जो 2014 के ५३% के आंकड़े से कहीं अधिक है। इसके शुरू होने के बाद से अब तक 53 करोड़ से ज़्यादा खाते खोले जा चुके हैं । लैंगिक अंतर में कमी: 55.6% खाते (29.56 करोड़) महिलाओं के पास हैं ।

आज भारत की पहचान **"आईटी क्रांति"** के साथ-साथ **"वित्तीय समावेशन क्रांति"** से भी हो रही है। जन धन, जन विष्णनाथ की यह क्रांति आने वाले समय में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की ठोस नींव रखेगी।

राजभाषा संबंधी अनुच्छेद

भारतीय संविधान के भाग 17 के अतिरिक्त, भाग V और भाग VI में क्रमशः अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210 के माध्यम से संघ और राज्यों के विधायी निकायों में भाषा के प्रयोग को नियंत्रित किया गया है। ये अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों में कार्य संचालन की भाषा (हिंदी या अंग्रेज़ी, और राज्यों के संदर्भ में राज्य की राजभाषा) तथा सदस्यों को उनकी मातृभाषा में बोलने के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार, राजभाषा संबंधी प्रावधान केवल शासकीय पत्राचार तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यह देश की सर्वोच्च विधायी संस्थाओं के लोकतांत्रिक संचालन का भी एक अभिन्न अंग हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 (अनुच्छेद 343 से 351) में राजभाषा से संबंधित विस्तृत प्रावधान निहित हैं। ये प्रावधान संघ और राज्यों के मध्य संचार, न्यायपालिका के कामकाज, और देश की भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को स्पष्ट करते हैं। संविधान में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी को लिपि घोषित किया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ भारत की समग्र भाषाई संस्कृति का पोषण करना भी है। राजभाषा आयोग का गठन और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था इसी भाषाई संतुलन को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, संघ और राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा और संसद तथा राज्य विधानमंडलों में कार्य संचालन की भाषा के संबंध में भी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं।

1) संसद में हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है?
क) अनुच्छेद 348 ख) अनुच्छेद 120
ग) अनुच्छेद 210 घ) अनुच्छेद 351

2) राज्य विधानमंडल में कार्यवाही के लिए राज्य की राजभाषा/राजभाषाओं के अतिरिक्त किन भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है?
क) केवल हिंदी ख) केवल अंग्रेज़ी
ग) हिंदी या अंग्रेज़ी घ) केवल संस्कृत

3) राज्य विधानमंडलों में किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति किस अनुच्छेद के तहत दी जा सकती है?
क) अनुच्छेद 120 ख) अनुच्छेद 210
ग) अनुच्छेद 345 घ) अनुच्छेद 346

4) संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं को मान्यता दी गई है?
क) सातवीं अनुसूची ख) नौवीं अनुसूची
ग) आठवीं अनुसूची घ) दसवीं अनुसूची

5) वर्ष 1992 में 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा आठवीं अनुसूची में कौन सी भाषाएँ जोड़ी गईं?
क) बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ख) सिंधी
ग) कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली घ) असमिया, उड़िया

6) राजभाषा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है?
क) प्रधानमंत्री को ख) संसद को
ग) राष्ट्रपति को घ) लोकसभा अध्यक्ष को

7) राजभाषा अधिनियम, 1963 की किस धारा में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन तथा करार हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएँगे?
क) धारा 3(1) ख) धारा 3(2) ग) धारा 3(3) घ) धारा 3(4)

8) राजभाषा नियमों (1976) के अनुसार, भारत संघ को प्रशासनिक सुविधा के लिए कितने क्षेत्रों ('क', 'ख', 'ग') में विभाजित किया गया है?
क) दो ख) तीन ग) चार घ) पाँच

9) राजभाषा नियमों (1976) के अनुसार, 'क' क्षेत्र के राज्यों के अंतर्गत कौन-से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आते हैं?
क) महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब ख) तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक
ग) उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली
घ) असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल

10) राजभाषा अधिनियम, 1963 को किस वर्ष संशोधित किया गया था, जिसने अंग्रेज़ी के उपयोग को अनिश्चित काल तक जारी रखने का प्रावधान किया?
क) 1967 ख) 1968 ग) 1976 घ) 1955

11) संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे गए सभी अधिनियमों, विधेयकों, अध्यादेशों आदि का प्रामाणिक पाठ किस भाषा में होगा?
क) हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में ख) केवल हिंदी में
ग) केवल अंग्रेज़ी में घ) सदन की राजभाषा में

12) किस अनुच्छेद के तहत, किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य की एक या एक से अधिक भाषाओं या हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने की शक्ति प्राप्त है?
क) अनुच्छेद 343 ख) अनुच्छेद 345
ग) अनुच्छेद 346 घ) अनुच्छेद 347

13) राजभाषा नियमों के अनुसार, 'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को पत्राचार की सामान्य भाषा क्या होगी?
क) केवल हिंदी ख) केवल अंग्रेज़ी
ग) हिंदी में, लेकिन यदि 'ग' क्षेत्र का कार्यालय माँग करे तो अंग्रेज़ी अनुवाद के साथ
घ) केवल हिंदी अनुवाद के साथ

14) केंद्र सरकार के लिए, राजभाषा नियमों के तहत, पत्राचार में हिंदी के प्रयोग में प्रगति की निगरानी के लिए किस समिति का गठन किया जाता है?
क) संसदीय राजभाषा समिति ख) केंद्रीय हिंदी समिति
ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति (राकास)
घ) केंद्रीय अनुवाद समिति

15) भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कर्तव्य किसका है?
क) राष्ट्रपति का ख) राज्य सरकार का
ग) राज्यपाल का घ) केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का

नोट : राजभाषा प्रश्नोत्तरी के उत्तर के लिए पृष्ठ संख्या 26 देखें

संकलनकर्ता:
आदर्श गुप्ता
प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली

प्रतिस्पन्दन

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'वाणी' को देखने का अवसर मिला। यह पत्रिका बैंकिंग सेक्टर में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ आम जनता के लिए भी लाभदायक है। पत्रिका से बैंकिंग संबधी सारी जानकारियां मालूम होती हैं। पत्रिका में सैन्य बलों, अर्ध सैनिक बलों, योग, स्वास्थ्य, विदेशी मुहर, वैश्वीकरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण विषयों/लेखों को समाहित किया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज की दुनिया डिजिटल होने के बावजूद पत्रिकाओं का महत्व कम नहीं हुआ है।

मैं इस कार्य के लिए बैंक के सभी प्रतिभावान लेखकों/ रचनाकारों एवं उनके टीम को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि वे ऐसी रोचक एवं ज्ञानवर्धक पत्रिका का प्रकाशन भविष्य में भी करते रहेंगे।

शुभकामनाओं सहित,

उदय कुमार पवार

मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रधान मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, मालीगांव गुवाहाटी (असम)

आपके बैंक की गृह पत्रिका वाणी का 145वां अंक प्राप्त हुआ। सहर्ष धन्यवाद। सेनाओं को समर्पित अंक का आवरण पृष्ठ विषय के अनुरूप है और अंत्यत आकर्षक है।

इस अंक में प्रकाशित राणा सांगा का बलिदान एक और जहां हमारे शौर्यपूर्ण इतिहास से परिचय कराता है वहीं आपरेशन सिंदूर हमें आज के सैन्य परिदृश्य से अवगत कराता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता-सफलता और रिश्तों की कुंजी, योग आध्यत्मिकता की और एक कदम, विदेशी मुद्रा परिभाषा एवं बाजार और खेती को बचाइए, भविष्य को संवारिए आदि लेख आज के समय में प्रासंगिक एवं उपयोगी हैं। पत्रिका के अन्य लेख भी पठनीय तथा ज्ञानवर्धक हैं। पत्रिका का यह अंक निस्संदेह संग्रहणीय है।

पत्रिका के सफल सम्पादन एवं प्रकाशन हेतु संपादक मंडल बधाई के पात्र हैं।

पत्रिका के आगामी अंक हेतु शुभकामनाएं।

भवदीय

विनोद अप्पाराव पंपाना

उप प्रधानाचार्य, रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की तिमाही पत्रिका 'वाणी' का 145वाँ अंक प्राप्त हुआ। मुखपृष्ठ पर ही भारतीय शौर्य और 'शक्ति' की तस्वीर उकेरी गई है जिसे देखकर पाठक का हृदय उत्साह की भावना से भर उठता है। आधा दर्जन से अधिक प्रतिरक्षा संबंधी और देशभक्तिपूर्ण आलेख देश के वर्तमान 'मूड' को परिलक्षित करते हैं। वस्तुतः पत्रिका का यह अंक पराक्रमी भारतीय सेनाओं को समर्पित है। इसके बारे में संपादकीय में ठीक ही कहा गया है कि हमारी सेना के उत्सर्ग एवं बलिदान के कारण ही हमारी सीमाएँ सुरक्षित हैं। इस निस्वार्थ सेवा के लिए समस्त देशवासियों का सिर गर्व से उनके आगे नतमस्तक है। राणा सांगा के बलिदान से लेकर आज के अग्निवीरों के पराक्रम तक की गाथाएँ वस्तुतः पठनीय हैं। परमवीर चक्र विजेता भारतीय सैनिकों की कहानियों को पढ़कर आँखें नम हो जाती हैं और इस अमर गीत की कड़ियाँ अकस्मात कानों में गूँज उठती हैं—कोई सिख कोई जाट मराठा/कोई गुरखा कोई मदरासी/सरहद पर मरनेवाला/हर वीर था भारतवासी!

उम्दा कागज़ और उत्कृष्ट छपाई वाली इस पत्रिका के 60 पृष्ठों में सूचना पूर्ण आलेखों, कविताओं, हास्य-व्यंग्य और व्यावसायिक ज्ञान की जो गंगा बहाई गई है वह प्रशंसनीय है। आलेखों में इतिहास, व्याकरण, भाषा विज्ञान, योग, अध्यात्म, स्वास्थ्य, अर्थशास्त्र और कृषि जैसे विषयों की विविधता प्रभावित करती है।

पत्रिका में प्रकाशित चित्र "वन पिक्चर इज़ वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स" की उक्ति को चरितार्थ करते हैं। 'राजभाषा हिंदी के 50 वर्ष' और राजभाषा प्रश्नोत्तरी विशेष रूप से प्रासंगिक और उपयोगी लगे। पत्रिका के आरंभ में प्रस्तुत उच्चाधिकारियों के संदेशों से हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती है और कर्मियों का उत्साहवर्धन होता है। हालांकि प्रस्तुत अंक में कविताओं और कहानियों का अभाव थोड़ा खलने वाला है। प्रकाशित एकमात्र गज़ल में शायरा ने अल्फ़ाज़ के तराजू पर जज़्बात को तौलने का सराहनीय प्रयास किया है।

वित्त से जुड़े संगठन की पत्रिका में भाषाविज्ञान और व्याकरण से संबंधित आलेख सुखद आश्चर्य से भरने वाले हैं। इस संबंध में 'हिंदी भाषा और ब्रज भाषा : एक सांस्कृतिक और भाषाई समन्वय' एवं 'वर्तनी और व्याकरण' शीर्षक आलेख विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता (इमोशनल इंटेलीजेंस) से संबंधित लेख में प्रकाशित सामग्री न सिर्फ विद्यार्थियों और निजी व सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए उपयोगी है, वरन इन जानकारी से सेवारत लोग, माता-पिता और अभिभावक तथा बच्चे भी लाभान्वित हो सकते हैं।

आज के समय में किसी पत्रिका का लगभग चार दशकों तक सतत प्रकाशित होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसा सर्वांग सुंदर अंक निकालने लिए मैं इसके प्रकाशन से जुड़ी पूरी टीम को और सामग्री प्रदान करने वाले प्रत्येक लेखक/लेखिका को साधुवाद देता हूँ। मुझे आशा ही नहीं, वरन् पूर्ण विश्वास है कि आगे भी इस पत्रिका के ऐसे सुंदर अंक देखने और पढ़ने को मिलेंगे और अन्य संगठनों के लिए भी यह पत्रिका एक प्रतिमान साबित होगी।

कुल मिलाकर यह एक पठनीय एवं संग्रहणीय अंक है।

डॉ. पंकज द्विवेदी

सहायक निदेशक (प्रशासन), भारतीय भाषा संस्थान मैसूरु

22 जुलाई 2025 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी के दौरान बैंक द्वारा प्रकाशित निबंध संचय भाग-4 पुस्तक का विमोचन करते हुए **सुश्री अंशुली आर्या,** सचिव राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एवं हमारे प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव** ।

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के साथ बैंक के शीर्ष कार्यपालकगण
एवं राजभाषा विभाग के अधिकारीगण

www.iob.bank.in हमें फॉलो करें @IOBindia 1800 890 4445 | 1800 425 4445